6.2.64

तृतीय माला, खण्ड २४--अंक २२

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९६३

२६ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

तृतीय माला, खण्ड २४-अंक २१ से २६-१६ से २१ दिसम्बर, १९६३/२५ से ३० अग्रहायण, १८८५ (शक)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १६ दिसम्बर, १९६३ / २५ अग्रहायण, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ से ५८२ तथा ५८४ से ५८८ . . २४६७–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३, ५८९ से ५९८, ५९८-क और ५९९ से ६०६ २४९२–२५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४८ से १७३४ और १७३४-ख . . २५०३–४४

निधन सम्बन्धी उल्लेख २५४५

पूर्वी पाकिस्तान में राजशाही स्थित भारत के सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय बन्द किया जाना २५४५–४६

सभा पटल पर रखे गय पत्र २५४६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २५४६

राज्य सभा से सन्देश २५४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे में २५४७

प्राक्कलन समिति

चालीसवां प्रतिवदन २५४७

आर्थिक स्थिति के बारे में वक्तव्य २५४७–५६

सदस्य द्वारा वक्तव्य २५५६–६०

समवाय (संशोधन) विधेयक २५६०–८८

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . २५६०

खंड २ से १४ और १ . . . . . २५६०

पारित करने का प्रस्ताव २५७०

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक औषधालय, नई दिल्ली के बारे में आधे घंटे की चर्चा २५८९–९५

दैनिक संक्षेपिका २५९६–२६०२

अंक २२, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९६३ / २६ अग्रहायण, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ६०८, ६१० से ६१५, ६१७, ६१८ और ६२० २६०३—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६०९, ६१६, ६१९ और ६२१ से ६३३ . २६२६—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७३५ से १८१६ और १८१८ से १८४८. २६२४—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोहाटी तेल शोधनशाला में काम रुक जाना . . २६८५—८७

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में . . . . २६८८—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २६९०—९१

सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे में . . . . २६९१—९३

सभा का कार्य . . . . . २६९३—९४

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक . . . २६९४—२७१४

विचार करने का प्रस्ताव २६९४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को जाते हुए मनीपुर के रास्ते बर्मा में प्रवेश . . . . . २७१४—१९

दिल्ली में भूमि के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २७१९—२३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७२४—३०

अंक २३,—बुधवार, १८ दिसम्बर, १९६३/२७ अग्रहायण, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ से ६४६ और ६४९ . . २७३१—५८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २७५८—६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८ और ६५० से ६५६ . २७६१—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४९ से १९२४ . . . २७६५—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८००—०१

दक्षिण रेलवे पर एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी के बीच हुई टक्कर

सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये समिति नियुक्त किये जाने के बारे में २८०१

विषय-सूची

	पृष्ठ
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	२८०१–०२
सदस्य की नजरबन्दी	२८०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२८०३–०५
राज्य सभा से सन्देश	२८०५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति इकतीसवां प्रतिवेदन	२८०५
गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . .	२८०५
लोक लेखा समिति	२८०५
सत्रहवां प्रतिवेदन	
गोआ, दमन और दीव न्याय आयुक्त का न्यायालय (उच्च न्यायालय घोषित करना) विधेयक–पुरःस्थापित . . .	२८०६
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक	२८०६–४०
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२८०६
प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न	
लोदी हाउस होस्टल के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२८४०–४५
दैनिक संक्षेपिका	३८४६–५२
अंक २४, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९६३/२८ अग्रहायण, १८८५ (शक) .	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६५, ६६७, ६६८, ६७१ और ६७४ से ६७६	२८५३–७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६६, ६६९, ६७०, ६७२, ६७२–क, ६७३ और ६७७ से ६७८	२८७७–८०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९२५ से १९८० .	२८८०–२९०४
निवारक निरोधक (जारी रखना) विधेयक .	२९०४–१७
विचार करने का प्रस्ताव .	२९०४
खंड २ और १ . .	२९१६
पारित करने का प्रस्ताव	२९१६–१७

विषय-सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विधियां (विविध उपबन्ध) विधेयक	२९१७–३८
विचार करने का प्रस्ताव	२९१७
अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर संख्या ५ और ६ .	२९३८–४६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२९४६–४९
अमरीका के सातवें बेड़े द्वारा अपना कार्य क्षेत्र हिन्द महासागर तक बढ़ाया जाना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२९४९–५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
सातवां प्रतिवेदन . . .	२९५१
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य और सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णय . . .	२९५१
सदस्य द्वारा वक्तव्य	२९५१–५५
विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . .	२९५५–५८
दनिक संक्षेपिका	२९५९–६४

अंक २५, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९६३ / २९ अग्रहायण, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१ से ६९०, ६९४ से ६९६ और ६९८ .	२९६५–९२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८	२९९२–९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८० और ६९१ से ६९३ . .	२९९६–९८
अतारांकित प्रश्न संख्या १९८१ से २०४२ .	२९९८–३०२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३०२६
(१) पाकिस्तानी विमान द्वारा वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण	
(२) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी समिति के कुशलता से कार्य न करने की कथित समस्या	
(३) श्री प्रिय गुप्त, संसद् सदस्य के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति	

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे पत्र	३०२७–३०
प्राक्कलन समिति सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखे गये .	३०३०
संसदीय समितियां	३०३१
कार्यवाही सारांश	३०३१
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति .	३०३१
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य . . .	३०३२–३८
विधेयक पुरःस्थापित	
(१) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६३ .	३०३९
(२) खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक, १९६३	३०३९
बैंकिंग विधियां (विविध उपबन्ध) विधेयक	३०३९–५२
खंड २ से ३० और १	३०३९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	३०५२
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव . .	३०५३–६९
खंड २ से ३० और १	३०६५–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३०६७–६९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति इकतीसवां प्रतिवेदन	३०६९
विधेयक पुरःस्थापित	३०६९–७०
(१) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९६३ (धारा ३ और ६ का संशोधन) [श्री पन्ना लाल बारूपाल का] .	
(२) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३ (धारा ५ का संशोधन) [श्री पन्नालाल बारुपाल का] .	
(३) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद ८४ और १७३ का संशोधन) --[श्री हरि विष्णु कामत का] .	
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का	
विचार करने का प्रस्ताव] . .	३०७०–७४
मंत्रियों की आस्तियों का बताया जाना विधेयक, १९६३ [श्री हरि विष्णु कामत] का विचार करने का प्रस्ताव . . .	३०७४–८६ ३०७४

विषय-सूची

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय कीं ओर ध्यान दिलाने के बारे में .	३०८६–९१
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३०९१–३१००
दैनिक संक्षेपिका	३१०१–०८
अंक २६ शनिवार, २१ दिसम्बर १९६३/३० अग्रहायण १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . .	३१०९–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(१) भारत–पाकिस्तान सीमा पर हुई घटनायें . . .	३११४–१७
(२) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकटवर्ती जिलो में पुलों की दशा .	३११७–१८
प्रश्नों के उत्तरों के साथ संलग्न विवरणों के बारे में . .	३११८
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	३११९
राज्य सभा से सन्देश . .	३११९
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवां प्रतिवेदन	३११९
नगरों के पुनर्वर्गीकरण के बारे में वक्तव्य	३११९–२०
तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के बारे में सदस्य का वक्तव्य और मंत्री द्वारा	
तत्सम्बन्धी उत्तर . . .	३१२०–२२
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के बारे में .	३१२२
विधेयक पुरःस्थापित	
(१) भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक .	३१२२–२३
(२) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, .	३१२३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा . .	३१२३
(१) प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के उपाय	३१२३–४६
(२) गन्ने के मूल्य	३१४६–८१
राजस्थान में अकाल के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३१८१–८८
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३१८८
सभा का स्थगित किया जाना . . .	३१८९
दैनिक संक्षपिका . .	३१९०–९१
छठे सत्र १९६३ का संक्षेप	

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९६३

२६ अग्रहायण १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय वन गवेषणा संगठन

†*६०७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सितम्बर, १९६३ में मैडीसन, विस्कान्सिन, में हुये खाद्य तथा कृषि संगठन के पांचवें सम्मेलन में तथा अन्तर्राष्ट्रीय वन गवेषणा संगठन संघ में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने किस प्रकार से भाग लिया था ;

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधि ने लौटने पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रविधिक स्तर पर भाग लिया गया था ।

(ग) और (घ). एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसकी महत्वपूर्ण बातों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय वन अनुसन्धान संगठन संघ की बैठक :

(१) मुख्यकर लकड़ी की किस्म संबंधी अनुसन्धान, आग, चिराई, और मशीन पर लकड़ी के प्रयोग के बारे में चर्चा हुई ।

(२) संश्लिष्ट सामग्री के मुकाबले की लकड़ी सम्बन्धी अनुसन्धान पर जोर दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने वन अनुसन्धान संस्था में बना अग्नि-नि ोधक-पदार्थ पर एक लेख प्रस्तुत किया।

(४) लकड़ी को श्रेणीबद्ध करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणीकरण नियमों के महत्व पर जोर दिया गया।

लकड़ी औद्योगिकीय संबंधी खाद्य तथा कृषि संगठन का ५वां सम्मेलन :

(१) चर्चा लकड़ी के भौतिक, मशीनी और लकड़ी के काम के तत्वों के बारे में थी। इसमें चिराई, लकड़ी की पतली तह लगाना, परिरक्षण, आदि भी शामिल था।

(२) अग्नि निरोधक जांच को और पिलाईवुड पर जांच को निश्चित करना।

(३) लकड़ी पर अविनाशकारी जांचों का किया जाना।

(४) सरेस लगी लकड़ी को शोधन के और परीक्षित लकड़ी को सरेस लगाने के तरीकों का विकास।

(५) मकानों के लिए सस्ते और मजबूत ढांचे बनाने की आवश्यकता, विशेषकर अल्पविकसित क्षेत्रों में।

(६) (१) बांसों का उपयोग और (२) सस्ते ढांचे सम्बन्धी दो लेख।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या भाग लेने और वहां कई लेखों के पढ़े जाने के फलस्वरूप भारत को किसी अन्य देश से कोई नई तकनीक मिली है जो कि हमारे देश में हमारे लाभ के लिए प्रयोग की जा सकती है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमारे विशेषज्ञ विदेशों में प्रशिक्षण लेते हैं। अतः विदेशों में प्रयोग होने वाली अधिकतर तकनीकें, यहां अपनाई जा रही हैं विशेषकर देहरादून की वन अनुसन्धान संस्था में। यह संस्था संसार में इस विषय की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था है। मैं नहीं कह सकता कि उस विशेष सम्मेलन में किसी बात पर चर्चा हुई थी जो यहां नहीं होती।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह पता लगता है कि दो लेख, एक बांसों के उपयोग पर और एक सस्ते ढांचों पर प्रस्तुत किये गये थे। वहां पढ़े गये इन लेखों के फलस्वरूप क्या कोई नया अध्ययन किया जायेगा और कोई नई योजना लागू की जायेगी?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां। हम वहां बांसों का सुधार करते हैं और देहरादून की वन अनुसन्धान संस्था में एक नियमित विभाग ह इन दोनों बातों के लिए और हम अध्ययन की दृष्टि से कार्यक्रम का विस्तार करेंगे।

†**श्री शा० ना० चतुर्वेदी** : विवरण में उल्लेख है कि अग्निनिरोधक बनाने का कुछ प्रयास किया गया है। क्या गांवों में छप्पर में प्रयोग होने वाले साधारण फूस को अग्निनिरोधक बनाने का कोई कार्य किया गया है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां। देहरादून में इस पर भी अनुसन्धान हो रहा है।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : परिणाम क्या रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस क्षेत्र में भी हमें कुछ सफलता मिली है?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : लकड़ी पर अविनाशकारी जांच करने के लिए क्या किया गया है और क्या इससे पहले हमारे देश में कोई अनुसन्धान किया गया था?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां। हमने काफी अनुसन्धान किया है, क्योंकि सारा अध्ययन लकड़ी के विनाशकारी तत्व समाप्त करने के लिए किया गया है और वह देहरादून में हो रहा है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : सरकार जानती है कि कानीफेरस वृक्षों को बदलने और गिराने की हमारी योजना १०० वर्ष अधिक से चल रही है, जबकि योरोप में यह अवधि काफी कम कर दी गई है। क्या इस अवधि को कम करने के लिए कोई तकनीकी प्रयत्न किया गया है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और में माननीय सदस्य के सुझाव से लाभ उठाऊंगा।

एयर इंडिया पर इण्डोनीशिया द्वारा वायु प्रतिबन्ध

†*६०८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक मलेशिया के लोगों को ले जाने का सम्बन्ध है इण्डोनेशिया सरकार ने एयर इंडिया पर वायु प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). इण्डोनेशिया सरकार ने इंडोनेशिया तथा मलयेशियन संघान के बीच सब प्रकार के यातायात के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश इंडोनेशिया के अन्दर तथा बाहर चलने वाले सभी विमानों के बारे में लागू होता है, जिस में एयर इंडिया भी शामिल है। एयर इंडिया के सभी स्टेशनों को इंडोनेशिया सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का पालन करने और सिंगापुर और जकारता के बीच दोनों ओर यातायात ढोने से मना करने की सलाह दी है।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने इंडोनेशिया से इस के कारण जानने की कोशिश की है? अगर हां तो वे क्या कारण हैं? और अगर जानने की कोशिश नहीं की तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाएगी?

श्री मुहीउद्दीन : यह एक पोलिटिकल सवाल है। इंडोनेशिया और मलएशिया के दरम्यान झगड़ा है, यह उसी का नतीजा है। इसमें कोई खास तौर पर जानने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मलएशिया से आपको कोई प्रोटेस्ट हासिल हुआ है?

श्री मुहीउद्दीन : क्योंकि यह हुक्म हर एयरलाइन के मुताल्लिक है, इसलिए कोई प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इन्डोनेशिया ने जो कार्यवाही की है, क्या उस बारे में सरकार सकारण विश्वास कर सकती है कि इसके पीछे चीन का हाथ है, और यदि हां तो क्या भारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

अड्डों पर आने वाले इण्डोनेशिया के विमानों में यात्रा करने वाले चीनी यात्रियों पर भी ऐसे ही प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे छिपे हाथ की निश्चित जानकारी नहीं है। चीनी यात्रियों के बारे में, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि छिपे हाथ की मंत्री जी को स्पष्ट जानकारी नहीं है, अतः उन्हें कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रश्न का पहिला भाग है । आप यह भली भांति समझ गये हैं और जब उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया तो आप हंस रहे थे। मैं राष्ट्रीय हित में आपके अधिकारों का सहारा लेता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी यही कमजोरी है कि जब मैं किसी सदस्य को हंसते हुये देखता है मैं भी हंसने लगता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपकी इस भावना के लिये धन्यवाद ।

मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार का विचार इन्डोनेशिया के विमानों पर जिनमें चीनी यात्रा करते हैं और जो भारतीय हवाई अड्डों पर आते हैं ऐसे ही प्रतिबन्ध लगाने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु यह बात इस पर निर्भर थी कि इसमें चीन के हाथ होने की जानकारी है या नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह बात इस पर निर्भर न थी, यह तो स्वतंत्र थी ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : भारत में इन्डोनेशिया के विमान नहीं आते। अतः ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भारतीय हवाई अड्डों पर क्या इण्डोनेशिया का कोई विमान नहीं आता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति, यह मतभेद नहीं बढ़ना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं आधे घंटे की चर्चा उठाऊंगा । परन्तु इसके लिये समय नहीं है।

†**श्री कपूर सिंह** : जिसे हाल में इन्डोनेशिया सागर का नाम दिया गया है क्या उसके बारे में जमीन पर या विमान पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार ने इस मामले पर इन्डोनेशया सरकार से वार्ता की है ताकि कम से कम भारत को सुविधायें मिल जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर दे चुके हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का निहित अभिप्राय नहीं समझ सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न में कोई रहस्य नहीं होना चाहिये । हमारे नियम ये ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का भाव यह था कि क्या सरकार इस स्थिति में है कि हिन्द सागर का इन्डोनेशिया सागर नाम रक्खा जाय, इसे स्वीकार करेगी ।

†श्री मुहीउद्दीन : माननीय सदस्य हिन्द सागर का उल्लेख कर रहे हैं। जिसका नाम इन्डोनेशिया ने बार बार बदला है । यह प्रश्न आकाश के बारे में है । इन्डोनेशिया आकाश का नाम नहीं बदला गया है ।

कृषि उत्पादन

\+
*६१०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनायें तैयार की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनको कब तथा किस रूप में क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक संभव हो सकेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

चावल, ज्वार–बाजरा और दालें, कपास, तिलहन, गन्ना और फल तथा सब्जियों को अधिक उगाने की योजनायें लागू की जाने के लिए राज्यों को भेजी गई थीं । इन योजनाओं में ऐसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही विकास कार्यवाही करने का उल्लेख है जहां सिंचाई की सुविधाओं या वर्षा होने के सुनिश्चित होने पर अधिकतम विकास हो सकता है । मूलरूप में प्रस्तावित

†मूल अंग्रेज़ी में

विकास कार्य वे ही हैं, अर्थात, सिंचाई, अच्छे बीजों, उर्वरक, और खाद्य, पौदा संरक्षण उपाय, अच्छे औजार का अधिक प्रयोग एवं उत्पादन बढ़ाने की अधिक उत्तम तकनीकों के प्रयोग को लोक प्रिय बनाना। राज्य सरकारी ने चुने हुये क्षेत्रों में इन योजनाओं को लागू करना आरंभ कर दिया है।

हाल में पटसन पैदा करने वाले राज्यों से भी पटसन की किस्म और प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये केन्द्र द्वारा बनाई गई योजना आरम्भ करने की प्रार्थना की गई है। इस कार्य के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय योजना में तीन करोड़ रु० रक्खा गया है। ताकि तीसरी योजना की इस अवधि में पटसन उगाने वाले राज्यों को मध्यम अवधि के लिये ऋण दिये जा सके।

(ग) तथा (घ). गहन कृषि कार्यक्रमों को आरंभ करने के अतिरिक्त राज्य सरकारों से छोटी सिंचाई भूमि संरक्षण तथा सूखी कृषि के प्रोग्रामों के लक्ष्यों की बढ़ाने एवं तीसरी योजना की शेष अवधि में इन्हें और अधिक तेजी से लागू करने की प्रार्थना की गई है। इन प्रोगामों के लिये प्रतिवर्ष अधिकतम आवंटन किये जाते हैं। वस्तुओं की बड़ी मात्रा के विरतण के लिये प्रशासी प्रबंध भी उत्तम बनाये जा रहे हैं। इन वस्तुओं में उर्वरक, अच्छी बीज, तथा खेती के अच्छे औजारों तथा अन्य तरकीबों जैसे पौदा संरक्षण आदि को लोकप्रिय बनाना शामिल है। केन्द्र तथा राज्यों, जिला तथा खण्डों के आधार पर प्रशासी समन्वय की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इन विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप खाद्य उत्पादन प्रोग्राम की प्रगति में योजना की शेष अवधि में तेज़ी आने की आशा है।

अधिक उत्पादन के तीसरी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आशा है कि आरंभ में असफलता होने पर भी, जो कि अब तक होती रही है, लक्ष्यों को प्रयाप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकेगा ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस संसद में और राज्य विधान मण्डलों में भी इसकी कई बार चर्चा हुई है कि कृषि उत्पादन को निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि से सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं वे सब एक स्थान पर केन्द्रित किए जाएं, और ऐसा न होने से कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस विवरण को देखने से यह प्रतीत नहीं होता कि उस दिशा में भी कोई पग उठाए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में यत्नशील है, यदि हां तो क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : एक बार पहले इस प्रश्न के उत्तर में मैं ने बतलाया था कि सामुदायिक विकास विभाग के राज्य मंत्रियों तथा कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन यहां हुआ था और इस सम्मेलन ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया और उस वर्किंग ग्रुप ने एक सुझाव दिया है कि जितने भी सम्बन्धित कृषि विभाग के कार्य हैं उन सारे कार्यों को एक साथ समन्वय कर के चलाने के लिए कोशिश की जाय और उस सम्बन्ध में उस वर्किंग ग्रुप का सुझाव हर राज्य सरकारों को कृषि मंत्रालय की ओर से और सामुदायिक विकास मंत्रालय, दोनों की ओर से भेजा गया है और उन सुझावों को काम में लाने की सरकार कोशिश कर रही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ततीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उस के हिसाब से जो दो वर्ष शेष रह जाते हैं उस में ७० लाख टन प्रतिवर्ष का उत्पादन यदि हो तो हम निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, सरकार के इस विवरण को

देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उतना हो नहीं सकेगा, तो इस ७०लाख टन के उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या उपाय आप कर रहे हैं, कुछ नई जमीनें तोड़ रहे हैं या कुछ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं ? उस को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि माननीय सदस्य पिछले वर्षों पर ध्यान दें तो भारत में ऐसा हुआ है कि अगर जलवायु एक साल अच्छी रहती है तो १५ मिलियन टन यानी डेढ़ करोड़ टन अनाज की उपज बढ़ी है और यदि खराब हुई है तो इसी प्रकार से १ या डेढ़ करोड़ टन का उत्पादन घट भी गया है । वैसे मैं जलवायु पर कोई ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप और साथ में जलवायु भी अगर अच्छी हो जाय तो अभी भी मुझे आशा है कि सफलता नजदीक रहेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नई जमीनें तुड़वा रही है या सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह तो बड़ा लम्बा सवाल है कि क्या क्या कार्यवाही की जा रही है और उस सब को इस सप्लीमैंटरी के जवाब में बतलाना बहुत मुश्किल है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री के कथनानुसार के प्रशासी समन्वय की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग, सामुदायिक विकास तथा सहकार के बीच, इस उत्पादन आधार पर, अधिक समन्वय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं ने जो कहा है इसका इससे संबंध है क्योंकि इस कार्यकारी दल ने कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली अनेक एजेंसियों के काम में समन्वय के बारे में सिफारिश की है । अधिकतर समन्वित काम के फलस्वरूप अधिक उत्पादन होगा ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख है कि कृषि उत्पादन तथा खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक, अच्छे बीज और भूमि संरक्षण संबंधी उपाय किये जा रहे हैं । देश में आयात मूल्य के मुकाबले १५० रु० या २०० रु० से अधिक के मूल्य पर सरकार द्वारा उर्वरक बेचे जाने के क्या कारण हैं और यदि ऐसा है तो वह अधिक खाद्य पैदा करने के लिए किसान को कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का काफी समय से समाहार मूल्य है पिछले वर्ष हमने केलसियम अमोनियम नाइट्रेट का मूल्य ३२ रु० प्रति टन कम कर दिया था और इस वर्ष भी हम वस्तुतः चार महत्वपूर्ण किस्म के उर्वरकों का मूल्य तय करना चाहते हैं । इनमें चार प्रकार के महत्वपूर्ण उर्वरक हैं और घोषणा बहुत शीघ्र की जायेगी ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : विवरण में उल्लेख है कि पौदा संरक्षण के उपाय करने का विचार है जब इस बारे में किये गये उपाय काफी सफल नहीं रहे हैं । अतः पौदा संरक्षण के नये उपाय क्या हैं जो प्रभावी रहेंगे और जिससे कृषि उत्पादन लगभग १५ प्रतिशत बच जायेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है । अब तक हम प्रत्येक राज्य सरकार को कुल व्यय का लगभग २५ प्रतिशत भाग आर्थिक सहायता के रूप में देते रहे हैं, परन्तु कुछ मामलों में, विशेषकर धान के मामले में, जहां यह महामारी के रूप में फैला था, हमने

---

†मूल अंग्रेजी में

उस आर्थिक सहायता को बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दिया था । जहां विमानों से औषधि छिड़कने की आवश्यकता होती है, हम दो तिहाई व्यय उठाते हैं । हमारे अपने विमान यूनिट, जिसे हमने इस वर्ष वस्तुतः दुगना कर दिया है, राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया है । जो भी राज्य सरकार चाहे, हम अपना यूनिट उस राज्य में भेजते हैं और हम वस्तुतः निःशुल्क औषधि छिड़कते हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरा प्रश्न यह था कि औषधि छिड़कना और अब तक किये गये अन्य प्रभावी नहीं रहे हैं । पहिले एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि वे उपाय असफल रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि नये उपाय क्या हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई नये उपाय किये जा रहे हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां । इसका हमें पता लगा है और हमने कृमिनाशक निर्माताओं से उचित किस्म की कृमिनाशक औषधि बनाने को कहा है और हम उस पर जोर दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त, हम किसानों और राज्य सरकारों को औषधि छिड़कने का यथा संभव उत्तम यंत्र देने का प्रयास कर रहे हैं । हम छिड़कने के विद्युत चालित यंत्र भी प्रयोग कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस विवरण में यह लिखा हुआ है कि उर्वरक, सुधरे हुए बीज और सुधरे हुए कृषि औजारों की लोकप्रियता और अन्य विधियां, जैसे वनस्पति रक्षा आदि सम्भरण के अधिक मात्रा में वितरण के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध भी बढ़ाये जा रहे हैं, तो श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस दिशा में क्या क्या प्रशासनिक क़दम उठाये गये हैं और दूसरे में यह भी जानना चाहूंगी कि कितने मोडल फार्म्स खोले जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : कुछ मौडल सीडस फार्म्स खोले गये हैं । ४१ राज्य सरकारों को अलग अलग वस्तुओं के लिए मौडल फार्म्स हैं । उस रूप में तो मैं सूरतगढ़ फार्म को भी एक मौडल फार्म मानता हूं । कुछ मकई के भी आदर्श केन्द्र स्थापित करेंगे जहां बीज तैयार किया जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या क्या प्रशासनिक क़दम उठाये जा रहे हैं यह भी तो बतलाइये ?

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, यह सारे कदम प्रशासनिक क़दम ही तो हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कुछ राज्य सरकारों ने, जिन्होंने यह योजना स्वीकार कर ली है, कुछ सहायता मांगी है और यदि हां, तो किस रूप में और किन चीजों के लिए वह बढ़ाई जा रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम राज्य सरकारों से बराबर बात चीत कर रहे हैं । गहन धान खेती के बारे में, हमने राज्य सरकारों की प्राय सभी मांगें पूरी कर दी है । यहां तक कि उर्वरक, बीज, अच्छे खेती के औजारों, शक्ति यंत्रों, आदि की जहां से भी मांग आती है, हम उसे पूरा करते हैं । हम स्वयं उन्हें लिखते हैं कि अमुक सुविधायें उपलब्ध है, विशेषकर यह कि शक्ति चालित छिकड़ने के यंत्र और अच्छे बीज उपलब्ध है । हम राज्य सरकारों को यह बताने का प्रयत्न करते हैं और हम उनके विचारों से भी लाभ उठाते हैं । जहां से भी मांग आती हैं हम उसे जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में उल्लेख है कि योजना लक्ष्य काफी प्राप्त हो जायेंगे । खाद्य मंत्रालय का इतना आशावान होने का क्या कारण है और 'काफी' शब्द का प्रतिशत रूप

---

†मूल अंग्रेजी में

में, १०० प्रतिशत, ९० प्रतिशत, ९५ प्रतिशत या ८० प्रतिशत, अर्थात क्या अभिप्राय समझा जायेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय सदस्य भाषा को अपेक्षतया अधिक समझते हैं ? तीसरी पंच वर्षीय योजना का खाद्य का लक्ष्य १० करोड़ टन का है । परन्तु खाद्य तथा कृषि मंत्रालय या कोई भी कह सकता है कि यह ठीक १० करोड़ टन नहीं होगा । यह कुछ अधिक या कम हो सकता ह, और जब हम "काफी" कहते हैं कि तो इसका अर्थ ठीक १०० प्रतिशत नहीं होता । इसका अथ होता है लगभग १०० प्रतिशत ।

†**श्री त्यागी** : मंत्री जी के उत्तर से मैं समझता हूं कि संबंधित अनेक विभागों के कार्य को कृषि के साथ समन्वय करने की कार्यकारी दल की सिफारिशें लागू किये जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दी गई है । विभिन्न राज्य सरकारों को ये अनुदेश देने से पहिले क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वयं को ठीक कर लिया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : राष्ट्रीय विकास परिषद् की अन्तिम बैठक में भारत सरकार और योजना आयोग तथा मुख्य मंत्री उपस्थित थे और खाद्य तथा कृषि मंत्री ने एक कृषि उत्पादन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया था जिसमें कार्यकारी दल के मत पर्याप्त रूप में परिलक्षित होते हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या कोई व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उस बोर्ड की एक बैठक हो चुकी है और सामुदायिक विकास, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियां समन्वित रूप में कार्य कर रही हैं । समन्वय करने में कोई कठिनाई न होगी । दूसरी बैठक बहुत जल्द होगी और वह उद्देश्य प्राप्त होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से पता लगता है कि पटसन उगाने वाले राज्यों को ३ करोड़ रु० दिये जायेंगे । क्या इस राशि में से कोई अंश स्वयं किसानों को दिया जायेगा या राज्य सरकारें इसे किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग करेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : अधिकतर इसका प्रयोग किसानों के लिए होगा, क्योंकि हमने यह विधि केवल १ ½ महीना पहिले बनाई थी और इसका प्रयोग राज्य सरकारें करेंगी । यह धन राज्य सरकारों द्वारा किसानों को तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बिना ब्याज के दिया जायेगा । अतः अधिकतर उत्पादक इसे मुलायम बनाने की सुविधाओं की व्यवस्था तथा पटसन की किस्म का विकास करने के लिए प्रयोग करेंगे ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार का स्पष्ट विचार कृषि का नियमन तथा नियन्त्रण करने की बजाये उसे प्रोत्साहन देने का है और यदि हां, तो कृषि उत्पादन की समूची समस्या की पुनः जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा विचार इतना स्पष्ट है जितना कि कोई भी किसान चाहेगा कि हमारा विचार हो ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मन्त्री जी ने बताया कि वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव को-आर्डिनेशन किया जायेगा । कई ऐसी स्टेट्स हैं, जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ब्लाक डेवेलपमेंट डिपार्ट-

---

†मूल अंग्रेजी में

मेंट एक साथ हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक ब्लाक डैवलपमेंट डिपार्टमेंट को अलग नहीं किया जायेगा, तब तक प्राडक्शन कैसे बढ़ेगा। इस विषय में मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह समस्या माननीय सदस्य के राज्य में है ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मन्त्री का भी वही राज्य है।

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों का राज्य हैं, तो फिर घर में ही फ़सला क्यों नहीं कर लेते ?

डा० राम सुभग सिंह : हर राज्य में वे अलग हो गए हैं और यदि हम लोग मिल कर निवेदन करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि उस राज्य में भी माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान न दिया जाये।

दिल्ली-लखनऊ सीधा टेलीफोन सम्पर्क

+

†*६११. { **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या डाक और तार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक टेलीफोन की सीधी डायलिंग व्यवस्था द्वारा दिल्ली को लखनऊ से मिलाने के लिए उपकरण लगाया जा रहा है ; और

(ख) योजना की लागत क्या है, तथा यह नई व्यवस्था कब तक चालू हो जायेगी ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) अतिरिक्त उपकरणों की लागत लगभग ५ लाख रुपये है। आशा है कि नयी प्रणाली मई, १९६४ से चालू हो जाएगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : परियोजना के लागू होते हुए इसमें इतना समय क्यों लग रहा है ?

†**श्री भगवती** : हमने आई०टी०आई०को सामान के लिए आदेश दे दिया है। सामान के प्राप्त होने पर, ये चीजें लगा दी जायेंगी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : और किन लाइनों पर ये सम्पर्क लगाये जायेंगे और उनमें कितना समय लगगा ?

†**श्री भगवती** : हम ३२ स्थानों पर टेलीफोन रखने वाले व्यक्ति द्वारा डायलिंग व्यवस्था तीसरी योजना में आरम्भ कर रहे हैं परन्तु इसके लिए हमें मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कानपुर में स्वचालित एक्सचेंज बनाने होंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह लखनऊ तक सीधी लाइन होगी या यह पूर्व की ओर की—कलकत्ता की ओर की—लाइन का भाग होगी ?

†**श्री भगवती** : हमने कलकत्ता के लिए पहिले ही को-एग्जियल केवल लगा दिये हैं। यह तो दिल्ली से लखनऊ तक टेलीफोन रखने वाले व्यक्ति द्वारा डायलिंग सुविधा है। हम यह सुविधा दिल्ली से कानपुर, आगरा से कानपुर और कानपुर से वाराणसी के लिए भी करेंगे। कलकत्ता के लिए इस सुविधा की व्यवस्था चौथी योजना में की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ

+

*६१२. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :
श्री हेडा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ के उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं जिसको केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसन्धानशाला, मैसूर ने विकसित किया था तथा जिसमें सस्ते दामों पर ही जन-साधारण को उच्च कोटि के प्रोटीन उपलब्ध हो जाते हैं ;

(ख) इसका प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ कारखाने पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) मील्स फार मिलियन एसोसिएशन, नई दिल्ली, कोयम्बटूर में श्री रंगविलास जिन निंग एण्ड आयल मिल्स का कारखाना और मैसूर के केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिक अनुसन्धान संस्थान के पाइ-लट संयन्त्र में बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। मांग के बढ़ते ही इसकी सप्लाई में वृद्धि कर दी जाएगी ।

(ख) बहु-प्रयोजनीय खाद्य पदार्थ के प्रयोग तथा प्रचार के लिए सरकार द्वारा स्वेच्छिक एजेंसियों को तदर्थ सहायक अनुदान दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसन्धान संस्थान का विस्तार एकक, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के चलते फिरते खाद्य और पोषाहार विस्तार एकक और खान-पान प्रौद्योगिकी और व्यवहारिक पोषाहार संस्थान भी प्रदर्शनों, भाषणों आदि के द्वारा बहु-प्रयोजनीय खाद्य पदार्थों का प्रचलन और प्रचार कर रहे हैं । राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों से स्कूलों में खाना देने के कार्यक्रमों में इस खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने के लिए कहा गया हैं। मद्रास सरकार ने अपने स्कूलों में खाने देने के कार्यक्रमों में बहु-प्रयोजनीय खाद्य पदार्थ का पर्याप्त मात्रा में उपभोग कर पहल की है। पश्चिमी बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश की सरकारों की १९६४ में इस खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए १ टन प्रतिदिन क्षमता के एकक स्थापित करने की भी योजनाएं हैं। आशा की जाती है कि राज्य सरकारें स्कूलों में खाना देने तथा अन्यत्र इसका उपयोग करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) मैसूर में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसन्धान संस्थान के पाइलट एकक जिसकी क्षमता लगभग १ टन प्रति दिन है को छोड़ कर सरकार का बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ बनाने का कोई कारखाना नहीं है। तथापि कोयम्बटूर में ३-४ टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एक कारखाना है जो कि एक निजी उद्योग अर्थात् श्री रंगविलास जिननिग एण्ड आयल मिल्स का है। पता चला है कि कोयम्बटूर स्थित कारखाना मद्रास सरकार की मांगों को पूरा कर रहा है और आदेशों पर बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थों का भी निर्माण कर रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : केरल, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले कारखाने गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित होंगे अथवा सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री शिन्दे** : पश्चिम बंगाल में ये सरकारी क्षेत्र में होंगे। उत्तर प्रदेश में ये गैर-सरकारी उद्योग के सहयोग से होंगे। केरल में ये सरकारी क्षेत्र में होंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैसूर में खाद्य तथा प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार कोई और कारखाना स्थापित करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : कोयम्बटूर में गैर सरकारी क्षेत्र में रखा है जिसको केन्द्रीय खाद्य तथा प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, कोयम्बटूर द्वारा सहायता दी जाती है। बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ के लिए मूलभूत उत्पाद भूंगफली का आटा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में दो योजनायें, यूनीसैफ की सहायता से एक बम्बई में तथा दूसरी मद्रास में स्थापित करने की है। तथा यह है कि प्रत्येक कारखाने के लिये खाद्य मूंगफली के ३ ००० टन आटे के उत्पादन का है तथा उन्होंने उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

†**श्री हेडा** : ये ३० ०० टन वार्षिक अथवा मासिक अथवा दैनिक कौनसा लक्ष्य है।

†**श्री अ० म० थामस** : यह वार्षिक लक्ष्य है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : देश में बहुप्रयोजनीय खाद्य पदाथ का प्रचलन करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं। यदि प्रयत्न किए गए हैं तो क्या उनको बताया जा सकता है ?

†**श्री शिन्दे** : कुछ राज्यों में विस्तृत चलते फिरते एकक स्थापित किए गए हैं। तथा १९६४ में तीन और राज्यों में इनको चालू करने का विचार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री चक्रवर्ती।

†**श्री त्यागी** : क्या वह अच्छे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस प्रश्न को प्रमाणीकृत नहीं किया गया हो उसका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस आधार पर कि कुछ वर्ष पूर्व यूनीसेफ ने मील्स फार मिलियन्स एसोसिएशन को दो संयन्त्र दिए थे क्या उनका उचित प्रयोग हो रहा है तथा क्या सरकार का विचार केवल उन्हीं को वितरण अभिकरण बनाने का है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यूनीसैफ द्वारा दिए गए संयन्त्रों का निष्कर्ष मैंने पहले उत्तर में दिया था। मील्स फार मीलियन्स एसोसिएशन को कोई संयन्त्र नहीं दिया गया था। सच यह है कि गैर सरकारी क्षेत्र में यूनीसैफ तथा केन्द्रीय सरकार में मिल कर बनाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मल्टी-परपज फूड बनाया जा रहा है, क्या उसको विदेशों में भी भेज़ने का विचार है ?

†**श्री शिन्दे** : क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को दोहरा देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती सावित्री निगम ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ बनाने का संयन्त्र भारत में बनाया जायेगा अथवा उसका आयात किया जायेगा ?

†**श्री शिन्दे** : इसका निर्माण भारत में किया जायेगा ।

श्री सरजू पाण्डेय : अभी मानीय मन्त्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्कीम दूसरे देशों के सहयोग से चलाई जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मुख्य स्कीम क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश में मल्टी परपज फूड तैयार करने के लिए बनाई जा रही है ।

†**श्री शिन्दे** : सभी राज्यों में योजना एक प्रकार की ही है । इसके कच्चे माल में अंशतः मूंगफली का तेल अंशतः बंगाल के चने का आटा तथा कुछ विटामिन और खनिज होंगे ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : विवरण के अनुसार इस समय बड़े सुन्दर नाम वाला कारखाना है अर्थात् श्री रंगविलास जिनिंग एण्ड आयल मिल्स, कोयम्बटूर । इसमें बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ बनाया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ बनाने के लिए गैर-सरकारी कारखानों को किस आधार पर लाइसेंस दिए जाते हैं और क्या जनता से इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि श्री रंगविलास जिनिंग एण्ड आयल मिल्स, कोयम्बटूर इस वस्तु से अनुचित लाभ उठा रही है ।

†**श्री अ० म० थामस** : पहले तो हमें इसकी मांग बढ़ानी पड़ेगी तथा विस्तार सेवाओं के द्वारा हम मांग बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए तेयार नहीं है। हमें मद्रास तथा बम्बई में मूंगफली का आटा बनाने के मामले में भी कठिनाई हुई। इसलिए किसी गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा अनुचित लाभ उठाने का प्रश्न नही उठता है। श्री रंगविलास जिनिंग एण्ड आयल मिल्स, कोयम्बटूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ के लिए संयन्त्र लगाने में सहायता करेगी। यह कम्पनी मांग पूरी करने को तैयार है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं आधार तथा शर्तें जानना चाहता था जिनके अधीन लाइसेंस दिए जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विस्तृत प्रश्न है ।

†**श्री अ० म० थामस** : कोई शर्त नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मर्जी के अनुसार ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या केरल के कारखाने में टेपियोका का भी इस्तेमाल किया जाता है ।

†**श्री अ० म० थामस** : यह खाद्य पदार्थ प्रौटीन की कमी को पूरा करने के लिए है । इसलिए टेपिओका का इस्तेमाल नहीं होगा ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : बहु प्रयोजनीय खाद्य पदार्थ में कितनी कैलोरी होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : मूंगफली के आटे में ७५ प्रतिशत तथा बंगाली चने के आटे में २५ प्रतिशत होगी ।

श्री शिवनारायण : इसकी पर किलो कीमत क्या है और क्या सत्तू भी इसमें शामिल है ?

†**श्री शिन्दे** : इससे क्या क्या होगा इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं । इसका मूल्य १ रुपये ५० नये पैसे प्रति किलोग्राम होगा ।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैसूर खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था इस निर्णय पर पहुंची है कि इस बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ का निर्माण वाणिज्यिक रूप में भी किया जायेगा । क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कोई धन मांगा है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री अ०म० थामस**: मैसूर के कारखाने में उत्पादन केवल १टन प्रति दिन होता है। यह आरम्भिक कारखाना है उस ने हम से बड़ा कारखाना स्थापित करने के लिए नहीं कहा है । यह एक अनुसन्धान संस्था है इसलिये वाणिज्यिक तौर पर इस को चलाना संभव नहीं है । हम और कारखाने स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि संभव हुआ तो हमारा प्रत्येक राज्य में बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ बनाने का कारखाना स्थापित करने का विचार है ।

श्री राम सेवक यादव : यह जो मल्टी-परपज खांद्य पदार्थ है, इस को सस्ते दामों पर केन्द्रीय सरकार के गरीब मंत्रियों को उपलब्ध कराने की भी क्या कोई व्यवस्था है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री वारियर ।

नये नौवहन समवाय

†*६१३. **श्री वारियर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में स्थापित किये गये नये नौवहन समवायों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ख) इन समवायों की पूंजी में विदेशी अंश कितना है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तथा (ख) सात नये नौवहन समवाय गत तीन वर्षों अर्थात् १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में स्थापित किए गए हैं । समवायों के नामों और उनकी पूंजी में विदेशियों के सहयोग का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१३७/६३]

†**श्री वारियर** : सरकार की नीति परिवर्तन के बाद तथा सरकार को नौवहन समवायों से विदेशी सहयोग के कुछ आवेदन पत्र पत्र मिले हैं जिन पर अभी निर्णय किया जाना बाकी है ?

†**श्री राज बहादुर** : चार समवाय ऐसे हैं जिन्हों ने ४० प्रतिशत तक विदेशी सहयोग लेने के लिए कहा है । वे रत्नाकर शिपिंग कम्पनी, ठाकुर शिपिंग कम्पनी, शक्ति शिपिंग कम्पनी तथा एक श्री ए० के० चन्दा द्वारा बनाया गया समवाय है ।

†**श्री वारियर** : सरकार ने इतनी लम्बी अवधि तक इन आवेदन पत्रों पर क्यों निर्णय नहीं लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : आवेदन पत्रों के लम्बित करने का प्रश्न ही नहीं है । समवायों को स्वयं प्रबन्ध करना है तथा समझौता करना है । जितनी संभव सहायता हम दे सकते हैं हम वह उन को देने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम को प्रस्तावों की जांच करने में समय अवश्य लग रहा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : आप की स्टेटमेंट को देखने से जाहिर होता है कि कुल सात कम्पनियां हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन सात कम्पनियों में से किसी के पास कोई जहाज भी हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां । अगर आप जहाजों की गिनती सुनना चाहते हैं तो वह भी मैं आप को सुना देता हूं । रत्नाकर शिपिंग कम्पनी के पास चार जहाज हैं, अकूजी जादवेट कम्पनी के पास चार जहाज हैं, जयन्ती शिपिंग कम्पनी के पास सत्तरह जहाज हैं, लक्ष्मी लाइन्ज के पास तीन जहाज हैं, राजकुमार लाइंज के पास एक जहाज है, और सेन एंड कम्पनी के पास एक जहाज है और ईस्ट इंडिया टैकर्ज एण्ड शिपिंर्ज के पास एक जहाज है । कुल मिला कर ३१ जहाज हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह चीज आप के स्टेटमेंट में नहीं थी ।

श्री राज बहादुर : यह चीज पूछी नहीं गई थी ।

बेकार पड़े हुए नलकूप

†*६१४. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण दो या दो से अधिक वर्षों से विभिन्न राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में गहरे नलकूप बेकार पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई करने की अत्यधिक क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में ऐसे बेकार नल-कूप कितने हैं और केन्द्रीय सरकार इन नलकूपों को राज्य सरकारों से शीघ्र बिजली दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) नहीं, श्रीमान् : जहां तक भारत सरकार को विदित है बहुत कम नल कूप बिजली न मिलने के कारण पिछले दो या अधिक वर्षों से बेकार पड़े हैं ।

(ख) बिहार और पश्चिम बंगाल में कोई बेकार नल कूप नहीं है । भारत सरकार को मिले सामयिक प्रतिवेदनों से पता लगता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नल कूप नहीं हैं । इस प्रश्न पर विशिष्ट जानकारी मांगी गई है और मिलने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि इस देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें बिजली की कोई कमी नहीं है परन्तु फिर भी वहत राज्य बहु से नलकूपों को बिजली नहीं दे सके हैं । क्या सामान्यतः वह राज्य बिजली न देने का यह कारण बताते हैं कि नलकूप बिजली की लाइन के साथ साथ नहीं है । यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस बात को ठीक समझती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक प्रश्न छोटा तथा शीघ्र होना चाहिये । कई प्रश्नों वाले लम्बे वाक्य नहीं होने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है हम ने राज्य सरकारों को लिखा और राज्य सरकारों ने जो सूचना हमें दी उस के अनुसार कोई भी नलकूप बेकार नहीं पड़ा है। उड़ीसा से हमें खबर मिली है कि ९ नलकूप बेकार पड़े हैं जिनमें ५ बिजली न होने के कारण बन्द हैं। पंजाब से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट से मालूम होता है कि ६,९८० नलकूपों में से, ६८६५ में बिजली लग चुकी है जिन में से १५० नलकूप गत महीने में ही बन कर पूरे हुए हैं और उन के चालू होने में समय लगेगा।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या सरकार जानती है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहुत से नलकूप पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिजली की कमी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को मालूम नहीं है।

†**श्री शिव नारायण** : क्या यह सच है कि बिजली मिल जाने पर भी उत्तर प्रदेश में कुछ नलकूप काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नालियां नहीं खोदी गई हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : उत्तर प्रदेश के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। हमें इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से सामयिक प्रतिवेदन मिले हैं। सिंचाई कार्यों के लिये बिजली के प्रयोग के प्रश्न पर हम ने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा है और वह आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने नलकूप विशेषतया गन्ने वाले क्षेत्र में, बेकार पड़े हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैं ने बताया उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार ९,९८० नलकूपों में से ६,८६५ में बिजली लगा दी गई है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या नलकूपों की ड्रिलिंग करने की स्वीकृति देने से पहले ऐसी कोई शर्त है कि बिजली मिल जानी चाहिये तथा तभी नलकूप को चलाने की अनुमति मिलेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : नलकूप बिजली से ही नहीं अपितु डीजल तेल से भी चल सकते हैं। जहां कहीं हम यह काम करते हैं राज्य सराकारें हमें आश्वासन देती हैं कि आवश्यक सुविधा उपलब्ध कर दी जायेगी।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव विभाग द्वारा जो ट्यूबवैल खोदे गये हैं उन में से अधिकतर बेकार पड़े हुए हैं और वर्किंग में नहीं आ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह इन्फार्मेशन वे दे चुके हैं ?

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नोटिस में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश में बिजली मंहगी होने की वजह से ज्यादातर किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस से पानी नहीं देते हैं।

श्री अ० म० थामस : उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं। हम मुख्य उत्तर में ही बता चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि बिजली बहुत मंहगी है इसलिये वह उस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस का जवाब हां में है क्योंकि वहां बिजली की दर १७ नये पैसे प्रति यूनिट है और दूसरी जगहों में कम है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जिन क्षेत्रों में सरकारी नलकूप देर तक बेकार पड़े रहते हैं और किसान अपने नलकूप लगा कर कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं मगर सरकार यह कह कर उन को टाल देती है कि चूंकि यह कमान्ड एरिया है इसलिये वहां दूसरा कोई नलकूप नहीं लगा सकता, मैं जानना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सरकार कोई ऐसा विचार कर रही है कि उन को अपने नलकूप लगाने की सुविधायें दी जायें ।

डा० राम सुभग सिंह : उत्तर प्रदेश में पहले नलकूपों का कमान्ड एरिया ७०० एकड़ रक्खा गया था । गत वर्ष हम लोगों ने वहां के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री से बात चीत की और वे लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कमान्ड एरिया कम किया जाये। वहां पर एक नई बात चालू कराई गई है कि कमान्ड एरिया में भी नो आब्जैक्शन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट दे । और प्रदेशों में भी यह रिवाज चलाया जा रहा है । धीरे धीरे नलकूपों को दुरुस्त कराने की कोशिश की जायेगी ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (कोटा) : इन नलकूपों के बन जाने के बाद इन में बिजली लगाने में कितना समय लग जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंजाब में बने हुए नलकूपों के बारे में शिकायत थी कि उन को बहुत समय तक चालू नहीं किया। परन्तु हमारी जानकारी है कि सभी चालू हो गए हैं । अब पहले जैसी देर नहीं है ।

श्री क० ना० तिवारी : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यू० पी० और बिहार में पावर का रेट ज्यादा है इसलिये किसान इस समय इलैक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट सोच रही है कि उसे कम किया जाये ताकि किसानों को सुविधा मिल सके ।

डा० राम सुभग सिंह : दो महीने हुए जब कि हम लोगों ने प्रत्येक राज्य सरकार से इस बात के समाचार जानने की कोशिश की कि उन की दरें कितनी कम की जा सकती हैं । यह सही है कि उत्तर प्रदेश में १७ नये पैसे और दक्षिण बिहार में १५ नये पैसे तथा उत्तर बिहार में करीब २३.९२ या इस से कुछ सस्ती वह बिजली है । इन दरों में एकरूपता लाने के लिये हम लोगों ने सिंचाई मंत्रालय से निवेदन किया है कि ९ नये पैसे प्रति यूनिट इस की दर की जाये । लेकिन उन लोगों ने कहा है कि अगर हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे तो कम से कम ९ नये पैसे प्रति यूनिट किसान दें और उस से ज्यादा अगर खर्च आये इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो उसे या तो इरिगेशन मिनिस्ट्री या फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या राज्य सरकार वहन करें, कोई ऐसी व्यवस्था की जाये। अभी इस पर विचार हो रहा है । इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बोर्ड में भी इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में नलकूपों के कार्यकरण के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों की लघु सिंचाई दल द्वारा पेश की गई रिपोर्टों को देखा है तथा उन रिपोर्टों के आधार पर उत्तर भेजा है ।

†**श्री अ० म० थामस** : अब राज्य द्वारा जानकारी दे दी गई है । हमने रिपोर्टों को पढ़ा है और राज्य सरकारों की टिप्पणियों को देखा है । उसी के आधार पर उत्तर दिया गया है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि पंजाब असेम्बली में दो दिन तक चर्चा रही कि पंजाब सरकार ३ नये पैसे प्रति यूनिट में बिजली तैयार करती है और किसानों से १०० नये पैसे प्रति यूनिट चार्ज करती है । यदि हां, तो सरकार इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिये क्या कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० म० थामस : हम ने पंजाब सरकार को लिखा है कि जो दर नहर सिंचाई के हैं वही इस के भी होने चाहियें । नवीनतम रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि उन्हों ने भी वही दर लागू कर दिए हैं जो ९ नये पैसे से भी कम होंगे ।

अप्रयुक्त रसायन

\+

†*६१५. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बसुमतारी :
श्री बालकृष्णन् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के बन्दरगाह के गौदाम में तथा नागपटनम और कडलूर के गोदामों में डालर क्षेत्र से आयात किया गया रासायनिक खाद पड़ा है और उस का प्रयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर खाद की कितनी मात्रा अप्रयुक्त पड़ी है, उस का मूल्य कितना है एवं वह कब से अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ग) उस के प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मद्रास के पत्तन गोदामों में १८४७ टन अमोनियम सल्फेट पड़ा है । नागपटनम् तथा कडलूर के गोदामों में आयात किया गया भंडार उपलब्ध है ।

(ख) जानकारी नीचे दी जा रही है ।

स्थान	मात्रा (मीटरी टनों में)	कब से पड़ा है	मूल्य
मद्रास पत्तन गोदाम	८२४	५-९-६३	डालर २७–३३ लागत और और डालर २६–९०
	१०२३	४-१०-६३	भाड़ा प्रति मीट्रिक टन =डालर—४४६८५–५२ डालर २६.२७ लागत और डालर २५–८४ भाड़ा प्रति मीटरी टन-डालर ५३३०८–५३
जोड़	१८४७		डालर ९७९९४–०४

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्योंकि सामग्री का इकट्ठा आयात किया गया था इसलिये मिलने पर उसको ोरों में भर दिया गया। मद्रास पत्तन पर सुविधाओं की कमी के कारण यह संभव नहीं था कि राज्य सरकारों को संभरण करने से पहले बोरों का मानक कर दिया जाता। राज्य सरकारों के सुझाव के अनुसार प्रति मीटरी टन मानक भार २.५० रुपये बढ़ाने का निर्णय किया गया है। आशा है कि शेष भंडार भी शीघ्र उठा लिया जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि मंत्री ने यह कारण बताया है कि पत्तन पर मानक क्षमता कम होने के कारण उर्वरक गोदामों में पड़ा है। क्या सरकार को इस की जानकारी नहीं थी तथा यदि जानकारी नहीं थी तो इस को किसी अन्य पत्तन पर क्यों नहीं भेजा गया था ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह मालूम था। हमें मैसूर, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण भाग के बन्दरगाहों की आवश्यकता पूर्ति करनी थी। अतः वहां पर मद्रास से उर्वरक का आयात किया गया है। परन्तु इस वर्ष क्योंकि इकट्ठा उर्वरक १० डालर प्रति टन सस्ता था इस लिये उस का इकट्ठा आयात कर लिया गया था। हम राज्य सरकारों को मानक भार २.५० रुपये सहायता दे रहे हैं। अब मैं इस का ध्यान रखूंगा कि पूरा भंडार शीघ्रता से हटा दिया जाये। हम बोरों का मानक करना चाहते हैं और ऐसा करने में अधिक समय नहीं लगेगा। बोरों की उपलब्धता कठिन समस्या है और यह कठिनाई शीघ्र ही दूर कर दी जायेगी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्योंकि मानक भार २.५० रुपये प्रति मीटरी टन बढ़ा दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि तब से गोदामों से कितने बोरे उठा लिए गए हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैसूर सरकार ने आदेशानुसार पूरा कोटा उठा लिया है और हम ने मद्रास के मुख्य मंत्री तथा कृषि मंत्री से बातचीत की है और वह भी शीघ्रता कर रहे हैं तथा दो अथवा तीन महीनों में पूरा भंडार उठा लिया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या पहली बार ही इकट्ठा मद्रास पत्तन से इस रसायन का आयात किया गया था और यदि हां, तो क्या वहां पर मानक बोरों की व्यवस्था है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : सामान्यतः हम इस व्यवस्था को पसन्द करते हैं। तथा भविष्य में हमारा यही कार्यक्रम होगा परन्तु क्योंकि यह उर्वरक सस्ता होता है इसलिये हम ने यह ठीक समझा कि यहां लाकर उसको बोरों में भरा जाये। क्योंकि ऐसे उर्वरक के मूल्य २५ से २६ रुपये प्रति टन होते हैं जब कि बोरों में भर कर के ५० रुपये प्रति मीटरी टन होते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार का ध्यान रूसी प्रधान मंत्री श्री निकिता ख्रुश्चेव के भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कृषि उत्पादन में उर्वरक का बड़ा हाथ होता है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन रसायनों के आयात पर अधिक ध्यान देने का है जिस से देश में इन के उपयोग तथा निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जा सके।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विभिन्न प्रकार के रसायनों तथा उर्वरकों का निर्माण कार्यक्रम बनाया गया है तथा तीसरी योजनावधि में लगभग ८ लाख टन उर्वरक बनाने की आशा है। हमें श्री ख्रुश्चेव तथा अन्य नेताओं के वक्तव्यों की पूरी जानकारी है।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : बोरों के भरने की कठिनाई होने के कारण क्या कोई प्रयत्न किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में वैगनों तथा ट्रकों के द्वारा उर्वरक का परिवहन किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : हाल में ही केवल छः महीने पहले पंजाब ने आवेदन भेजा था तभी हमने कार्यक्रम चालू किया था । अब हम ट्रकों से परिवहन कर रहे हैं ।

†श्री सोनावने : क्या यह सच है कि उर्वरकों के मूल्य अधिक होने के कारण इस का योग नहीं किया गया है तथा क्या सरकार किसानों के लिए इस का मूल्य कम करने के बारे में विचार कर रही है ।

†डा० राम सुभग सिंह : पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि हम चार प्रकार के उर्वरकों के मूल्य कम करने के बारे में विचार कर रहे हैं । मामला विचाराधीन है क्योंकि इस को वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग भेजा जाना है । उर्वरकों का लदान करने में उर्वरकों का वितरण करने वाली सहकारी समितियों को भी कठिनाई हो रही है क्योंकि उन को धन आदि का भी प्रबन्ध करना होगा ।

†श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या लन्दन में खाद्य तथा कृषि संगठन में ब्रिटिश प्रोफेसर द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पी० एल०--४८० के अधीन किए गए आयात ही देश में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आने के लिए जिम्मेदार है तथा यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पी० एल०--४८० के अधीन उर्वरकों का आयात करने का है ?

†डा० राम सुभग सिंह : हम इस सुझाव का लाभ उठायेंगे ।

माइक्रोवेव ट्रंक टेलीफोन

†*६१७. { +श्री हेडा :
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :
श्री मोहन स्वरूप : }

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी ट्रंक टेलीफोन सेवाओं में माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंग) पद्धति लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) योजना पर कितना धन व्यय होगा; और

(घ) यह योजना कब पूरी होगी ?

†डाक और तार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में (१) कलकता को उत्तरी बंगाल और आसाम से (२) अम्बाला को चण्डीगढ़ और शिमला से और (३) जालंधर को जम्मू और श्रीनगर से जोड़ने वाली और (४) कलकता को खड़गपुर से जोड़ने वाली योजनायें शामिल की गई हैं ।

(ग) २.७७ करोड़ रुपये ।

(घ) तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ।

†श्री हेडा : आय-व्ययक सत्र में उस समय के मंत्री श्री जगजीवन राम ने सभा को बताया था कि योजना आरम्भ की जायेगी और आसाम को दिल्ली से माइक्रोवेव के द्वारा वर्ष के अन्त से पहले

---

†मूल अंग्रेजी में

जोड़ दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि विलम्ब के क्या कारण हैं । क्या सरकार को इस सीमा क्षेत्र को राजधानी से जोड़ने की कब तक आशा है ?

†श्री भगवती : हम ने जापानी सार्थ से ठेका किया है और वह इस वर्ष उपकरण दे देंगे । तभी १९६४ के अन्त तक योजना पूरी होगी । मुझे खेद है कि योजना को इस से अधिक शीघ्र पूरा करना संभव नहीं होगा ।

†श्री हेडा : क्या जापानी सार्थ द्वारा उपकरण दिये जाने के लिये कोई निश्चित तिथि तय कर ली गई है ।

†श्री भगवती : जापानी विशेषज्ञों ने देश में स्थान चुन लिया है और यथा संभव शीघ्र उपकरण भेज देंगे । कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : इस आधार पर कि जम्मू तथा काश्मीर को मिलाने वाली टेलीफोन प्रणाली सामान्यत: टूट जाती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली की समस्या को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†श्री भगवती : हमारा विचार जम्मू तथा काश्मीर में भी माइक्रोवेव लागू करने का है ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इस को प्राथमिकता दी जायेगी ।

†श्री भगवती : हम ने इस को प्राथमिकता दे रखी है और इस को १९६५ तक पूरा किया जा रहा है ।]

†श्री ब्रज राजसिंह कोटा : क्या यह प्रणाली भारत में विकसित कर ली गई है अथवा क्या उपकरण का आयात किया जा रहा है ?

†श्री भगवती : हम जापान से उपकरण आयात कर रहे हैं । हमारे अनुसन्धान केन्द्र डिजाइन बना रहे हैं तथा बाद में इन का देश में निर्माण किया जायेगा ।

†डा० रानेन सेन : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली क्या है । यह नई मालूम होती है ।

†श्री भगवती : पूरे ब्यौरे बताना कठिन है । परन्तु यह रेडियो रिले प्रणाली है । यह माइक्रोवेव प्रणाली कहलाती है । क्योंकि इस से प्रयोग की गई रेडियो वेव छोटी होती है ।

†श्री कपूर सिंह : माइक्रोवेव तथा रेडियोवेव में क्या अन्तर है ?

अन्तर-सरकारी सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन

+

†*६१८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भो० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में हाल में हुए अन्तर सरकारी सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन के तीसरे अधिवेशन में भारत ने भी भाग लिया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस में किन विषयों पर चर्चा हुई थी तथा उस के क्या परिणाम निकले थे ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१३८/६३]

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत इस संगठन को क्या अंशदान दे रहा है, और भारत को इस से क्या लाभ पहुंच रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं अंशदान की सही राशि नहीं बता सकता । परन्तु हमें इस से पर्याप्त लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि यह एक सरकारी निकाय है । यह एक अन्तर-सरकारी सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन है जो पारस्परिक हित और नौवहन के विभिन्न पहलुओं के विकास के बारे में विचार करता है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार इस हालत में है कि सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन के लिये सरकार को रशिया की इमदाद न लेनी पड़े, और भारत के इंजीनियर्स इस काम को कर सकें ?

श्री राज बहादुर : सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन से तो इस सवाल का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस सम्मेलन में चर्चा का विषय पहले दर्जे के आधुनिक पत्तनों का विकास भी था और यदि हां, तो क्या हम को इस से कोई लाभ हुआ है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे संदेह है कि इस सम्मेलन में पत्तनों के विकास के प्रश्न पर चर्चा हुई हो । इस का केवल नौवहन से सम्बन्ध है । इस में सामुद्रिक सुरक्षा के सम्बन्ध में विचार किया गया था । परन्तु पत्तनों के विकास पर नहीं ।

चावल की वसूली का कार्यक्रम

+

†*६२०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री ल० चं० बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष में चावल का स्टाक जमा करने और विभिन्न राज्यों को पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने के लिए अधिक चावल वसूल करने का कार्यक्रम इस मौसम में शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना स्टाक जमा किया जाना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों में वसूली पद्धतियों में यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो क्या ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) धीरे धीरे २० लाख मीट्रिक टन के चावल के रक्षित भांडार को बनाने का उद्देश्य है ।

(ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चावल की मिलों और थोक व्यापारियों के कर में वृद्धि कर दी गई है । आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में कर-व्यवस्था लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक राइस का क्या प्रोक्योरमेंट हो चुका है, और किस सूबे से सब से ज्यादा हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जैसा कि सभा को ज्ञात है चावल का उत्पादन गत वर्ष लगभग २७ से २८ लाख टन कम रहा । फिर भी हमने लगभग ६.७ लाख टन चावल और धान विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के खाते में प्राप्त कर लिया था ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार यह जानती है कि पंजाब का अच्छी किस्म का सारा चावल सरकार ले लेती है और पंजाबी लोगों को या तो घटिया किस्म का चावल खाना पड़ता है अथवा इसके बिना गुजारा करना पड़ता है, और यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है चावल वहां पर न्यूनाधिक एक व्यापारिक फसल है । ६६ ²/₃ प्रतिशत सरकार ले लेगी और शेष मात्रा पंजाब, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिये भी पर्याप्त होगी ।

†**श्री कपूर सिंह** : मेरा प्रश्न यह था । सारा बासमती चावल ले लिया जाता है और हमारे खाने के लिये वहां पर घटिया किस्म का चावल लाया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि अच्छी किस्म का चावल ले लिया जाता है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : जहां तक बासमती चावल का सम्बन्ध है, यदि इसके लाने ले जाने को रोक दिया गया तो मूल्य गिर जायेंगे और ऐसा करना उत्पादकों के हित में नहीं होगा । अत: मैं नहीं समझता कि बासमती चावल के इस लाने ले जाने के बारे में उत्पादकों को शिकायत है । यह चावल सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, परन्तु अन्य उपभोक्ता इस चावल को अधिक अच्छा समझते हैं और ऊंचे मूल्य देते हैं, इसलिये यह चावल अन्य राज्यों को चला जाता है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किसके हित के सम्बन्ध में कह रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे उपभोक्ता हैं । इसलिये, वे उपभोक्ताओं के हित की बात कह रहे हैं ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मेरा विचार है कि वे चावल बिलकुल नहीं खाते ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या राज्य व्यापार द्वारा चावल के समाहार की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है क्योंकि गत वर्ष आसाम में यह असफल रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य आसाम के चावल का समाहार करने की नीति के बारे में कह रहे हैं। आसाम सहकारी अभिकरण को उन्होंने चावल प्राप्त करने का एकाधिकार दे दिया था, परन्तु समाहार लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और इस अभिकरण ने संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया है। हाल ही में हम ने आसाम सरकार से बातचीत की थी और हमारा विचार है कि संतोषजनक व्यवस्था हो सकेगी ।

जहां तक आसाम का सम्बन्ध है लगभग ९०,००० टन से १ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और हमें आशा है कि वे इसे इकट्ठा कर लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस रक्षित भांडार का कितना प्रतिशत चावल स्थानीय रूप से प्राप्त किया जायेगा और कितना प्रतिशत आयात किये गये चावल से बनाया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह बताना बहुत कठिन है। जैसा कि सभा को ज्ञात है विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हम अधिक मात्रा में चावल का आयात नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त चावल की कमी संसार भर में है। बर्मा के साथ हमारा साधारण व्यापार करार है। कुछ मात्रा हम संयुक्त अरब गणराज्य से आयात करेंगे, और पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत हम लगभग २५०,००० टन चावल प्रति वर्ष आयात कर रहे हैं।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा जो चावल ख़रीदा जाता है वह कम क़ीमत में ख़रीदा जाता है और इस वास्ते गवर्नमेंट का स्टाक कम होता है और ऐक्सपोर्ट ज्यादा होता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सच नहीं है। मध्य प्रदेश में हाल ही में मूल्य बढ़ा दिये गये हैं।

†**श्री बड़े** : हाल ही से आपका क्या मतलब है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वर्तमान फसल के समाहार मूल्य बढ़ा दिये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तार सेवा

†*६०९. { **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : **श्री रिशांग किशिंग** : **श्री प्र चं० बरुआ** :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तारों को धीमी गति से भेजे जाने तथा विलम्ब से बांटे जाने के कारणों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). देश में प्रौद्योगिकीय विकास में शीघ्र प्रगति होने से तार देने की वर्तमान पद्धतियों का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है और जहां भी आवश्यक होता है तारों को तेज़ी से भेजने के लिये उन्नत तरीकों को अपनाया जा रहा है। निम्न उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है :—

(१) कार्यालयों के कार्यसमय में यथासम्भव वृद्धि।

(२) मार्स तार की प्रणाली के स्थान पर टेलीप्रिंटर की तीव्र गति वाली प्रणाली और सीधे सर्किट पर होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये वैकल्पिक सर्किटों की व्यवस्था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) मुख्य तार घरों और स्थानीय तार घरों के बीच संदेशों को दस्ती रूप से भेजना बन्द करना और उसके स्थान पर तार कनेक्शनों की व्यवस्था करना ।

(४) बड़े नगरों में क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों का खोलना ।

(५) उन सभी स्टेशनों पर जहां तार सेवा नहीं है बुकिंग और वितरण के लिये फोनोग्राम सुविधाओं का विस्तार करना ।

(६) महत्वपूर्ण नगरों में प्रिन्टरग्राम और टेलेक्स सेवाओं का विस्तार करना ।

(७) संकुचित तार सर्किटों के भार को कम करना ।

(८) ट्रांसमीशन और वितरण दोनों में काम को सुचारू रूप से करने के लिये पुनरीक्षित प्रोत्साहन योजना लागू करना ।

(९) तार भेजने की प्रक्रियाओं को सुधारना ।

(१०) ट्रांजिट में प्रक्रियाओं को कम करना ।

हवाई अड्डों की सुरक्षा

*६१६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते नियुक्त करने का सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये कब तक नियुक्त हो जायेंगे; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) से (ग). सिविल हवाई अड्डों के बचाव के लिए हिफ़ाजती इन्तजामात को और मजबूत बनाने के सवाल पर सरकार ग़ौर कर रही है ।

दिल्ली-आसनसोल को एक्सियल केबल[1]

†*६१९. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **डाक और तार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और आसनसोल के बीच जमीन के नीचे कोएक्सियल केबल डालने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) अब तक आसनसोल कलकत्ता सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) सम्पर्क कहां तक स्थापित हो गया है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**डाक और तार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ४·५ करोड़ रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Coaxial Cable,

(ग) सम्पर्क को स्थापित करने का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। जिन उपकरणों के लिये विदेशों को क्रयादेश दिये गये है उनके अप्रैल, १९६४ से अक्तूबर, १९६४ तक भारत आ जाने की आशा है। इनके मिल जाने पर दिसम्बर, १९६४ तक सम्पर्क चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जी० टी० रोड

†*६२१. **श्री बीरेन भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल में से गुजरने वाली जी० टी० रोड पर अधिक यातायात को कम करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय अपनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से उपाय अपनाये गये हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल में से गुजरने वाली ग्रांड ट्रंक रोड पर से अधिक यातायात को कम करने के लिये निम्न उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं :

(१) बल्ली (जिला हावड़ा) में विवेकानन्द पुल से हुगली जिला में सप्तग्राम तक ग्रांड ट्रंक रोड (एन० एच० संख्या २) के एक छोटे मार्ग का निर्माण। कार्य हो रहा है।

(२) तीन अन्य छोटे मार्गों का निर्माण :

(१) सप्तग्राम से शिमलागढ़ (२) बर्दवान में (३) आसनसोल में। इन की जांच हो रही है।

(३) पूर्वी रेलवे की हावड़ा-बर्दवान कार्ड लाइन के समानान्तर कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेसवे का निर्माण। निर्माण कार्य आरम्भिक अवस्था में है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के हवाई जहाज

†*६२२. **श्री कपूर सिंह** :
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक रास्तों पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के हवाई जहाजों के उड़ने और उतरने में विलम्ब के बारे में अक्सर ही शिकायतें हुई हैं ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बालकाट की उड़ान की जांच

†*६२३. **श्री जसवन्त मेहता** :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने २६ सितम्बर, १९६३ को सफदरजंग हवाई अड्डे से डैनियल बालकाट के उड़ जाने के मामले की जांच करने का आदेश हाल में ही दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जांच की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले की जांच के लिए किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). २६ सितम्बर, १९६३ को जिन परिस्थितियों में श्री डैनियल बालकॉट ने अपने पाइपर विमान में वायु यातायात नियन्त्रण अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त किये बिना सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़ान की, उनकी और जांच करने का निर्णय किया गया है। डाक और तार विभाग के सचिव श्री एल० सी० जैन को यह जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है। श्री जैन द्वारा की जाने वाली जांच के निर्देश पद निम्न होंगे :—

(१) उन परिस्थितियों की जांच करना जिनमें श्री डैनियल बालकॉट ने २६ सितम्बर, १९६३ को सफदरजंग हवाई अड्डे से वायु यातायात नियन्त्रण सफदरजंग से मंजूरी प्राप्त किये बिना अपने पाइपर विमान में उड़ान की और यह भी जांच करना कि जिन परिस्थितियों में श्री डैनियल बालकॉट इस प्रकार उड़ सके क्या उनमें असैनिक उड्डयन विभाग अथवा सुरक्षा से सम्बन्धित किसी विभाग अथवा सीमा शुल्क विभाग अथवा अन्य किसी सरकारी विभाग के अधिकारियों की कोई गलती थी ;

(२) जांच के फलस्वरूप सुनिश्चित तथ्यों के आधार पर सिफारिश करना कि श्री बालकॉट की अनाधिकृत उड़ान जैसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये क्या किसी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था अथवा विधि और नियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है।

प्रतिरक्षा श्रम बैंक

†*६२४. **श्री ह० चं० सोय** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा श्रम बैंक सम्बन्धी योजना के आरम्भ से ही इनकी स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उनका किस प्रकार उपयोग किया गया है और क्या अपने-अपने क्षेत्रों में खण्डों के लक्ष्यों पर उनका कोई स्पष्ट प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या उनके कार्यों के सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गयी है और यदि हां, तो किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) अधिकांश पंचायतों में प्रतिरक्षा श्रम बैंक स्थापित किये गये हैं। ३०-१०-१९६३ तक बैंक को १००६ लाख जन-दिन मिले हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रतिरक्षा श्रम बैंक के संसाधनों को किन कार्यक्रमों में लगाया जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २१३९/६३]** अब तक ८५ लाख जन-दिनों का उपयोग किया गया है और उसके आधार पर लगभग १.२५ करोड़ रु० के मूल्य का कार्य हो चुका है।

(ग) वार्षिक सम्मेलन तथा सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी जुलाई-अगस्त, १९६३ में हुए राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में योजना की क्रियान्विति की प्रगति की समीक्षा की गई

---

†मूल अंग्रेजी में

है। मुख्य कठिनाई श्रमदान के उपयोग में धीमी प्रगति की है और इसका कारण विस्तृत कार्यक्रमों को बनाने के लिये संगठन के प्रयास की कमी है। राज्य सरकारों से अधिकारियों के छोटे दलों द्वारा समस्या का विस्तृत अध्ययन करने, कठिनाइयों का पता लगाने और उपचारीय कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

मनी आर्डर फार्म

†*६२५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम राज :

क्या **डाक और तार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डर फार्म के मूल्य निश्चित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना मूल्य निश्चित करने का विचार है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विचाराधीन हैं।

गेहूं का खराब हो जाना

†*६२६. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के अजनी के निकट केन्द्रीय सरकारी भांण्डागार में रखा हुआ अमरीकी गेहूं बड़ी मात्रा में खराब हो गया है और मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है ;

(ग) खराब हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी वर्ग

†*६२७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ३ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डेरो' संबंधी परिवहन सहकारी समिति क्या पशुपालन सहकारी समिति तथा आवास सहकारी समिति संबंधी कार्यकारी वर्गों ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो संबंधित सहकारी समितियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए इन कार्यकारी वर्गों ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं तथा उन सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** (क) "आवास सहकारी समितियों" के कार्यकारी ग्रुप ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है। अन्य ग्रुपों ने अभी तक अपने प्रतिवेदन नहीं दिये हैं ।

(ख) आवास सहकारी समितियों संबंधी अध्ययन ग्रुप की मुख्य सिफारिशों का सारांश सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४०/६३**] इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

वन्य पशुओं की रक्षा

६२८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री वारियर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य पशुओं की रक्षा के लिए कई विशेष कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी कोई सुझाव भेजे गये हैं, और

(ग) क्या इसी उद्देश्य से शिकार करने पर भी किसी रूप में प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) इस विषय में जो सामान्य निर्देश जारी किये गये हैं उन के अतिरिक्त कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(ख) राज्य सरकारों को समय समय पर सुझाव देखकर उन का ध्यान वन्य पशुओं की रक्षा से सम्बन्धित कानूनों का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ग) वन्य पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध पहले से ही समस्त राज्यों में मौजूद है ।

तटीय व्यापार में लगे हुए टैंकर

†*६२९. **श्री वारियर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय व्यापारों में लगे हुए विदेशी टैंकरों तथा भारतीय टैंकरों द्वारा १९६२–६३ में कुल कितने टनभार तेल ढोया गया;

(ख) तटीय व्यापार में कितने भारतीय टैंकर लगे हुए हैं और उन का कुल पंजीबद्ध टनभार कितना है; और

(ग) किस तिथि तक तेल के समस्त तटीय व्यापार को, सामान्य माल के समान ही भारतीय जहाजों से ढोने का लक्ष्य बनाया गया है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १९.८२ लाख मीट्रिक टन विदेशी टैंकरों द्वारा तथा ४.९१ लाख मीट्रिक टन भारतीय टैंकरों द्वारा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २३,८२९ जी० आर० टी० के तीन टैंकर ।

(ग) अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में अनेक तेल शोधक कारखानों की प्रत्याशित स्थापना को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चित नहीं था कि भविष्य में व्यापार किस प्रकार का होगा तथा कितना होगा ?

चारा बैंक

†*६३०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री सोलंकी :
श्री प० ह० भील :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और गुजरात के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में चारा बैंक तथा चारा डिपो बनाने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या चालू वर्ष में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में इन चारा बैंकों से चारे की कमी पूरी हो जायेगी; और

(ग) सरकार ने चारे की खरीद, परिवहन तथा निःशुल्क अथवा उचित मूल्य पर वितरण के लिए क्या सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और गुजरात के पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा कोई चारा बैंक स्थापित नहीं किया गया है । तथापि गुजरात और राजस्थान की सरकारों ने अपने चारे के डिपो स्थापित किए हैं । दो चारा बैंक स्थापित करने के लिए एक केन्द्र द्वारा आयोजित योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी, परन्तु इस की क्रियान्वित को राष्ट्रीय संकटकाल के कारण स्थगित कर दिया गया था । योजना पुनः चालू की जा रही है । और अब स्थानीय आधार पर ५ चारा बैंक स्थापित करने का विचार है ।

(ग) मुफ्त चारा देकर अथवा सहायता प्राप्त दरों पर चारा संभरण कर के अकाल पीड़ित पशुओं के कष्ट निवारण की व्यवस्था करने के लिये, गोसंवर्धन को केन्द्रीय परिषद् के कोष में से राजस्थान और गुजरात सरकार को क्रमशः १ लाख रु० और ३०,००० रु० के सहायता अनुदान दिये गये हैं ।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये भारतीय लोक अकाल न्यास में से राजस्थान को २५,०००रु० का अनुदान मंजूर किया गया है और पंजाब और गुजरात प्रत्येक को २०,००० रु० का अनुदान मंजूर किया गया है । वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को अनावृष्टि में सहायता के लिये कुछ राशि अलग से रखनी होती है और केन्द्रीय सहायता तब ही दी जाती है जब व्यय इस राशि से बढ़ जाता है । केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता के लिये चारे के संभरण के स्थानों का पता लगाने में सहायता दी है । इस बात के अनुदेश दिय गये हैं कि बम्बई से बिना भाड़े एक वैगन भर कर भेजा जाये और हिमाचल प्रदेश से १०००

†मूल अंग्रेजी में

मन भूसा पंजाब को निःशुल्क भेजा जाये । अकाल में रेलवे चारा ढ़ोने के लिये रियायती दरें लेती हैं यदि उन को राज्य सरकारों द्वारा अथवा अभाव की दशाओं की सूचना दे दी जाती है और यह भी बता दिया जाता है कि चारा किस स्थान से आयेगा और किस स्थान को जायेगा । उच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत राज्य सरकारें भी यातायात कर सकती हैं ।

'लव बर्ड्स' की चोरी

†*६३१. **श्री कपूर सिंह :**
डा० ब० ना० सिंह :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री सोलंकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० नवम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह में दिल्ली के चिड़ियाघर से "लव बर्ड" नामक दुर्लभ पक्षी चोरी चले गये थे; और

(ख) यदि हां, तो चोरी गये इन मूल्यवान पक्षियों को ढूंढ़ने के लिए तथा इस कार्य में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**. (क) यह सच है कि २८ नवम्बर, १९६३ को दिल्ली के चिड़ियाघर से "लव बर्ड" नामक पक्षियों के दो जोड़े चुरा लिये गये थे । य पक्षी एक व्यापारी से २३२ रु० में खरीदे गये थे । अफरीका में ये आम तौर से पाये जाते हैं । और दुर्लभ नहीं हैं ।

(ख) पुलिस की जांच हो रही है । पक्षी अभी तक नहीं मिले हैं । जिन कर्मचारियों पर इस मामले में शक था उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया था । उन में से एक पर मुकदमा चलाने की अनुज्ञा भी दे दी गई है ।

बम्बई बन्दरगाह पर लाने, उतारने और गोदामों में पहुंचाने का ठेका

†*६३२. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई बन्दरगाह पर सरकार के महत्वपूर्ण खाद्यान्नों को लादने उतारने और गोदामों पर पहुंचाने का ठेका दिए जाने की क्या शर्तें हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने निश्चित दर पर ठेका देने के बाद ठेकेदारों को हाल में ही शर्तों से अधिक धन का भुगतान किया है; और

(ग) यदि हां, तो यह धन कितना था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) : बम्बई के गोदामों पर माल चढ़ाने और उतारने के ठेकेदारों की नियुक्ति के लिये पीछे जारी किये गये टेन्डरों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४१/६३]**

(ख) और (ग) जी, नहीं । ठेकेदारों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है । तथापि श्रमिकों के साथ लम्बी बात-चीत के पश्चात् जो कि ठेका देने से पहले आरम्भ हुई थी, यह स्वीकार

---

†मूल अंग्रेजी में

किया गया कि श्रमिकों के वेतन में १५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये । सरकार ने १८,००० रु० की राशि श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा आंशिक भुगतान के रूप में वेतनों में वृद्धि के लिये दे दी है ।

विश्व खाद्य कांग्रेस

†*६३३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लाहकर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व खाद्य कांग्रेस की सिफारिशों के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन ने अपने नवम्बर में हुए सम्मेलन में इस बीच कोई निर्णय किया है; और

(ख) उन निर्णयों के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन ने विश्व खाद्य कांग्रेस की निम्न सिफारिशों पर विचार किया :

(१) समय समय पर विश्व खाद्य के सम्मेलन को आयोजित करना ।

(२) भूख से मुक्ति आन्दोलन को १९६५ से आगे के वर्षों के लिये भी जारी रखना ।

(३) उत्पादन, व्यापार और विकास की एक विश्व योजना बनाना और इस विश्व योजना को विश्व खाद्य के सामयिक सम्मेलनों में पेश करना ।

(४) सामान्य निशस्त्रीकरण में से भूख से मुक्ति आन्दोलन के प्रचार के लिये विशेष निधि बनाना ।

विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों द्वारा, ऊपर लिखी बातों पर विभिन्न सम्मतियां प्रकट की गई हैं । कुछ प्रतिनिधिमंडलों ने इन सिफारिशों की स्वीकृति की कड़ी आलोचना की । भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सिफारिशों का सामान्य रूप से समर्थन किया खाद्य तथा कृषि संगठन से सम्मेलन के परिणामों के समेकित प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) विश्व खाद्य कांग्रेस द्वारा की अधिकांश सिफारिशों पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सामूहिक कार्यवाही करने की आवश्यकता है । इसलिये उन पर भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु खाद्य तथा कृषि संगठन से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इस संबंध में अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१७३५. **श्री रामचन्द्र मलिक : क्या डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में भारतीय टेलीफोन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बने हुए हैं;

(ख) उन क्वार्टरों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अक्तूबर, १९६३ के अन्त तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये; और

(घ) १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायेंगे ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां; आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

पहले बनाये गये क्वार्टरों की संख्या . .	१५२४
होस्टल	१, जिसमें ९५ कमरे हैं (१९० सीटें)
(ख) क्वार्टर . .	६५,८५,१३३ रुपये
होस्टल . .	३११,६६५ रुपये
(ग) क्वार्टर . . .	१,४३६ कर्मचारी
होस्टल	१९० कर्मचारी
(घ) (१) १९६३–६४ .	२०४ कर्मचारी (९१ कर्मचारियों को १-४-६३ तथा ३१-१०-६३ के बीच क्वार्टर दिये गये हैं और ३१-३-६४ तक ११३ और क्वार्टर दिये जाने की आशा है ।)
(२) १९६४–६५ . .	योजनाएं और कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुए हैं ।

पश्चिम घाट सड़क, केरल

†१७३६. **श्री अ० व० राघवन:** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेल्लीचेरी नगरपालिका के इर्द-गिर्द कोडुवाल्ली में पश्चिम घाट सड़क का रेखांकन कार्य अन्तिम रूप से किया जा चुका है;

(ख) क्या कोडुवल्ली का वर्तमान सड़क पुल भारी गाड़ी यातायात के लिये असुरक्षित है;

(ग) यदि हां, तो क्या नया पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) पुल कहां बनाया जायेगा और काम कब आरम्भ होगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). वर्तमान पुल से १५०० फुट ऊपर की ओर नया पुल बनाने का विचार है, परन्तु अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है ।

बडागरा में प्रकाश-स्तम्भ

†१७३७. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में बडागरा में 'सिगनल कैबिन' तथा 'पायर' सहित आधुनिक प्रकाश-स्तम्भ बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) काम कब पूरा होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**:(क) और (ख). मुख्य पत्तनों के अतिरिक्त अन्य पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। प्रकाश गृहों का डिज़ाइन तथा प्लान केरल सरकार द्वारा प्रकाश गृह एवं प्रकाश जहाजों के महा निदेशक के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। स्तम्भ का डिज़ाइन अन्तिम रूप में तैयार किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। इन दोनों योजनाओं की तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

डमडम से नागपुर तक रात्रि हवाई डाक

†१७३८. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९/२० नवम्बर, १९६३ की रात्रि को डमडम से नागपुर तक जाने वाले रात्रि हवाई डाक विमान को बम्बई के रास्ते भेजना पड़ा; और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या इस प्रकार से रुके हुए कार्यक्रमों को समुचित सुविधायें प्रदान की गइं;

(ग) क्या दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को यथोचित सूचना दे दी गई थी और उनको अगले उपलब्ध प्रातःकाल के विमान से भेज दिया गया था; और

(घ) क्या रुके हुए यात्रियों के लिये स्थान का प्रबंध करने के सम्बन्ध में अनुदेश नहीं हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) स्काईमास्टर विमान वीटी—डी आई वी० जब १९-११-१९६३ को अपनी कलकत्ता–नागपुर हवाई डाक उड़ान पर जा रहा था, इसकी हाइड्रौलिक व्यवस्था में खराबी हो गई और परिणामस्वरूप उसके कमांडर ने बम्बई पर उतरने का फैंसला किया जिसका धावन पथ नागपुर के धावन पथ की अपेक्षा बहुत लम्बा था।

(ख) नागपुर में रुके लोगों को प्रत्येक सम्भव सुविधा प्रदान की गई। उनको स्थानीय होटलों में, निगम के खर्च पर, स्थान, भोजन तथा परिवहन का प्रबंध किया गया।

(ग) नागपुर, मद्रास और बम्बई से दिल्ली जाने वाले यात्रियों ने १९/२० नवम्बर, १९६३ की अनुसूचित वाइकाउंट उड़ान आई सी—४२० से यात्रा की, जिसमें कलकत्ता से उड़ान का मार्ग बदलने के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। नागपुर से उपरोक्त विमान दिल्ली के लिये ०३५० घंटे पर उड़ा, जिसमें कलकत्ता से दिल्ली जाने वाले यात्री नहीं थे जो सीधे बम्बई ले जाये गये थे, और वहां से दिल्ली भेज दिये गये थे।

(घ) रुके हुए यात्रियों की देखभाल करने के लिये, जिसमें परिवहन तथा होटल स्थान व्यवस्था शामिल है, स्थायी अनुदेश विद्यमान हैं।

सिन्ध नदी पर पुल

†१७३९. **श्रीमती विजयराजे सिन्धिया**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर–झांसी सड़क पर सिन्ध नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसके बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). ग्वालियर–झांसी सड़क पर सिन्ध पुल अप्रैल, १९५९ में २१,८४,८०० रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था, जिसके लिये धन केन्द्रीय सड़क निधि से दिया जा रहा है। निर्माण कार्य १५ मार्च, १९६२ को प्रारम्भ किया गया और नींव का काम पूरा होने वाला है। ११ स्पैनों में से १ पर ऊपर का ढांचा पूरा किया जा चुका है। कुल मिला कर लगभग ४० प्रतिशत प्रगति हो पाई है। नवम्बर, १९६३ की समाप्ति तक व्यय ९.२८ लाख रुपये हुआ है। दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक काम पूरा होने की सम्भावना है।

बिड़ला नगर स्टेशन

†१७४०. **श्रीमती विजयराजे सिन्धिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला नगर स्टेशन के समीप ऊपर के पुल की बड़ी आवश्यकता है, जिसका रेल का द्वार बन्द रहता है और जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). बिड़ला नगर स्टेशन के वर्तमान समपारन के स्थान पर ऊपरी सड़क-पुल बनाने के बारे में जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह योजना प्रगति नहीं कर सकी क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस काम को अपनी तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल नहीं किया। तथापि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। रेलवे इस योजना की क्रियान्विति को आरम्भ करेगी जब राज्य सरकार अन्तिम निर्णय कर लेगी और चालू नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित काम की लागत के अपने अंश के लिये अपेक्षित धन आवंटित कर देगी।

गुना और शिवपुरी के बीच रेलवे लाइन

†१७४१. **श्रीमती विजयराजे सिन्धिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में गुना और शिवपुरी के बीच रेलवे लाइन की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यह लाइन तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नवीन लाइनों के निर्माण के रेलवे कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

ग्वालियर-शिवपुरी रेलवे लाइन

†१७४२. **श्रीमती विजयराजे सिन्धिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्वालियर–शिवपुरी, ग्वालियर–भिंड, ग्वालियर–शिवोपुर छोटी गेज लाइनों को बड़ी गेज लाइनों में बदलने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में इन छोटी गेज लाइनों को बड़ी गेज लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिंड के उत्तरी जिलों में रेल सुविधायें

†१७४३. **श्रीमती विजयराजे सिन्धिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा और सवाई माधोपुर के पड़ोसी जिलों के साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों भिंड और मुरेना को मिलाने की दृष्टि से, वहां रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जी नहीं ।

खेतिहरों को सहायता

१७४४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती के औजारों के लिए २५ प्रतिशत सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने अब तक राज्यवार कितनी राशि दी है ;

(ख) पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर अक्तूबर, १९६३ तक कितना व्यय राज्यवार हुआ ; और

(ग) चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक औजार खरीदने के लिए किसानों और पंचायतों को अक्तूबर, १९६३ तक कितनी २५ प्रतिशत सहायता राज्यवार दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी मंगाई गई है। और मिलते ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के विरुद्ध शिकायत

१७४५. **श्री तन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर व जोधपुर डिवीजनों में पिछले वर्ष कितनी शिकायतें विभिन्न शिकायत की पुस्तकों के जरिये प्राप्त हुईं ;

(ख) उपरोक्त शिकायतों में से कितनी सही पाई गईं जिन पर आवश्यक कार्यवाही रेलवे द्वारा की गई, तथा कितनी निराधार पाई गई ; और

(ग) सामान्यतः एक शिकायत को निबटाने में कितना समय लगता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण साथ नत्थी है ।

विवरण

	बीकानेर डिवीज़न	जोधपुर डिवीज़न
(क) कितनी शिकायतें मिलीं . .	५०७	१५३
(ख) (१) कितनी शिकायतें सही पायी गयीं जिन पर आवश्यक कार्रवाई की गयी .	७६	१९
(२) कितनी शिकायतें निराधार निकलीं . .	४३१	१३४
(ग) एक शिकायत को निबटाने में औसतन कितना समय लगा	१७ दिन	३९ दिन

†मूल अंग्रेजी में

रमानिया में हाल्ट स्टेशन

†१७४६. **श्री तन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के भीलडी–सामदारी सैक्शन (जोधपुर) डिवीजन के मोकलिसर और बालवाडा स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ-सुलतानपुर-जौनपुर लाइन

१७४७. **श्री रणंजय सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ-सुलतानपुर-जौनपुर लाइन पर कई रेलवे स्टेशन बनाये गये हैं जिनके नाम टाइम टेबल में नहीं हैं ;

(ख) क्या उस सेक्शन पर मुसाफिरखाना और निहालगढ़ स्टेशनों के बीच स्थित अरहनपुर स्टेशन का नाम गलती से अधिनपुर छपा है ; और

(ग) क्या सरकार इसमें कोई संशोधन करने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां । कुछ स्टेशन यात्री–यातायात के लिए नहीं खोले गये हैं । उनके नाम सार्वजनिक समय सारणी में नहीं दिये गये हैं ।

(ख) सार्वजनिक समय सारणी में स्टेशन का नाम जिस तरह लिखा है, वह ठीक है और सर्वे आफ इंडिया, देहरादून द्वारा अनुमोदित है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कृष्णा नदी के ऊपर पुल

†१७४८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री ३ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी के ऊपर दूसरे पुल के लिये अपेक्षित उच्च किस्म का इस्पात प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) गर्डरों को जोड़ने के काम में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ग) पुल कब पूर्ण होने की संभावना है और कब माल यातायात के लिये खोल दिया जाएगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) लगभग ७३ प्रतिशत उच्च किस्म का इस्पात कलकत्ता में प्राप्त हो चुका है और शेष इंग्लैंड से आने वाला हैं ।

(ख) इसी महीने में प्रयोग स्पैन बनाने का काम आरंभ किया जाने वाला है ।

(ग) १९६४ के अंत तक ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रारम्भिक इन्टरलॉकिंग[1]

†१७४९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ अगस्त १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४० और ९४१ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकाया ९५ स्टेशनों में प्रारंभिक इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ख) यदि नहीं, तो काम कब पूर्ण होने की संभावना है ; और

(ग) क्या मध्य रेलवे के १६ स्टेशनों पर 'मल्टिपल आस्पेक्ट अपर क्वाडरैंट सिगनलिंग' व्यवस्था पूरी की जा चुकी है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) प्रारंभिक इन्टरलॉकिंग व्यवस्था ५० स्टेशनों पर कर दी गई है ।

(ख) बकाया स्टेशन का काम ३१-३-६४ तक पूरा करने की योजना है ।

(ग) २ स्टेशनों का काम, पूरा हो चुका है और बकाया स्टेशनों का काम प्रगति कर रहा है ।

रुद्रमपुर में रेलवे स्टेशन

†१७५०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रचेलम सड़क और कोयला खान साईडिंग के बीच रुद्रमपुर में रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सिंगरैनी कोयला खान समवाय के नम्बर ११ खान तक साईडिंग को बढ़ाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो साईडिंग की लम्बाई क्या है और उस की अनुमानित लागत क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डोरनाकल—खम्मामेथ रेलवे लाइन

†१७५१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोरनाकल से खम्मामेथ के बीच यात्री यातायात के लिये दूसरी लाइन बनाई जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) इस वर्षा मौसम में देर से भारी वर्षाओं के कारण, इस सैक्शन पर इस पटरी पर रोडी बिछाने का काम पूरा नहीं हो सका, जो लाइन पर यात्री यातायात आरंभ करने से पूर्व करना जरूरी है। अब आशा है कि यह सैक्शन मार्च १९६४ के अन्त तक यात्री यातायात के लिये खोल दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rudimentary Interlocking.

आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती

†१७५२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की जाती है ; और कितना उत्पादन हुआ है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : १९६२–६३ में खेती और उत्पादन के आंकड़े ये हैं :—

खेती .	४०५४०० एकड़
उत्पादन	३००३.८० लाख पौंड

मद्रास के लिये जेट सेवा

†१७५३. श्री थेनगोंडर : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडिया एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा कब तक मद्रास तक जेट विमान सेवा जारी किये जाने की सम्भावना है ?

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : कारवेल जेट सेवाएं दिल्ली-मद्रास तथा बम्बई-मद्रास क्षेत्रों में फरवरी १९६४ में आरम्भ होने की आशा है ।

मद्रास में टेलेक्स संचार प्रणाली

†१८५४. श्री थेनगोंडर : क्या डाक और तार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर तक टेलेक्स संचार प्रणाली जारी करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसकी कब जारी होने की सम्भावना है ; और

(ग) तीसरी योजना अवधि में इस काम के लिये यदि कोई वित्तीय आवंटन किया गया है तो कितना ?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) मद्रास शहर तक टेलेक्स संचार व्यवस्था का विस्तार २४–६–६३ को किया गया था, जब राष्ट्रीय टेलेक्स श्रृंखला चालू की गई और मद्रास उनचार प्रमुख नगरों में से एक है, जहां यह सेवा प्रारम्भ की गई ।

(ख) मद्रास अब टेलैक्स श्रृंखला पर बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के साथ मिला हुआ है और मद्रास टेलीप्रिंटर एक्सचेंज से ३६ काम कर रहे हैं, जिसकी क्षमता इस समय २०० लाइनों तक की क्षमता है ।

(ग) यह २४–६–६३ से जारी की गई है ।

(घ) इस काम पर अनुमानित व्यय ४६२ लाख रुपये है । इस में से, अधिकांश व्यय किया जा चुका है ।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में टेलीफोन

†१७५५. **श्री येनगोंडर** : क्या **डाक और तार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२, १९६२-६३ और अक्टूबर १९६३ तक की अवधियों में मद्रास नगर में कितनी नई टेलीफोन लाइनें दी गईं ; और

(ख) तीसरी योजना अवधि में मद्रास नगर में टेलीफोन लाइनों को बढ़ाने के लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) सूचना नीचे दी जाती है :

टेलीफोन लाइनें १९६१-६२ में	२२३२
टेलीफोन लाइनें १९६२-६३ में	२६२१
टेलीफोन लाइनें १९६३-६४ में अक्तूबर १९६३ तक	३४२१

(ख) तीसरी योजना में २१००० टेलीफोन और देने का विचार है। इन पर लगभग ५ करोड़ रुपये खर्च होगा।

आर्नी में सार्वजनिक टेलीफोन

†१७५६. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **डाक और तार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के येओत जिले की आर्नी की ग्राम पंचायत ने वहां एक सार्वजनिक टेलीफोन लगवाने के लिये प्रार्थना की थी और सरकार के पास टेलीफोन योजना के अन्तर्गत आवश्यक राशि जमा करने का निश्चय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है।

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख) ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित प्रत्यभूति की ग्राह्यता का मामला महाराष्ट्र सरकार के विधि सम्बन्धी विभाग को निर्दिष्ट किया गया है और इस पर उनके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

टेलीफोन कनेक्शन

†१७५७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **डाक और तार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन के कनेक्शनों की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो ३० सितम्बर, १९६३ तक कितने प्रार्थनापत्र अनिर्णित थे ;

(ग) टेलीफोन के कनेक्शन शीघ्र देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) सारी मांग कब तक पूरी होगी ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २,४१,९५६ ।

(ग) देश में निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करके स्वदेशी टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन तथा स्टोरों को बढ़ाया जा रहा है। आई० डी० ए० से सहायता के रूप में ऋण लेकर कुछ उपकरणों के निर्यात की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) इसके लिये समय सीमा बताना कठिन है क्योंकि मांग को पूरा करने के लिये समुचित स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था नहीं है। कार्यक्रम का विस्तार वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है जो इस समय अत्यन्त सीमित हैं।

डाक के 'प्रथम दिवसीय' लिफाफे[1]

†१७५८. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या डाक और तार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग जारी किये जाने वाले ५ नये पैसे वाले प्रथम दिवसीय लिफाफों के अतिरिक्त ७ नये पैसे वाले फोल्डर भी जारी करता है यद्यपि प्रथम दिवसीय लिफाफों पर मुहर लगाई जाती है जबकि फोल्डरों पर मुहर नहीं लगाई जाती है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय टिकट क्लब की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). प्रस्ताव पर विचार किया गया है और सम्बन्धित लोगों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि समूल्य प्रचार फोल्डरों पर मुहर लगाई जाये।

बीबीवाला रेलवे स्टेशन

†१७५९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार-ऋषिकेश सेक्शन में बीबीवाला स्टेशन जो लगभग एक वर्ष पहले चालू किया गया था, में टिकटों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या बीबीवाला स्टेशन आने जाने वाले लोगों को दूसरे स्टेशन से टिकट प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त किराया देना पड़ता है ; और

(ग) उनकी इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) बीबीवाला स्टेशन क्रासिंग स्टेशन है जो परिचालन प्रयोजन के लिये खोला गया है। यह यात्रियों तथा सामान के बुकिंग के लिये नहीं खोला गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर रेलवे इस स्टेशन को पैसेंजर और अन्य कोचिंग यातायात के लिये भी खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]First-Day Postal Covers.

डाकघर

†१७६०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **डाक और तार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक राज्य में कितने डाक और तार घर, सार्वजनिक टेलीफोन और टेलीफ्रोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) अब तक ऐसे कितने कार्यालय खोले गये हैं ; और

(ग) यदि इस कार्य को करने में किसी प्रकार की कमी है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४२/६३**]

अखिल भारतीय पहाड़ी क्षेत्र विकास गोष्ठी

†१७६१. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री २७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६३ में शिमला में हुई अखिल भारतीय पहाड़ी क्षेत्र विकास सम्बन्धी गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों में से प्रत्येक को क्रियान्वित करने के लिये इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४३/६३**]

चीनी की चोरबाजारी

१७६२. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री गोकरन प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से चीनी पर प्रतिबंध लगा है तब से आज तक कितने व्यक्तियों को चोरबाजारी करते हुए पकड़ा गया ; और

(ख) कितनी बोरी चीनी पकड़ी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना से पता चलता है कि ५७७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और शर्करा की २५७९ बोरियां पकड़ी गयी थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के टिकटों की चोरबाजारी

†१७६३. श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल के टिकटों की, विशेष रूप से बड़े शहरों में चोरबाजारी के विषय में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कुप्रथा को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रेल की टिकटों की चोरबाजारी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) रेलवे कर्मचारियों अथवा अधिकृत अभिकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जो रेल के टिकट बेचेगा दण्ड देने के लिये संसद् में भारतीय रेलवे अधिनियम, १९९० में संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

कालपी के पास पुल

१७६४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-सागर राष्ट्रीय राजपथ पर कालपी के पास पुल का निर्माण कार्य रोक देने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस पुल के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). कालपी के पास लखनऊ-सागर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर यमुना नदी पर किसी पुल का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ था इसलिए काम को रोक देने का सवाल नहीं उठता है । रेल विभाग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कालपी के रेल पुल के गर्डरों को बदलना तय किया है। इसलिये सड़क यातायात के लिये भी रेलवे ही के साथ मिल कर उसी पुल पर एक सड़क पाटन (रोड-डेकिंग) बनाने की व्यवस्था मंजूर की गयी है। रेलवे पुल पर फिर से गर्डर डालने का काम १९६५ के अन्त में शुरू किया जायगा और वह लगभग १८ महीनों में पूरा होगा।

फोनोग्राम

१७६५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के जिला हमीरपुर की तहसील मोहाडा के खरेला गांव में फोनोग्राम प्रसारित करने की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है ;

(ख) क्या इस व्यवस्था के अन्तर्गत ट्रंक काल की सुविधायें उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके कब तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जनता द्वारा सीधे सार्वजनिक टेलीफोन पर क्रमशः तार बुक करने और प्राप्त करने की प्रणाली, जिसे 'फोनोग्राम' प्रणाली कहते हैं, खरेला गांव में उपलब्ध नहीं है। फिर भी तारों को खरेला संयुक्त डाक-तार घर में बुक किया जाता है और टेलीफोन लाइन पर चरखेरी संयुक्त डाक-तार घर को जिस प्रणाली के अन्तर्गत आगे निपटान के लिए भेज दिया जाता है उसे 'फोनोकम' प्रणाली कहते हैं जो कि १४ नवम्बर, १९६१ से मौजूद है।

(ख) जी नहीं।

(ग) खरेला में ट्रंक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलकर ट्रंक सुविधाओं की व्यवस्था करना इस समय लाभप्रद नहीं है। इस मांग पर ध्यान रखा जाएगा और आर्थिक दृष्टि से जब संभव होगा आवश्यक सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

गोदाम तथा पशुओं के लिए शेड

†१७६६. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या सरकार ने अध्ययन दलों की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि गोदामों तथा पशुओं के लिये शेडों के निर्माण के लिये उपलब्ध सहायता को भूमि के अतिआवश्यक विकास कार्यों में लगाया जाये ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):** जी हां। सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

श्रमिक सहकारी समितियां

†१७६७. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में विभिन्न प्रयोजनों के लिये कितनी श्रमिक सहकारी समितियां पंजीबद्ध की गईं ;

(ख) इन समितियों की सदस्य संख्या कुल कितनी है ;

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक राज्य की सहकारी समितियों को कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(घ) क्या राज्य तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य-निष्पाद में इन समितियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २१४४/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे का राष्ट्रीयकरण

†१७६८. श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी कितने गैर-सरकारी रेलवे समवायों का राष्ट्रीयकरण होना है ;

(ख) इन लाइनों का कुल मील योग कितना तथा इन्हें चलाने वाले समवायों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन लाइनों के राष्ट्रीयकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इनके राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भविष्य में नीति और कार्यक्रम क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४५/६३]

(ग) और (घ). इन रेलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई निश्चित नीति तथा कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । जब कभी भारत सरकार किसी रेलवे लाइन को खरीदना चाहती है तो इसकी विस्तारपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है और इस पर इसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है और सभी सम्बन्धित पहलुओं, जैसे लाइन के स्वामित्व और कार्यकरण सम्बन्धी लाभ इसकी वित्तीय परिलब्धता, इस समय देय वार्षिक राजसहायता, को ध्यान में रखा जाता है । केवल वाणिज्यिक बातों के अलावा कुशल प्रबन्ध अच्छी सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक हित में वर्तमान प्रबन्ध और कार्यकरण को समाप्त करने की आवश्यकता और वांछनीयता को भी ध्यान में रखा जाता है । संलग्न विवरण में क्रम संख्या १, २, ३, १३ और १४ में दिखाई गई लाइनें सम्बन्धित भारत सरकार रेलवे के द्वारा चलाई जा रही हैं और इन में सामान्यतः रेलवे उपभोक्ताओं को वही सुविधायें दी जा रही हैं जो मुख्य भारत सरकार रेलवे पद्धति में जिसकी ये लाइनें एक भाग हैं दी जाती हैं।

रेलवे के विरुद्ध शिकायतों का निबटारा

†१७६९. श्री वारियर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जनता की शिकायतों को निबटाने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) शिकायतों को जल्दी निबटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या शिकायत के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में शिकायत करने वाले को सूचित न करने की प्रणाली है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ~~और~~ (~~ख~~). जनता द्वारा की गई शिकायतों का शीघ्र सहानुभूतिपूर्ण निबटारा सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक रेलवे में एक शिकायत संगठन स्थापित किया गया है। इस संगठन का प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय में एक विशेष अनुभाग है जिसका प्रधान एक सहायक पदाधिकारी है जिसकी सामान्य कार्यालय कर्मचारियों के अतिरिक्त कई इन्सपेक्टर सहायता करते हैं। मुख्यालय में रखी शिकायत की पुस्तक

†मूल अंग्रेजी में

की प्रत्येक दिन सहायक सचिव (शिकायतें) जांच करते हैं और आवश्यक कार्यवाही की जाती है और डिविजन आफिस में रखी गई शिकायत की पुस्तकों की प्रतिदिन जिम्मेवार पदाधिकारियों द्वारा जांच की जाती है ।

स्टेशन पर रखी शिकायत पुस्तकों में दर्ज शिकायतों और प्रमुख रखे शिकायत और सुझाव पेटियों से निकाली गई शिकायतों की प्रति दिन स्टेशन मास्टरों द्वारा जांच की जाती है और उन शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जाती है जिन पर वे कार्यवाही कर सकते हैं, बाकी शिकायतों को वे आवश्यक कार्यवाहियों के हेतु डिविजनल कार्यालय को भेज देते हैं। रेलवे मंत्री / मंत्रालय को भेजी गई शिकायतों पर सम्बन्धित रेलवे के परामर्श से विचार किया जाता है और आवश्यक उचित कार्यवाही की जाती है ।

(ख) शिकायतों को शीघ्र निबटाने के बारे में समय समय पर रेलवे के जनरल मैनेजरों से कहा जाता है कि और उन से यह अनुरोध किया जाता है कि वे शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे और यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों पर ठीक कार्यवाही की जाये। इस बारे में रेलों ने व्यापक आन्दोलन छेड़े हैं। सभी रेलवे शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही हो रही है ।

(ग) जी हां ।

केरल में रेलवे स्टेशन

†१७७०. **श्री वारियर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नये रेलवे स्टेशन खोलने के प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और ये कब तक खोले जायेंगे ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) केरल में निम्नलिखित रेलवे स्टेशन खोलने का विचार है :—

विवरण

(१) तिरुवल्ला और चंगानाचेरी स्टेशनों के बीच झंडी स्टेशन ;

(२) चंगानाचेरी और चिंगावनम् स्टेशनों के बीच रेल गाड़ी विराम स्टेशन ;

(३) चेंगान्नूर कौर तिरुवल्ला स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी विराम स्टेशन ; और

(४) कोहाराकारा और औवनेश्वरम् स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी विराम स्टशन।

उपरोक्त क्रम संख्या (१) स्टेशन निर्माण कार्य चालू हो गया है । क्रम संख्या (२) स्टेशन का कार्य शीघ्र चालू होने वाला है । क्रम संख्या (३) और (४) का निर्माण कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले चालू होने की संभावना है ।

तथापि इस समय उपरोक्त झंडी /विराम स्टशनों के चालू होने की निश्चित तिथि बताना कठिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम बंगाल के लिये उर्वरक

†१७७१. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई उर्वरकों की कितनी मांग को पूरा नहीं किया जा सका ; और

(ख) क्या मांग की यह कमी १९६३–६४ में पूरी कर दी जायगी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में पश्चिम बंगाल की उर्वरकों की मांगें भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण पूरी की गई थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केलों का उत्पादन

†१७७२. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कौन कौन सी योजनायें चलाई जा रही हैं ;

(ख) कौन कौन से राज्य केलों का पर्याप्त उत्पादन करते हैं ; और

(ग) इस समय भारत से किन किन किस्मों के केलों का निर्यात किया जा रहा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) देश में केलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल राज्यों में केला अनुसंधान योजनायें मंजूर की हैं। कई राज्यों में आम फलों के उत्पादन के सम्बन्ध में योजना कार्यक्रम भी चल रहा है । इन फलों में केला भी सम्मिलित है ।

(ख) केलों का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, आसाम और बिहार हैं।

(ग) इस समय केवल बसराई किस्म का ही केला भारत से निर्यात किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम द्वारा भूमि बन्धक बैंकों में विनियोजन

†१७७३. **श्री हेडा :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस योजना को चलाते समय भूमि बन्धक बैंकों के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया गया था ;

(ख) भूमिबन्धक बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों को खरीदने के सम्बन्ध में जो ४० प्रतिशत की कमी रह जायेगी उसको पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) भूमिबन्धक बैंकों से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों के लिये संस्थाओं की ओर से और विशेष रूप से जीवन बीमा निगम की ओर से पर्याप्त सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर विभिन्न के० भू० ब० बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा और अखिल-भारतीय केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक सहकारी संघ सीमित (जो कि के० भू० ब० बैंकों का एक संघानीय निकाय है) द्वारा जोर दिया जा रहा था । इसको देखते हुए योजना चालू की गई थी ।

(ख) क्योंकि ऋणपत्र दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हैं और संबंधित राज्य सरकारों ने उन के मूल तथा ब्याज के प्रतिदान के लिये पूरी पूरी गारंटी दी है, अतः स्थानीय निकाय, अन्य लोक संस्थायें, सहकारी समितियां आदि की इनको खरीदने में रुचि हो सकती है और इस सम्बन्ध में प्रत्येक के० भू० ब० बैंक को स्वयं अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है ।

(ग) मई, १९६३ में निर्णय के लिये जाने के समय से लेकर १३-१२-६३ तक जीवन बीमा निगम को ९ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं । इन में से तीन प्रार्थनापत्रों के मामले में ऋणपत्रों के जारी किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा अभी की जानी है । ५ मामलों में जीवन बीमा निगम ने ऋणपत्र खरीद लिये हैं । एक मामले में जीवन बीमा निगम ऋणपत्र नहीं खरीद सका क्योंकि जिन शर्तों के लिये सहकारी संस्थायें पहले सहमत हुई थीं उनकी तुलना में अब की शर्तें इतनी लाभदायक नहीं थीं ।

गिर शेर

†१७७४. **श्री हेडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिर शेरों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) इस जाति का परिरक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या गिर शेरों का पुनर्वास करने के लिये किसी अन्य आश्रय-स्थल को बनाने का निश्चय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) गुजरात सरकार द्वारा मार्च १९६३ में की गई पशुगणना के अनुसार, गिर वनों में शेरों की कुल संख्या २८५ बताई गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) शेरों को अभिरक्षित पशु घोषित कर दिया गया है जिससे कि उनका शिकार करना और उन्हें गोली मारना पूर्णतया निषिद्ध है।

(२) गुजरात में जो गिर वनों का क्षेत्र है जिसमें कि शेर रहते हैं उसमें राज्य सरकार द्वारा वन्य पशुओं का एक आश्रय-स्थल बनाये जाने का विचार है।

(३) पशुओं के मालिकों द्वारा गिर शेरों को जहर दिये जाने की उत्तेजना को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना चालू की है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जाता है जिनके पशुओं को शेर मार जाते हैं।

(ग) जी हां,। १९५७ में उत्तर प्रदेश के चन्द्रप्रभा आश्रय-स्थल में गिर वनों से पकड़ कर दो शेर रखे गये थे जिससे कि उनके लिए एक दूसरे रहने के स्थान की व्यवस्था हो सके। यह सूचना मिली है कि इस आश्रय-स्थल में रखे गये शेर फलफूल रहे हैं और इस समय उनकी संख्या सात बताई जाती है।

तिलहनों का विकास

†१७७५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में तिलहनों का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को १९६२–६३ में कोई केन्द्रीय अनुदान अथवा ऋण दिया गया था ;

(ख) १९६३–६४ में कितने रुपयों का अनुदान अथवा ऋण देने का प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) और (ख). तिलहनों का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निर्धारित सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, उस सरकार ने यह सूचित किया है कि, १९६२–६३ और १९६३–६४ में उनके द्वारा तिलहनों के विकास पर किये जाने वाले व्यय में से, अनुमानित केन्द्रीय सहायता क्रमशः १ लाख १ हजार रुपये और ३ लाख ६८ हजार रुपये की होगी। इसके अतिरिक्त, तिलहनों की फसलों के लिए उर्वरकों के क्रय और वितरण के लिए १९६२–६३ और १९६३–६४ में राज्य सरकार को क्रमशः १३ लाख रुपये और २३ लाख ९६ हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश के डाकिये

†१७७६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाकघरों में इस समय कुल कितने डाकिये कार्य कर रहे हैं; और

(ख) प्रति वर्ष उन्हें कितना मकान किराया भत्ता दिया जाता है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) ५,३६०।

(ख) २,०३,३१७ रुपये १९ नये पैसे।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण गृहिणियों का कार्य-भार

†१७७७. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री दिनांक १० सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ग्रामीण गृहिणियों के कार्य-भार को हल्का करने की योजना के ब्यौरे तब से इस समय तक खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा तैयार कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पशु अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर

१७७८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इज्जतनगर (बरेली) स्थित भारतीय पशु अनुसन्धान संस्था में खालों व अन्य कार्यों सम्बन्धी २५ हजार रुपये का गबन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) आरोप लगाया गया है कि १९५९-६० और १९६१-६२ (२६-४-६२ तक) के वर्षों में भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर में खालों तथा चमड़े के निपटान में २३,३४९·४० रुपये और चूजे तथा मुर्गे-मुर्गियों के निपटान में ६८९·६९ रुपयों का गबन किया गया था।

(ख) इस सम्बन्ध में विशेष पुलिस एस्टब्लिशमेंट से प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि उन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये, जो प्रत्यक्षत: गबन के लिए ज़िम्मेवार हैं।

काठमन्डू में डाक और तार घर

१७७९. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेपाल सरकार ने यह मांग की है कि काठमन्डू के तथा नेपाल में अन्य स्थानों के डाक और तार घरों को बन्द कर दिया जाय ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : जी, नहीं। नेपाल में केवल एक ही भारतीय डाक और तार घर है, वह है भारतीय दूतावास का डाकघर। इस डाकघर

---

†मूल अंग्रेजी में

की विभिन्न सेवाओं को जारी रखने के प्रश्न पर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच बातचीत चल रही है ।

मछियारे

†१७८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गुजरात के कच्छ-मंडवी के १२ मछियारे जो कि समुद्र की तूफानी लहरों में १५ दिन से डुबते-उतराते रहे थे उन्हें भारतीय समुद्र-तट से १५० मील दूर एक अमरीकी जहाज द्वारा बचा लिया गया था और उन्हें २२ अक्तूबर, १९६३ को कराची लाया गया था ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : गुजरात सरकार के चार बजरे जिन्हें कि बारह मल्लाह चला रहे थे १५ अक्तूबर, १९६३ की रात्रि को जरवाड बन्दरगाह से समुद्र में बह गये । बेदी और ओखा से भेजी गई कर्वनावों और जामनगर के वायुसेना प्राधिकारियों के विमानों द्वारा भी उनकी तलाश की गई थी परन्तु असफलता ही हाथ लगी । बाद में यह सूचना मिली थी कि १८ अक्टूबर को इनमें से पांच मछियारे एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने के पोत द्वारा बचा लिये गये थे और उन्हें एक भारतीय जहाज द्वारा पोरबन्दर लाया गया था । शेष सात मछियारे अमरीकी नौसेना के जहाज ने बचाये थे और उन्हें २२ अक्टूबर को कराची पर उतार दिया गया । ये सात मछियारे अब वापस भारत भेज दिये गये हैं ।

नौभार मोटर- ोत

†१७८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौवहन समवाय ने पोलैण्ड के 'सेन्ट्योमोर' के साथ १०,००० डी० डब्ल्यू० टी० के सामान्य नौभार मोटर-पोतों का निर्माण करने के सम्बन्ध में समझौता किया है, जो कि १९६५ के अन्त तक बना कर दे दिये जायेंगे ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : भारतीय नौवहन समवाय ने ११,६०० डी० डब्ल्यू० टी० वाले चार नौभार-मोटर पोतों का निर्माण करने के लिए पोलैंड के 'सेन्ट्योमोर' को क्रयादेश देने का निश्चय किया है, जो कि १९६५ के अन्त तक बनाकर दिये जाने हैं और बशर्ते कि भारत सरकार इसकी स्वीकृति दे । ऋण की जिन शर्तों पर यह पोत बनाये जायेंगे उनकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

दिल्ली का केन्द्रीय तारघर

†१७८२ **डा० मेलकोटे** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में बहुत से अस्थायी आपरेटरों को "वैभागिक" अथवा "गैर-वैभागिक" आपरेटरों के रूप में उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये बगैर ही रख लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा हमारे दूतावासों को भेजे जाने वाले कुछ महत्व-पूर्ण संदेश इस कार्यालय में लगातार खोते जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, नहीं। उम्मीदवारों को नियुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जाती है कि वे लोग सभी संबंधों में सरकारी नौकरी के लिये उपयुक्त हैं।

(ख) स्टेट तार खोये जाने का केवल एक ही मामला अब तक ध्यान में आया है।

(ग) बड़े बड़े तारघरों में हजारों की संख्या में तार एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं और इसलिए रसीद प्राप्त करने स्थानान्तरण करने की किसी नई विधि को लागू करना संभव नहीं है। तथापि, उन सरकारी तारों को जिनका कि पूर्ववर्तित वर्गीकरण किया हुआ होता है प्रत्येक प्रक्रम पर रसीद प्राप्त करके ही स्थानान्तरित किया जाता है। इसके अलावा इन्सट्रूमेंट रूम में से कूड़े-करकट के हटाये जाने से पहले कागज के प्रत्येक टुकड़े की एक विशेष अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और वह इसके लिये लिखित प्रमाणपत्र देता है।

तार-घर

†**१७८३. डा० मेलको** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० से देश के तारघरों में कार्य-क्षमता का ह्रास हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली, आगरा और अहमदाबाद के केन्द्रीय तार घर गैर-प्रविधिक अधिकारियों के प्रभार में रखे जा रहे हैं ; और

(ग) क्या इन तारघरों का प्रभार लेने के लिये उच्च अर्हताप्राप्त और अनुभवी दूर-संचार इंजीनियरों को नियुक्त करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, नहीं।

(ख) ये केन्द्रीय तारघर और अन्य तारघर तार यातायात सेवा के अधिकारियों के प्रभार में हैं। ये अधिकारी तारघरों का नियंत्रण करने के कार्य में विशेषज्ञ हैं और तार यातायात संबंधी सभी समस्याओं को हल करने में समर्थ हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, तार सेवा में सर्वांगीण सुधार करने के संबंध में इन तारघरों के नियंत्रण की पुनर्व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

डाक और तार विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारी

†**१७८४. डा० मेलकोटे** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात् डाक और तार विभाग में प्रथम श्रेणियों के अधिकारियों के कितने स्थान बनाये गये तथा कितने भरे गये ;

(ख) क्या आपातकाल में ऐसे स्थानों को बना डालने के संबंध में कोई प्रतिबन्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आपातकाल के दौरान इन स्थानों को बना डालने के क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) ३०-११-६३ तक बना डाले गये स्थान---७६ स्थान।

और भरे गये स्थान----४२ स्थान।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जनवरी, १९६० में प्रतिबन्ध लगाया गया था। जून १९६२ में यह हटा लिया गया था और १३ जून, १९६३ से फिर लगा दिया गया। देश की सुरक्षा के लिये और पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित के लिये अपेक्षित नौकरियों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता। विशेष आदेशों के अनुसार यह प्रतिबन्ध कुछ अन्य पद स्थानों के संबंध में भी लागू नहीं होता उदाहरणार्थ विभाग के प्रसार और वाणिज्यिक कार्याकलापों के लिये अपेक्षित संधारण, संचालन संबंधी और अन्य पद स्थानों के संबंध में।

(ग) प्रतिबन्ध संबंधी आदेशों को शिथिल करते हुए जो पद स्थान बना डाले गये थे उन्हें बढ़े हुये कार्य को पूरा करने के लिये अत्यन्त आवश्यक समझा गया था।

दूरमु क पर्यवेक्षक[1]

†१७८५. **डा० मेलकोट** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ तार-घरों में गैर अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को दूरमुद्रक पर्यवेक्षकों के पदों पर लगाया हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तारघरों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन्हें इस तरह से नौकरी पर लगाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मामलों का सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) डी० टी० ओ० गौहाटी

(२) सी० टी० ओ० पटना

(३) डी० टी० ओ० कटक।

(ग) अर्हता प्त व्यक्तियों का उपलब्ध न होना।

(घ) अभ्यर्थियों के चयन और प्रशिक्षण के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है।

रायनापादु रेलवे स्टेशन

†१७८६. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गो० महन्ती :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के रायनापादु स्टेशन यार्ड में जो विजयवाडा के निकट है ; २२ अक्तूबर, १९६३ को कुछ रेलवे मजदूर कुचल कर मारे गये और कुछ बुरी तरह से घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Teleprinter Supervisors.

(ग) क्या मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). २२ अक्तूबर, १९६३ को रात्रि के लगभग १० बज कर ३० मिनट पर रायनापाद स्टेशन यार्ड की एक साइडिंग पर जब के० ३५ डाउन मालगाड़ी उलटी लौटाकर खड़ी की जा रही थी तो उससे साइडिंग पर खड़े हुए कुछ डिब्बों को हलका सा धक्का लगा जिससे कि वह डिब्बे कुछ दूर तक पटरी पर लुढ़कते चले गये। इसके परिणामस्वरूप कुछ नैमित्तिक मजदूर (रेलवे के नियमित कर्मचारी नहीं) जो कि रेलवे लाइन पर सोये हुये अथवा पड़े हुए थे वे या तो इस घटना में डिब्बों से कुचले गये अथवा घायल हो गये।

(ग) अभी तक प्रतिकर के लिये कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि ये दावे प्राप्त होंगे और जब प्राप्त होंगे तो उन पर मामलों के गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

तथापि, मृतक व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों और बुरी तरह से घायल १० व्यक्तियों को ६,१०० रुपये अनुग्रहात दे दिये गये हैं।

ग्रामीण समाज के दुर्बल अंगों का कल्याण

†**१७८७. श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण समाज के दुर्बल अंगों के कल्याण संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशें सरकार ने मंजूर कर ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और वे कब कार्यन्वित की जा रही हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) और (ख). रिपोर्ट और तीसरी योजना के दृष्टिकोण में बहुत कुछ समानता है। रोजगार के संबंध में, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में खेती के मंदी के मौसमों में अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करना है। सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संबंधी अभी हाल के वार्षिक सम्मेलन ने भी यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण निर्माण कार्य परियोजनाओं की स्थापनायें वरीयता उन क्षेत्रों को प्रदान की जाये जहां मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग रहते हैं।

२. अन्य महत्वपुर्ण सिफारिशों पर जो कार्यवाही की गयी है ; वह इस प्रकार है :—

(१) मुख्यतः सामुदायिक विकास बजट से जिन कार्यक्रमों के लिए धन दिया जाता है उनके विभिन्न पहलुओं की छानबीन की गयी है और इस आशय की हिदायतें जारी की गयी हैं जिससे दुर्बल अंगों की आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से उनमें रद्दोबदल किया जा सके।

(२) सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा सहकारी खेती समितियों को पिछले वर्ष दिये गये ऋणों के अतिरिक्त अधिक ऋणों के आधार पर बैंकों की अशोध्य ऋण निधि में सरकारी अंशदान १ प्रतिशत से २ प्रतिशत कर दिया गया है।

(३) सरकार द्वारा खेती योग्य बनायी गयी जमीन, खेती योग्य परती जमीन आदि का पट्टा देने में सहकारी खेती समितियों को वरीयता दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) उत्पादन कार्यक्रमों के लिए ग्रामदान गांवों को सहायता देने के लिए तीसरी योजना में १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

(५) तीसरी योजना में सुदृढ़ आधार पर श्रम सहकारी समितियों का विकास बढ़ाने के लिए, राज्य सरकारों/संघीय राज्यक्षेत्रों से कार्यवाही करने की, जैसा कि पंजाब में किया गया है, प्रार्थना की गयी है।

(६) मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम का विस्तार किया गया है ताकि तीसरी योजना के अन्त तक लगभग १ करोड़ बच्चे इसके अधीन आ जायें। हाल के वार्षिक सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की है कि पिछड़े वर्गों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से यह योजना उन राज्यों में भी कार्यान्वित की जानी चाहिये जहां यह अभी तक लागू नहीं की गयी है।

३. राज्य सरकारों / संघीय राज्यक्षेत्रों को निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं ताकि पंचायती राज संस्थाएं दुर्बल अंगों के कल्याण के संबंध में अपना कार्य कर सकें।

क. पिछड़े वर्गों की विशेष योजनाओं के लिए नियत की गयी रकमें खंड के मार्फत दी जायें और कार्यान्विति के लिए एकीकृत कार्यक्रम तैयार किये जायें।

ख. पंचायती राज संस्थाएं दुर्बल अंगों को विशेष लाभ की योजनाओं के लिए अपने बजट की रकम का कुछ प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक वर्ष अलग रखें।

ग. दुर्बल अंगों के कल्याण के बारे में देखभाल करने के लिए जिला खंड और ग्रामस्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की विशेष समितियां कायम की जायें।

घ. विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाएं दुर्बल अंगों के लाभ के कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा किया करें।

मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन

१७८८. श्री रामसेवक यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ जिले के किसी आउट एजेंट ने मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन मास्टर तथा अन्य रेलवे कर्मचारी और किसी कमीशन एजेंट के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे जिस पर असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट ने जांच कर के रिपोर्ट दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सहायक यातायात अधीक्षक ने प्रत्यक्ष रूप से स्टेशन के किसी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया? लेकिन रेल-पर्यन्त स्टेशन पर, आउट-एजेण्ट और स्टेशन के कर्मचारियों के बीच, काम की सहूलियत के लिए दो माल-बाबुओं का स्टेशन से तबादला कर दिया गया।

दिल्ली के लिये चीनी का कोटा

†१७८९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के मुख्य संचालक ने दशहरा और दीवाली के त्यौहारों के लिए दिल्ली के खाद्य तथा असैनिक संभरण निदेशालय चीनी का विशेष कोटा मंजूर किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीनी का विशेष कोटा मंजूर किये जाने के बावजूद जनता को चीनी की सामान्य सप्लाई भी नहीं की जा सकी और चीनी का स्टाक चोरबाज़ार में पहुंच गया ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच की गयी है और यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास के पास समुद्री तूफान

†१७९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के पूर्वी तट पर २१ अक्तूबर, १९६३ को एक जबर्दस्त समुद्री तूफान आया था जिससे प्रभावित क्षेत्रों तथा देश के बारी भागों के बीच टेलीफोन और तार सम्बन्ध टूट गये थे ;

(ख) कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) क्या सारा नुकसान इस बीच ठीक कर दिया गया है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** :(क) जी हां ।

(ख) इस समुद्री तूफान से अधिकतर मद्रास राज्य की खुली तारें टूट गयी थीं । मद्रास में लगभग ५३० किलोमीटर लंबी लाइनें टूट गयी थीं । इस कारण मद्रास तथा मद्रास राज्य के दक्षिणी जिलों के बीच तथा केरल तक और आंध्र के कुछ स्टेशनों के बीच संचार साधन छिन्न भिन्न हो गये थे । निम्नलिखित स्थानों पर टेलीफोन सेवा कुछ अंश में खराब हो गयी थी :—

१. पांडिचेरी
२. कुड्डलोर
३. चिदम्बरम्
४. विल्लुपुरम्
५. पनरुती

---

†मूल अंग्रेजी में

६. भवनागरी
७. नेल्लीकुप्पम्
८. कुरुंजीपाडी
९. वृधाचलम्
१०. नेवेली प्राइवेट एक्सचेन्ज

उपर्युक्त स्थानों के लगभग २० से ६० प्रतिशत ग्राहकों पर प्रभाव पड़ा।

(ग) जी हां ।

चक्की और व्यास पर रेल तथा सड़क पुल

†१७९१. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने जालंधर मुकेरियां रेलवे पर चक्की और ब्यास के रेल तथा सड़क पुल एक समझौते के अधीन बनाये हैं ;

(ख) यह समझौता कितने वर्षों के लिए लागू रहेगा ; और

(ग) यह समझौता समाप्त हो जाने के बाद मोटरगाड़ियों तथा पैदल यात्रियों के यातायात में क्या स्थिति रहेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां। ब्यास और चक्की नदियों पर रेलवे पुल बनाते समय रोड़ डेक की व्यवस्था इस समझौते के आधार पर की गयी थी कि सड़क के अलग पुल यथाशीघ्र बनाये जायेंगे । उस समझौते में किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ग) अलग सड़क पुल बनाना सड़क अधिकारियों की जिम्मेदारी है ये दोनों ही पुल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार सम्बन्धी उनकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहले ही सम्मिलित किये जा चुके हैं ।

रेलवे बुक स्टाल

†१७९२. **श्री ह० च० सोय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की किताबों की दुकानें (बुक स्टाल्स) पर अधिकतर किताबें उपन्यास तथा लैंगिक कथाओं पर आधारित सस्ते दाम की जासूसी किताबें होती हैं और हमारी योजनाओं, इतिहास, संस्कृति तथा यात्रा सम्बन्धी पुस्तकें नहीं होतीं ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे पाठकों को दी जाने वाली पुस्तकों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जांच से पता चला है कि रेलवे बुक स्टाल पर विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती हैं जिनमें हमारी योजनाओं, इतिहास, संस्कृति आदि सम्बन्धी साहित्य भी शामिल रहता है । इन दुकानों का समय समय पर रेलवे कर्मचारियों तथा प्रत्येक रेलवे की बुकस्टाल मंत्रणा समिति द्वारा जिसमें, प्रमुख शिक्षाशास्त्री भी होते हैं, निरीक्षण किया जाता है । कुछ मामलों में तो स्टाल पर किताबें बिक्री के लिए रखे जाने से पहले इन समिति के सदस्य उन किताबों की छानबीन भी करते हैं। आपत्तिजनक साहित्य की बिक्री के कुछ मामले सामने आये हैं और सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास–मदुरै शटल विमान सेवा

†१७९३. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास से मदुरै तक शटल विमान सेवा रद्द कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) कारपोरेशन ने सूचित किया है कि राज सहायता व्यवस्था से "हिन्दू" की ओर से एक विशेष समाचार पत्र सेवा मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर-मदुरै मार्ग पर चलायी जाती थी और उसी हवाई जहाज से मदुरै / त्रिची/मद्रास मार्ग पर एक सेवा चालू की थी । "हिन्दू" ने यह विशेष सेवा व्यवस्था समाप्त कर दी है और इसलिए कारपोरेशन ने २९–९–१९६३ से मदुरै / त्रिची / मद्रास सेवा रद्द कर दी क्योंकि इस सेवा पर यातायात (लोड-फैक्टर) संतोषजनक नहीं था ।

मैसूर में सड़कें तथा पुल

†१७९४. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना काल में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये मैसूर सरकार द्वारा भेजी गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजनायें कौन सी हैं और सड़कों की लम्बाई कितनी है ; और

(ख) अब तक कौन सी योजनायें पूरी हो चुकी हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैसूर सरकार को निम्नलिखित दो कामों के लिये, जो अंन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यों की सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के भाग हैं, कुल मिला कर ८५.८१ लाखों रुपये के सहायक अनुदान दिये गये हैं :

	अनुदान की राशि (लाख रुपयों में)
(१) मणि (पास मंगलौर के समीप) को मंगलौर से मिलाने वाली सड़क का निर्माण (५० प्रतिशत लागत)—(१६.६० मील)	२५.००
(२) हुबली-करवाड़ सड़क को चौड़ा कर के दोहरे यातायात के योग्य बनाना (५० प्रतिशत लागत)—(लम्बाई १०२.५ मील)	६०.८१
कुल	८५.८१

दोनों जगह काम हो रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने जून १९६३ में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की छः अन्य सड़क तथा पुल योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहायक अनुदान के लिये प्रस्तुत कीं जो निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	सड़क का नाम/पुल का काम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
१	२	३
१.	चितापुर से यादगीर तक सड़क बिछाना . . .	२८.००
२.	चिनचोली से गुलबर्गा—सैक्शन—सुलेपेट से क्यरीकोट तक सड़क का निर्माण	२८.००
३.	श्रमगेरी से बरास्ता मल्लूरघाट करकला तक सड़क का निर्माण	३०.००
४.	कोल्लेगल ताल्लुक में चोडल्ली से तालाबेट्टा तक सड़क का सुधार .	१९.२५
५.	जिला बीजापुर में कोल्हर के समीप कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण .	४०.००
६.	मंगलौर—बाजपेई रोड़ पर मरवूर के समीप गुरपुर नदी पर पुल का निर्माण . . .	११.०७
		१५६.३२

इन योजनाओं के लिये धन देने के प्रश्न की योजना आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है ।

उर्वरक

†१७९५. **श्री गो० महन्ती :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में भारत में कुल कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक तैयार किये गये ;

(ख) इसी अवधि में भारत के कितने उर्वरक का आयात किया गया ; और

(ग) इसी अवधि में अनुमानतः कितनी मांग थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४६/६३]

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारी

†१७९६. **श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि एक ही क्षेत्र में अन्य सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को निर्माण अथवा परियोजना भत्ता दिया जाता है जब कि रेलवे कर्मचारियों को वह भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख) रेलवे में निर्माण-परियोजना भत्ता किसी विशेष क्षेत्र में आवास या किसी इलाके की महंगाई देख कर नहीं दिया जाता बल्कि ऐसे भत्ते के दिये जाने के लिये अर्ह बनाने वाली परियोजनाओं में वास्तविक रूप से काम में लगे होने अथवा उन से घनिष्ठ संबंध को देखते हुये दिया जाता है जैसे कि नई लाइनों का निर्माण अथवा पुनः स्थापन या काफी लम्बी अवधि के लिये निर्माण के कामों के कठिन स्वरूप के सर्वेक्षण, सुविधाओं का अभाव, ठीक तरह के कर्मचारियों को आकर्षित करने की आवश्यकता इत्यादि । किसी ऐसे विशेष क्षेत्र में, जहां कोई रेलवे परियोजना / निर्माण कार्य नहीं होता, रेलवे कर्मचारियों को निर्माण / परियोजना भत्ता नहीं मिलता चाहे उस क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं / निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भत्ता मिला हो ।

तार घर

†१७९७. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यवतमाल जिले में अरनी, नर, बहुलगांव तथा परवा में तार घर न खोलने के क्या कारण हैं जब कि गांव वाले तार घर योजना के अधीन अपेक्षित राशि सरकार के पास जमा कराने को तैयार हैं ; और

(ख) तार घर खोलने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा विचाराधीन हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति
१. अरनी में तार घर . . .	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित प्रत्याभूति की ग्राह्यता महाराष्ट्र सरकार के विधि विभाग के पास भेज दी गई है और उनके मतों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति
२. नर में तार घर . .	नर में तार घर की मंजूरी बिना प्रत्याभूति दे दी गई है । सामान के मिलने पर काम आरंभ किया जायेगा ।
३. बहुलगांव में तार घर .	न तो ग्राम पंचायत ने और न किसी अन्य निकाय ने नुक्सान की प्रत्याभूति का प्रस्ताव किया है । महाराष्ट्र सरकार से यह सूचना देने को कहा गया है कि क्या वह प्रत्याभूति आधार पर तार सुविधायें लेना पसन्द करेगी । उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।
४. परवा में तार घर . . .	प्रस्ताव हाल ही में मिला है और उसकी जांच हो रही है । संगत पाये जाने पर इसको मंजूरी दी जायेगी ।

पहाड़ी तिकरात्मक भत्ता

†१७९८. **श्री हेम राज :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में डाक और तार कर्मचारियों को दिये जाने वाले पहाड़ी प्रतिकरात्मक भत्ते तथा सर्दी भत्ते की दरें क्या हैं ;

(ख) जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों में दिये जाने वाले पहाड़ी प्रतिकरात्मक भत्ते की दरें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उन दरों में बड़ी असमानता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती):** (क) और (ख) जैसा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४७/६३]**

(ग) जी हां ।

(घ) राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा तत्स्थानी श्रेणियों के डाक और तार कर्मचारियों को प्राप्त कुल उप-लब्धियों तथा आस-पास के अन्य स्थानों पर पहले से ही मंजूर ऐसे भत्तों की दरों को देखते हुए डाक और तार कर्मचारीवृन्द के लिए स्वीकृत भत्ते की दरें निर्धारित की जाती हैं ।

आई० ए० सी० के विमान चालकों के लिये वर्दियां

†१७९९. **श्री कजरोलकर :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक संख्या में तथा अच्छी किस्म की वर्दियों की मांग का

†मूल अंग्रेजी में

समर्थन करने के लिए १७ अगस्त, १९६३ या उसके लगभग आई० ए० सी० के विमान चालकों ने सभी मार्गों पर बिना वर्दी उड़ान की थी ;

(ख) उनकी मांग कैसी है तथा उसकी वित्तीय उपलक्षणा क्या है; और

(ग) क्या विमान चालक अपनी निजी वर्दियों का इस्तेमाल और प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते थे ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ ने वर्दियों के सम्बन्ध में अनुसूचियों के बदलने की मांग की जिसमें ४९,७०० रुपये वार्षिक का अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त था। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रबन्धकगण ने संघ के साथ इस बारे में चर्चा की और समझौता हो गया। अब विमान चालकों को वर्दियां देने पर प्रति वर्ष १,२९,१५० रुपये की कुल लागत आयेगी जब कि कारपोरेशन द्वारा पहले ८३,६५० रुपये खर्च किये जाते थे ।

(ग) कारपोरेशन के वर्तमान नियमों के अनुसार विमान चालक अपनी वर्दियों की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते और इंडियन एयरलाइन्स से प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर स्टेशनों के प्लेटफार्म

†**१८००. श्री जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर दोहरे प्लेटफार्मों की कमी के कारण जनता तथा रेलवे अधिकारियों को बड़ी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलवे पर दोहरे प्लेटफार्म बनाने के ऐसे कितने मामले सरकार के पास लम्बित हैं तथा कितने समय से लम्बित हैं; और

(ग) क्या भद्रक रेलवे स्टेशन भी ऐसे मामलों में सम्मिलित है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) माननीय सदस्य का संकेत शायद उन स्टेशनों की ओर है जहां इकहरी लाइन खंड पर केवल एक प्लेटफार्म की व्यवस्था है जहां २ यात्री गाड़ियां एक दूसरे को क्रास कर सकती है। ऐसे बहुत से स्टेशनों पर, जहां समय-सारणी के अनुसार गाड़ियों ने क्रास करना होता है, पहले ही दो प्लेटफार्म बना दिये गये हैं। कभी-कभार जब क्रासिंग ऐसे स्टेशनों पर होता है जहां केवल एक ही प्लेटफार्म होता है, गाड़ियों के वहां आने के लिए नियम निर्धारित कर दिये गये हैं ता कि सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों को यथासंभव अत्यधिक सुविधा रहे। दोहरी लाइनों वाले खंडों पर दो प्लेटफार्म सामान्यतः बना दिये गये हैं।

जहां तक भद्रक स्टेशन का सम्बन्ध है, दोहरा करने के साथ साथ दूसरा प्लेटफार्म बनाने का विचार है ।

पंजाब को चीनी तथा गेहूं का संभरण

†**१८०१. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, संघ सरकार ने पंजाब राज्य को कितनी चीनी तथा गेहूं का संभरण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: ८ सितम्बर, १९६१ से १६ अप्रैल, १९६३ तक की अवधि में चीनी के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था। तथापि चीनी की वह मात्रा ज्ञात है जो इस अवधि में चीनी कारखानों से पंजाब में निर्दिष्ट स्थानों को भेजी गई थी। विनियंत्रण काल में चीनी कारखानों से पंजाब के निर्दिष्ट स्थानों को चीनी के वास्तविक प्रेषणों के तथा नियंत्रण काल में राज्य को आवंटित मात्राओं के आधार पर पंजाब राज्य को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष संभरित चीनी की कुल मात्रा निम्नलिखित है :—

चीनी वर्ष (१ नवम्बर से ३१ अक्तूबर)	मात्रा ('००० मीट्रिक टनों में)
१९६०–६१ . .	१४८.७
१९६१–६२	१८१.६
१९६२–६३ . . .	१६८.४

१९६१ से १९६३ तक के पूरी वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में संघ सरकार द्वारा जाब को संभरित गेहूं की कुल मात्रा, जिस में राज्य की रोलर आटा मिलों को दी गई मात्रा सम्मिलित है, निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा ('००० मीट्रिक टनों में)
१९६१ .	४९
१९६२	१५५
१९६३ (१५ नवम्बर तक) . .	१२७

टेलीफोन राजस्व कार्यालय

†**१८०२. श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार निदेशालय के ज्ञापन-पत्र संख्या २/१२/६१—टी० आर० दिनांक ६ मई, १९६१ में प्रस्तावित टेलीफोन राजस्व कार्यालय खोल दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कार्यक्रम है; और

(ग) आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश परिमंडलों में अनुसूची के अनुसार टेलीफोन राजस्व लेखांकन कार्यालय स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जिस पत्र की ओर निर्देश किया गया है उसमें केवल अप्रैल, १९६१ में समवेत लेखा अधिकारी टेलीफोन राजस्व सम्मेलन की कार्यवाही का हाल भेजा गया था।

†मूल अंग्रेजी में

सरकार की नीति, जिसका वर्णन कहीं अन्यत्र है, टेलीफोन राजस्व लेखांकन कार्यालयों को धीरे धीरे डिवीजनल स्तर पर विकेन्द्रित करने की है। वे तब तक बहु-डिवीजनल आधार पर रहेंगे जब तक कि उन्हें स्वयं-सम्पूर्ण एककों के रूप में डिवीजनल आधार पर स्थापित न किया जा सके। टेलीफोन राजस्व लेखांकन कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण उसी के अनुसार किया जाता है।

(ख) टेलीफोन राजस्व लेखांकन एकक श्रीनगर, अहमदाबाद (टेलीफोन विभाग तथा तार विभाग के लिए अलग-अलग) तथा तिरुचिरापल्ली तार विभाग के लिए तिरुचिरापल्ली में स्थापित किये गये हैं।

मदुरई, कोयम्बटूर तथा कटक तार डिवीजनों में टेलीफोन राजस्व लेखांकन एकक खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। अन्य स्थानों पर टेलीफोन राजस्व लेखांकन कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है।

(ग) गुजरात परिमंडल में टेलीफोन विभाग तथा तार विभाग के लिए अलग अलग टेलीफोन राजस्व लेखांकन एकक बना दिये गये हैं। राजकोट तार डिवीजन में एक टेलीफोन राजस्व लेखांकन एकक जल्दी से खोलने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश परिमंडलो में, टेलीफोन राजस्व लेखांकन कार्यालयों के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जहां तक आसाम परिमंडल का सम्बन्ध है, इस समय काम शिलांग में होता है।

सभी स्थानों पर परिमंडल स्तर तक विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया है। डिवीजनल स्तर तक अग्रेतर विकेन्द्रीकरण न्यायसंगत पाया जाने पर किया जायेगा।

विकेद्रीकरण माननीय तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं के कारण एक धीमी प्रक्रिया है तथा इसे धीरे धीरे और विभिन्न प्रक्रमों में किया जाना है।

बम्बई में लोकल गाड़ियां

†१८०३. **श्री बसवन्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई उपनगर की लोकल गाड़ियां डहाणू तक बढ़ाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : चर्च गेट और विरार के बीच **चलने** वाली उपनगरीय गाड़ियों को दहाणु-रोड स्टेशन तक चलाने का कोई विचार नहीं है।

विस्फोटक पदार्थों की चोरी

†१८०४. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मुहरबन्द रेलवे वैगन से विस्फोटक पदार्थों की चोरी की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं ३८०/४६१/४११ के अधीन अदालत में मुकदमा चलाये जाने के लिये चार बाहर के व्यक्तियों तथा एक रेलवे कर्मचारी को आरोपपत्रित किया है ।

बालाघाट में टेलीफोन सेवा

†१८०५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या डाक और तार मंत्री बालाघाट में टेलीफोन सेवा के बारे में १९ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मजिस्ट्रेट तथा उनकी अपनी उपपत्तियों को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार का विचार इस में शीघ्रता करने का है ;

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). अभी नहीं ।

(ग) जी हां ।

खाद्यान्नों का व्यापार

†१८०६. **श्री अ० व० राघवन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश का खाद्यान्नों तथा चीनी का अधिक व्यापार पन्द्रह परिवारों द्वारा निर्धारित है ;

(ख) यदि हां, तो थोक की सहकारी समितियों तथा राज्य व्यापार निगम को प्रोत्साहित करने का है कि वह इस क्षेत्र में प्रवेश करें ; और

(ग) इस व्यापार पर से बड़े व्यापारियों के एकाधिपत्य को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) व्यापार काफी उन के हाथ से ले लिया गया है । इस में और परिवर्तन करने के लिए, सरकार का और कोई कार्यवाही करने का नहीं है ।

किसानों को दिये जाने वाले अतिरिक्त गन्ना मूल्य

†१८०७. **श्री मलाहछामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य समन्वय फार्मूले के अधीन• दिए जाने वाले अतिरिक्त गन्ना मूल्य जो ५८ लाख रुपयों से अधिक हैं; के भुगतान में अत्याधिक बिलम्ब के बारे में मद्रास राज्य गन्ना उत्पादक संस्था ने कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

---

†गूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है जिस से उत्पादकों को उनका मूल्य मिल जायें ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न कारखाना क्षेत्रों में उत्पादकों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मूल्य निश्चित करने के लिए गन्ना (अतिरिक्त) मल्य निश्चयन प्राधिकार का गठन किया है । प्राधिकार कारखानों के लेखों की जांच कर रही है और प्राधिकार ज्योंही अपना पंचाट देगा कारखानों से धन का भुगतान करने को कहा जायेगा ।

काजूटिना तथा यूक्लिपटिस के पेड़ों का लगाया जाना

†१८०८. श्री श्रीनारायण दास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामेश्वरम द्वीप में काजूटिना तथा यूक्लिपटिस के पेड़ों को साफ किए गए क्षेत्र में लगाने की योजना का रूप क्या है तथा क्या उसको मद्रास वन विभाग तथा दक्षिण रेलवे के सहयोग से शुरू किया । किया गया है ;

(ख) योजना की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है, तथा परियोजना के वित्तीय पहलू क्या हैं ; और

(ग) क्या कोई विदेशी सहायता उपलब्ध की गई है तथा यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रामेश्वरम के निकट रेल की पटरी को रेत से भर जाने से बचाने के लिये मद्रास सरकार के वन विभाग के परामर्श से दक्षिण रेलवे की कई योजनायें विचाराधीन हैं। इस में रेत में वृक्ष लगाना आदि हैं। वास्तविक तरीके के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोट्टयम में डाकखाने की इमारत

†१८०९. श्री मणिथंगाडन : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में कोट्टयम में बड़े डाकखाने की इमारत के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†डाक और तार विभाग में उपमत्री (श्री भगवती) : आरंभिक ड्राइंग स्वीकृति के लिए तैयार है । आरंभिक अनुमान, स्वीकृति आदि तैयार करने के बारे में औपचारिक बातें पूरी हो जाने के बाद निर्माण कार्य आरंभ होगा ।

विवेकानन्द पुल, कलकत्ता

†१८१०. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवेकानन्द पुल (कलकत्ते के निकट) पार करने के लिये (टाल टैक्स) देने से पदयात्रियों को छूट दी है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार गाड़ियों को भी इससे छूट देने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन मंत्रालय में वाहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां। १ जून, १९६३ से पदयात्रियों से 'टाल टैक्स' लेना बन्द कर दिया गया है ।

(ख) गाड़ियों को यह छूट देने का विचार नहीं है ।

बाक्स वैगन

†*१८११. श्री दलजीत सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री समनानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाक्स वैगनों में कोयले के अधिभार तथा नियम पर निम्नभार की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) क्या सरकार को टन भार के प्रगणन के लिये प्रपुंज घनत्व (बल्क डेन्सिटी) का पता लगाने के लिये खींची गई दोषयुक्त लदान रेखाओं के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भेजने से पहले ठोस लदान तथा भार जानने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). अगस्त ६२ में बाक्स वैगनों में लगाई गई लोड लाइनों का पुनः समायोजन किए जाने से पूर्व इन के ठीक न होने के बारे में शिकायतें मिलीं थीं। अब स्लैक /डस्ट कोयले तथा स्टीम /रबल कोयले की लाइनों का पुनः समायोजन किए जाने के बाद से इस प्रकार की कम शिकायतें मिली हैं।

(ग) उपयुक्त तोलने के 'वे ब्रिज' स्थापित किए जाने तथा रेलवे कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है कि कोयला मजदूरों द्वारा भर दिए जाने के बाद बाक्स वैगनों की जांच करें क्या रेलवे की रसीदों पर इस बारे में उन के बारे में लिखे, जो वैगन लोड लाइन तक भरे गये हैं, परन्तु उन में उतना भार नहीं है ।

रेलवे से कहा गया है कि कार्यक्रम के आधार पर उपयुक्त 'वे ब्रिज' लगायें ।

१०,००० टन प्रति माह से अधिक कोयले का उत्पादन करने वाली कोयला खानों से कहा गया है कि बाक्स वैगनों को तोलने के लिए अपने वे ब्रिज लगाये। इस के लिये उन्हें छूट दे दी जायेगी ।

एरणाकुलम जंकशन

†१८१२. **श्री मणियंगाडन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम जंकशन के स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण तथा सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). स्टेशन के भवन का पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित सुधार करने का प्रस्ताव है :

(१) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार ।

(२) शाकाहारी तथा मांसाहारी जलपान गृहों में सुधार ।

(३) एम० जी० प्लेटफार्म पर शाकाहारी जलपान गृह की व्यवस्था ।

(४) यात्री पाखानों तथा प्रतीक्षालयों में फ्लश लगाना ।

(५) प्लेटफार्म १ पर शैल्टर लगाना ।

(ग) मद (२), (४) तथा (५) के अनुमोदन की स्वीकृति ले ली गई है तथा शीघ्र काम शुरू हो जायेगा । मद (१) तथा (३) के लिए स्वीकृति ली जा रही है ।

टेलीफोन के तारों की चोरी

१८१३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या डाक तथा तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ नवम्बर, १९६३ को दिल्ली में गुलाबी बाग के पास सब्जी मण्डी में टेलीफोन के तारों के चोरों का एक गिरोह गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन से क्या क्या चीजें बरामद हुईं ; और

(ग) उस गिरोह में कितने व्यक्ति थे ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पशु रोगों का दूर किया जाना

१८१४. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांवों में पशुओं को एक ऐसी बीमारी हो रही है जिस से वे कम दूध देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या इस बीमारी से दिल्ली दुग्ध योजना पर भी असर पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं । आजकल दिल्ली में पशुओं में कोई भयंकर बीमारी या महामारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

ऊन का उत्पादन

१८१५. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक आस्ट्रेलियाई दल भारत आया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस विषय में दल ने क्या क्या मुख्य सुझाव दिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और जी हां । फिर भी, उन के वर्गीकरण में प्रशिक्षण देने के लिये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ५ आस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई थीं । जोधपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

जेतसर कृषि फार्म

१८१६. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेतसर कृषि फार्म के लिये रूस मदद देने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की मदद मिलने की संभावना है ; और

(ग) किन शर्तों पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें

†**१८१८. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २६ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के करेली, नरसिंहपुर जिला तथा होशंगाबाद जिले में सहकारी आधार पर चीनी मिल स्थापित करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो किस से ; और

(ग) निर्णय कब तक लिये जाने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) श्री रघुनाथ सिंह जिलेदार, सहकारी चीनी मिलें, करेली, जिला नरसिंहपुर—करेली के लिये ।

(२) श्री एस० एन० बोराबाके, प्रोमोटर, भारतीय कृषि मंडल, १२४० शिवाजी नगर, आप्टे रोड, पूना—४—होशंगाबाद जिले के लिये ।

(ग) ३० जून, १९६३ तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर सरकार विचार कर रही है । इन आवेदन पत्रों पर आगे विचार किया जायेगा जब जून, १९६३ तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हो चुकेगा ।

रेलवे में पदोन्नतियां

†**१८१९. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९६२–६३ में कितने द्वितीय श्रेणी के अफसरों की प्रथम श्रेणी के अफसरों में पदोन्नति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ नवम्बर, १९६३ को प्रथम श्रेणी के कितने पद रिक्त थे ; और

(ग) रिक्त पदों को भरने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

	१९६२–६३	१-४-६३ से ३१-१०-६३ तक
(१) द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की संख्या जिनकी स्थायी रूप से प्रथम श्रेणी (कनिष्ठ वर्ग) में पदोन्नति हुई है .	२०६	१५
(२) द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की संख्या जिनकी प्रथम श्रेणी (वरिष्ठ वर्ग) में नियुक्ति हुई है . . .	८४	४०

(ख) २७, स्थायी तथा अस्थाई क्षेत्रों में ।

(ग) २७ रिक्त स्थानों में से १-११-६३ तक ६ भरे जा चुके हैं । तथा ११ और पदों को भरने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं । शेष १० रिक्त स्थान तब भरे जायेंगे जब परीक्षण वाले अधिकारी उपलब्ध हो जायेंगे ।

डाक जीवन बीमा

†१८२०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक जीवन बीमा नियमों की पुनरीक्षित सूची १ के अधीन ४९ वर्ष की आयु में ली गई समस्त जीवन बीमा पालिसी जो ७० वर्ष की आयु में समाप्त हो का दिया जाने वाला प्रीमियम, १००० रुपये तथा १५००० रुपये पर क्रमश: १२७५ रुपये १२ नये पैसे तथा १९,१२६ रुपये ८० नये पैसे है ;

(ख) क्या उन पालिसी होल्डरों द्वारा जिनका समस्त जीवन के लिये बीमा हुआ है तथा जिनको ८५ वर्ष की उम्र तक प्रीमियम देना है और जिनका बीमा इन्हीं परिस्थितियों में हुआ है, को क्रमश: १९३७ रुपये २५ नये पैसे तथा २९०५८ रुपये ७५ नये पैसे प्रीमियम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो एक ही अधिकारी द्वारा एक ही प्रकार की पालिसियों के लिये ६६२ रुपये १३ नये पैसे तथा ९९३१ रुपये ९५ नये पैसे का अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग म उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) १७–५–४८ तथा ३१–३–५७ के बीच जारी की गई पालिसियों के बारे में स्वीकारात्मक हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां । १-४-१९६० से पहले असीमित भुगतानों के लिए जारी समस्त जीवन पालिसियों (अब सहायता के तौर पर ८० वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है) के लिए ।

(ग) उल्लिखित दोनों प्रकार की पालिसियों एक समान नहीं हैं । एक असीमित भुगतान की समस्त जीवन बीमा पालिसी थी जिनकी गणना औसत आयु के आधार पर निर्धारित किया गया था। यदि नवयुवक अधिक दिन तक जीवित रहते हैं तो उनको अधिक धन अवश्य देना होगा ।

मृतकों सूद की आय तथा प्रबन्ध व्यय के आधार पर जीवन बीमा पालिसी की दरें समय-समय पर पुनरीक्षित होती हैं । इसलिए दो विभिन्न दरों वाली एक अवधि में जारी की गईं दो पालिसियां एक समान नहीं हो सकती हैं । उदाहरणतः असीमित भुगतान वाली समस्त जीवन बीमा पालिसी तथा १-४-४० को जारी बीमा पालिसी की दरें समान नहीं होती हैं । इसी प्रकार असीमित भुगतान वाली जीवन पालिसी की तुलना एक आयु तक दी गई पालिसी से नहीं की जा सकती है ।

डाक जीवन बीमा निधि नियम

†१८२१. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एक बीमा निधि नियमों में कितनी बार संशोधन किए गए ; और

(ख) पालिसी होल्डरों पर प्रत्येक संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) १५-८-४७ से आज तक डाक जीवन बीमा नियमों में संशोधन करने वाली ६१ अधिसूचनायें जारी की गई थीं जिनमें ८५ संशोधन थे ।

(ख) पचास संशोधन ऐसे थे जिनके द्वारा मौखिक तथा प्रक्रिया परिवर्तनों को लागू किया गया तथा वर्तमान नियमों का स्पष्टीकरण किया गया था जिसका पालिसी होल्डरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । शेष ३५ संशोधनों का प्रभाव संबद्ध विवरण में संक्षेप में दिया हुआ है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४८/६३**]

डाक जीवन बीमा

†१८२२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजीवन डाक बीमा पालिसी के लिए आजीवन बीमे की किश्त चुकाने की पद्धति अब समाप्त कर दी गयी है और बीमा शुदा व्यक्ति के ७० साल की उमर तक पहुंच जाने के बाद उसे कोई प्रीमियम नहीं चुकानी पड़ती ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १ अप्रैल, १९५७ से वह आयु सीमा उन पालिसी होल्डरों के लिए जिन्हें आजीवन बीमा पालिसी दी गयी थी, ८५ वर्ष निर्धारित की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इससे कुल कितनी पालिसियों पर असर पड़ा है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) प्रश्न के पहले हिस्से का उत्तर हां है और दूसरे भाग का उत्तर १६-५-४८ के बाद जारी की गयी पालिसियों के संबंध में 'हां' है ।

(ख) १७-५-४८ से पहले किये गये आजीवन बीमे (जिनके प्रीमियम आजीवन देने होते हैं) के संबंध में उत्तर हां है ।

(ग) आजीवन बीमे के (जिनके प्रीमियम आजीवन देने होते हैं) पालिसी होल्डरों को इस बारे में कुछ संदेह था कि प्रीमियम किस अवधि तक देने होंगे । यह आशंका दूर करने के लिए ही आजीवन-किश्त अदायगी वाले आजीवन बीमे की योजना समाप्त कर दी गयी है ।

साथ ही १७-५-४८ से आजीवन बीमे की नयी योजनाएं चालू की गई हैं जिनके अधीन निश्चित अवधि तक अर्थात् ६० या ७० वर्ष की आयु तक प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है।

इसी प्रकार वर्तमान आजीवन बीमे के लिए प्रीमियम के भुगतान की अवधि ८५ वर्ष की आयु तक सीमित कर के अनिश्चित अवधि को निश्चित कर दिया गया यद्यपि इससे निधि पर कुछ बोझ पड़ेगा ।

१-४-५७ को उन पालिसियों की संख्या जिन पर इससे कुछ असर पड़ा ६१०८ थी ।

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वाटर

†१८२३. **श्री मणियंगडन** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न डाक तथा तार मण्डलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्वार्टर बनाने की कितनी परियोजनाएं हैं ; और

(ख) केरल मण्डल में ऐसी कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) तीसरी योजना के पहले २ वर्षों में १४०० क्वार्टर बनाये जा चुके हैं और २,७५० क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ।

(ख) छ क्वार्टर पूरे हो चुके हैं और १३ क्वार्टर अभी तैयार हो रहे हैं ।

बड़ौदा हवाई अड्डा

†१८२४. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा हवाई अड्डा कब खोला जायेगा ;

(ख) यह हवाई अड्डा कब से बन्द है ; और

(ग) हवाई अड्डे के रनवेज़ को पुनः समतल बनाने का ठेका कब दिया गया था ; और

(घ) काम पूरा होने में देर के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) अनुमान है कि दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक, साफ मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली पट्टी (फेयर-वैदर स्ट्रिप) तैयार हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अक्तूबर, १९६२ से ।

(ग) मई, १९६२ में ।

(घ) रन वे को समतल बनाने का काम इसलिए बन्द कर देना पड़ा कि कंकरीट के कुछ ढोके घस गये जिससे उसका तल समतल नही हुआ । ढोके फिर से डालने और रन वे को मजबूत बनाने के लिए संशोधित अनुमान पर विचार किया जा रहा है ।

राजखरसवां स्टेशन पर भीड़

†१८२५. **श्री ह० च० सोय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के राजखरसवां स्टेशन पर मालगाड़ियों की काफी भीड़ होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह भीड़ हटाने के लिए पन्द्रासाली से बराबम्बू तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने की योजना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वी क्षेत्र खान मालिक असोसियेशन ने रेलवे अधिकारियों को यह सुझाव दिया है कि बराजमदा क्षेत्र की खानों को दक्षिण पूर्व रेलवे की मेन लाइन पर स्थित मनोहरपुर के साथ जोड़ने के लिए एक नयी रेलवे लाइन बनायी जाये ; और

(घ) इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) . बराजमदा क्षेत्र से लौह अयस्क बोकारो इस्पात संयंत्र तक लेजाने के लिए पन्द्रासाली और बराबम्बू के बीच एक कार्ड लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य १९६३–६४ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था लेकिन बाद में तत्कालीन इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि बोकारो इस्पात कारखाने को लौहअयस्क की सप्लाई किरीबुरु खानों से प्राप्त होगी और इसलिए यह लाइन बनाना आवश्यक नहीं है ।

पूर्वी क्षेत्र खान मालिक असोसियेशन की ओर से, बराजमदा क्षेत्र से मनोहरपुर तक रेलवे लाइन बनाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

रेलगाड़ी और ट्रक की टक्कर

१८२६. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० नवम्बर, १९६३ को आगरा पेसेंजर की एक मोटर ट्रक से टक्कर हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने आदमी मरे और कितने घायल हुये ; और

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २९-११-६२ को (न कि ३०–११–६३ को) नं० २ एस० एफ० शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद सवारी गाड़ी (न कि आगरा सवारी

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ी), उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में पखना और नीबकरोरी स्टेशनों के बीच उत्तर प्रदेश रोडवेज के एक मोटर ठेले से टकरा गयी थी।

(ख) इस दुर्घटना में पांच आदमी घायल हो गये जिनमें से तीन को गहरी चोटें आयीं। जिन तीन आदमियों को गहरी चोटें लगी थीं, उनमें से एक २-१२-६३ को फतेहगढ़ के सिविल अस्पताल में मर गया।

(ग) दुर्घटना का कारण यह था कि ट्रक के ड्राइवर ने रेल गाड़ी के ड्राइवर द्वारा बार-बार सीटी दिये जाने पर और ट्रक में बैठे लोगों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और आती हुई गाड़ी से पहले समपार को पार करने की कोशिश की। समपार पर कोई चौकीदार तैनात नहीं है।

अजमेर में उर्स का मेला

१८२७. **श्रीमती शशांक मंजरी :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर के उर्स मेले में बहुत से यात्री आये थे और उनमें से बहुत से बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति बिना टिकट पकड़े गये और उनसे कितनी राशि वसूल ई ; और

(ग) कितने व्यक्तियों का चालान किया गया ?

रेलवे मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). इस वर्ष उर्स के मेले में शामिल होने के लिए करीब ५० हजार यात्री अजमेर आये थे। लगभग १३०० यात्री बिना टिकट या बिना उपयुक्त टिकट यात्रा करते पकड़े गये और इनसे ७,६०० रुपये वसूल किये गये।

(ग) किसी का चालान नहीं किया गया।

पोस्टल सेविंग बैंक में धोखा

१८२८. **श्री किशन पटनायक :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ फरवरी, १९५९ से ३० अगस्त, १९६० की अवधि में बरगड (जिला संभलपुर) उड़ीसा में पोस्टल सेविंग बैंक में जो धोखा-धड़ी और गबन हुआ था, उस संबंध में कितने कर्मचारियों के खिलाफ अदालती कार्यवाही की गई ;

(ख) अदालत ने इस मामले में क्या निर्णय दिया ;

(ग) क्या अदालती कार्यवाही के सिवाय कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) एक।

(ख) अदालत द्वारा कर्मचारी को अपराधी ठहराया गया और विभिन्न मामलों में जुर्मानों के अलावा एक महीने से पांच वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा दी गई ।

(ग) इक्कीस विभागीय कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के लिये जिम्मेदार ठहराया गया और उनमें से अठारह कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूरी हो चुकी है ।

(घ) उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत कर दिया गया और सत्रह कर्मचारियों के वेतन से कुल मिला कर ६०८३ रुपये की वसूली के आदेश दे दिए गए हैं । विभाग की हुई कुल हानि ३०,००० रुपये से भी अधिक है ।

डाक के जले हुए थैले

†१८२९. **श्री धवन :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विभिन्न विनिमय कार्यालयों के लिए डाक के थैले जो "एस० एस० स्टील डिजाइनर" द्वारा बम्बई बन्दरगाह पर उतारे जाने वाले थे, २० सितम्बर, १९६३ को आग में जल गये ; और

(ख) यदि हां, तो आग के कारण क्या थे ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां । २० सितम्बर, १९६३ को न्यूयार्क बन्दरगाह में "एस० एस० स्टील डिजाइनर" में आग लग गयी जिसमें डाक के कई थैले पूरी तरह जल गये और कुछ थैले आग-पानी से खराब हो गये ;

(ख) पता नहीं, क्यों कि आग अमरीका की समुद्री सेवा के दौरान लगी थी ।

नयी तेल नौवहन कम्पनी के तेलवाहक जहाज

†१८३०. **श्री वारियर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या परिव त्री ३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी तेल नौवहन कम्पनी के तेलवाहक जहाज सरकारी तेलशोधक कारखानों के लिये अशोधित तेल ले जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या माल भाड़े की दरों के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी तक सरकार ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है वह यह है कि नयी जहाज कम्पनी के तेलवाहक जहाज नयी तेल कम्पनी के लिये मंगाये जा सकते हैं। ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार ने कहा है कि मालभाड़ा की दरें बाजार की दरों के बराबर होनी चाहियें ।

स्वच्छता विभाग

†१८३१. **श्री कपूर सिंह :**
श्री यू० न० सिंह :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री सेलंकी :
डा० ब० न० सिंह :
श्री भील :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने स्वच्छता विभाग में ठेके के मजदूर रखने की प्रणाली अभी हाल में समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रणियों के स्वच्छता-कर्मचारियों के वर्तमान वेतनक्रम तथा भत्ते कितने-कितने हैं ; और

(ग) क्या पुरुषों और स्त्रियों के वेतनक्रम अलग-अलग हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर रेलवे में हिन्दी का प्रयोग

†१८३२. **श्री लक्ष्मण कृष्ण सिंह :**
श्री शिवनाथ राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी शाखाओं में ६० प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त है और इनमें से कितनी शाखाओं में हिन्दी में काम किया जा रहा है ; और

(ख) इन सभी शाखाओं में हिन्दी में काम आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे की अधिकतर शाखाओं में ६० तिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान है और इन सभी शाखाओं में सीमित रूप से हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

बिहार में दुग्ध योजनाएं

†१८३३. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने बिहार सरकार को तीसरी योजनाकाल में अब तक दुग्ध योजनाओं के लिए कुल कितना धन दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अवधि में बिहार सरकार ने वास्तव में कितना धन व्यय किया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी बिहार राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में केन्द्रीय सहकारी बैंक

†१८३४. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में जिलावार सहकारी बैंकों की संख्या क्या है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : ३० जून, १९६२ तक की जिलावार जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१४९/६३]

स्मृति टिकट

†१८३५. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ दिसम्बर, १९६४ को, जो कि भारत संघ के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म दिन है, उनके नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी करने का कोई विचार है ?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : जी नहीं : ।

कृषि उत्पादन

†१८३६. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि खाद्य तथा कृषि संगठन ने कोई अध्ययन किया है तो उसके आधार पर मध्य-कोसी बेसिन में और कोसी-अतिरिक्त पट्टी में खाद्यान्न तथा पटसन का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं की खोज में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) आजकल यह मामला किस स्थिति में है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने ऐसा कोई अध्ययन किया है या नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में सहकारी आन्दोलन

†१८३७. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में बिहार में सहकारी आन्दोलन को तेज करने के लिए बिहार सरकार को केन्द्र ने कोई ऋण या सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या केन्द्र ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि वह बिहार सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सहकारिता विभाग के अन्तर्गत, जिसके लिए धन केन्द्र देता है, एक प्रचार विंग खोले ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरा निम्न है :—

(लाखों में रुपये)

वर्ष	ऋण	सहायता	योग
१९५८–५९ . . .	१३.२९	७.६१	२०.९०
१९५९–६० . . .	३५.८७	१२.२३	४८.१०
१९६०–६१ . .	४.१३	१५.५७	१९.७०
१९६१–६२ . . .	१५.८५	१८.१०	३३.९५
१९६२–६३ . . .	२१.७३	११.३१	३३.०४
योग .	९०.८७	६४.८२	१५५.६९

(ग) जी नहीं । राज्य सहकार संघ यह कार्य करेगा और वह ही प्रचार सम्बन्धी योजना उपबन्ध को लागू कर रहा है ।

लूनकरणसर में तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन

१८३८. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री प्र० रं० लास्कर :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर जिले के तहसील मुख्यालय लूणकरणसर में एक तारघर और एक सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या वहां कोई विभागीय इमारत बनवाने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). लूणकरणसर में तार सुविधाएं और सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। यदि सामान उपलब्ध हो जायेगा तो इस कार्य के मार्च, १९६४ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

केरल के लिये चावल का कोटा

†१८३६. { **श्री मणियंगाडन :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चावल के अपने वर्तमान कोटा को बढ़ाने की प्रार्थना की है ;

(ख) कितनी वृद्धि मांगी गई है ; और

(ग) इस प्रार्थना पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). राज्य सरकार ने संघ सरकार से अधिक चावल देने की प्रार्थना की थी ताकि वह उचित मूल्य की दूकानों पर मिलने वाले चावल की मात्रा बढ़ा सके। राज्य सरकार के परामर्श से यह निश्चय हुआ है कि मात्रा एक एडंगली (स्थानीय तोल) से बढ़ा कर १½ एडंगली कर ी जाये। केरल में केन्द्रीय डिपो के प्रभारी सह-निदेशक को इस आधार पर चावल देने का अनुदेश दे दिया गया है ।

बम्बई के पास रेल-दुर्घटना

१८४०. { **श्री ओंकार सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ दिसम्बर, १९६३ को बम्बई के पास कोलम्ब और ढोकी के बीच में एक रेलगाड़ी और बस में टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था; और

(ग) इसमें कितनी जन-धन की हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए सीनियर स्केल अफ़सरों की जो समिति नियुक्त की गई थी, उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में बस के तीन आदमी तत्काल मर गये और २५ अन्य घायल हो गये, जिनमें से १३ को गहरी चोटें आयीं। इनमें से एक बाद में चोटों के कारण मर गया । रेल सम्पत्ति को अमानतः ४०० रुपये का नुकसान हुआ । इस बात की जानकारी अभी नहीं है कि जनता की सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मझोला हाल्ट स्टेशन

१८४१. { **श्री ओंकार सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़-बरेली सेक्शन पर चन्दौसी-बहजोई के बीच मझोला हाल्ट लेबल क्रासिंग को गेट नं० ४० से हटाकर गेट नं० ४१ पर रख देने की रेलवे की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो वहां गाड़ियां कब से ठहरने लगेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) हाल्ट स्टेशन को हटाकर दूसरी जगह ले जाने का एक सुझाव मिला है। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है और अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

डाक की दरें

†१८४२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४०० ग्राम के भार के पार्सल पर ६० नये पैसे लगते हैं जब कि यदि उसी को रियायती बुकपोस्ट से भेजा जाये तो उस पर ८० नये पैसे लगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस नियमविरोध को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) समान भार के (१) पार्सलों (२) बुक पोस्टों, जिनमें केवल सामयिक पत्रिकायें हों; (३) केवल छपी पुस्तकों के बुक पोस्टों, और (४) पुस्तक, नमूना के पैकेटों पर लगने वाले डाक-व्यय का ब्यौरा देने वाले दो विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० २१५०/६३]** प्रतीत होगा कि केवल पुस्तक, नमूना पैकेट पर होने वाला डाक-व्यय कुछ भार पर पार्सल पर होने वाले डाक-व्यय से अधिक है।

(ख) प्रायः केवल विज्ञापन तथा प्रचार सम्बन्धी सामग्री बुक तथा नमूना पैकेटों से भेजी जाती है। छपी हुई पुस्तकों तथा सामयिक पत्रिकाओं पर पार्सलों की अपेक्षा कम टिकट लगते हैं। इस प्रकार बुक पोस्ट से भेजी जाने वाली सामग्री के डाक-व्यय की विभिन्न दरों में कोई नियम विरोध नहीं है।

वाणिज्यिक उपक्रमों में सेवा निवृत्त रेलवे अधिकारी

†१८४३. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनमें रेलवे बोर्ड तथा भारतीय रेलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों में सेवा निवृत्ति पाकर तथा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करके नौकरी प्राप्त की है; और उनका वेतन क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति फर्मों की ओर से नई दिल्ली में रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २१५१/६३]** रेलवे मंत्रालय को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें कितना वेतन दिया जाता है।

(ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केवल चार अधिकारी दिल्ली में रहते हैं।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

†१८४४. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २४ के उपबन्धों के अनुसार बना दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विनियमों के बनाने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के स्थान पर भाण्डागार निगम अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५८वां) आ गया है और सेवा की शर्तों तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा ४२ (२) (क) के अन्तर्गत मिलने वाला पारिश्रमिक को केन्द्रीय भाण्डागार निगम के निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त हो गई है। इनकी अधिसूचना धारा ४२ (१) के उपबन्धों के अनुसार सरकारी गजट में दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में रेलवे लाइनें

†१८४५. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में एक लाख की जनसंख्या के लिए ३.४ मील लम्बी रेलवे लाइन है जब कि अखिल भारतीय औसत ९.५ मील है ;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) केरल में सरकार किन नई रेलवे लाइनों का लाभ आरम्भ करना चाहती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे सम्बन्धी मामलों के आंकड़े राज्यवार नहीं अपितु रेलवे वार एकत्रित किये जाते हैं। आजकल देश के विभिन्न भागों में रेलवे लाइनों का विस्तार राज्यवार आधार पर नहीं अपितु विशिष्ट औद्योगिक

---

†मूल अंग्रेजी में

परियोजनाओं, बन्दरगाह सुविधाओं के विस्तार, खनिजों तथा प्राकृतिक संसाधनों के शोषण तथा उपयोग, सामरिक विचारों तथा स्वयं रेलों की संचालन आवश्यकताओं के आधार पर होता है और वह भी उस धन-सीमा के भीतर होता है जो योजना आयोग ऐसे रेलवे कार्यों के लिए निर्धारित करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तीसरी योजना काल में बनने वाली कोई भी नई लाइन केरल में नहीं है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

†१८४६. { श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के क्षेत्रीय कार्य करने वाले अनुसचिवीय कर्मचारी वेतन के मामले में राज्य नियमों और सेवा की शर्तों के मामले में केन्द्रीय नियमों के अन्तर्गत आते हैं ;

(ख) क्या अनुसचिवीय क्षेत्रीय कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर भुगतान होता है ; और

(ग) इस अनियमितता के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) लागू कर्मचारी विनियमों के अन्तर्गत भाण्डागारों में अनुसचिवीय कर्मचारी पहिले वेतन के मामले में राज्य नियमों और सेवा की शर्तों के मामले में केन्द्रीय नियमों के अन्तर्गत आते थे। नये विनियमों के अन्तर्गत जिन्हें निदेशक मण्डल अनुमोदित कर चुका है और जो शीघ्र ही अधिसूचित हो जायेंगे, क्षेत्रीय अनुसचिवीय कर्मचारियों और मुख्यालय के कर्मचारियों को मकान वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) एक राज्य में रखे गये कर्मचारी उसी राज्य में काम करने के लिए थे जब कि अनानुसचिवीय कर्मचारियों को अखिल भारतीय आधार पर रखा गया था और वे देश के किसी भी भाग में भेजे जा सकते थे। फिर भी, उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में कहे गये के अनुसार नये विनियमों के लागू होने से अनियमितता समाप्त हो जायेगी।

पेंशन योजना

†१८४७. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५७ से पहिले सेवानिवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू करने के लिए अभ्यावेदन किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों ने अभ्यावेदन किये हैं कि सेवानिवृति के बाद पेंशन-लाभ जो कि सामान्य रूप में रेलों में १९५७ से दिया गया है और जिसे अपनाने के लिये उन रेलवे कर्मचारियों से कहा गया था जो १–४–१९५७ को सेवा में या जो उस तारीख से लेकर १५–११–१९५७ तक भर्ती किये गये। यह चुनाव रेलवे की सेवा निवृति लाभ सम्बन्धी अंशदायी भविष्य निधि योजना के बदले में थी और यह उन लोगों पर भी लागू होनी चाहिये जो १–४–१९५७ से पहिले १९४७ से आगे सेवानिवृत हुए हैं।

(ख) तथा (ग). अभ्यावेदनों पर उचित विचार किय गया था और यह निश्चय हुआ था कि प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। इसका यह कारण है कि रेलों पर सेवा निवृति लाभ की पेंशन योजना को लाग करना—जो कि १६–११–१९५७ से रेलवे सेवा में आये हैं उन सभी पर अनिवार्य रूप से लागू होती है—सरकार के नये निश्चय पर आधारित था। इस मामले में १९४७ के वेतन आयोग की सिफारिशों से यह बात उत्पन्न नहीं होती। सेवा की शर्तों में परिवर्तन सम्बन्धी सरकारी सभी निश्चयों बहुत पहिले से लागू नहीं किया जाता। पिछली अवधियों के लिए समायोजन करने में कठिनाइयां हैं, उन्हें छोड़कर, ऐसा नहीं किया जाता। रेलों को छोड़ कर, जब कुछ संस्थानों पर लागू होने वाली अंशदायी भविष्य निधि योजना के स्थान पर १९६० में पेंशन योजना लागू की गई, तो पेंशन योजना चुनने का अवसर उन सरकारी कर्मचारियों को दिया गया था, जो उस तारीख को सेवा में थे जिस तारीख से पेंशन योजना लागू हुई है। उन लोगों को अवसर नहीं दिया गया जो उन तारीखों से पहिले सेवा निवृत हो चुके थे।

रेलवे संघ

†**१८४८. श्री रामसेवक यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन १५ प्रतिशत या अधिक सदस्यों वाले संघों को मान्यता देता है; और

(ख) यदि हां, तो विद्यमान फेडरेशनों, अर्थात् एन० एफ० आई० आर० या ए० आई० आर० एफ० से सम्बद्ध होने पर भी प्रशासन ने कितने संघों को मान्यता दी है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे प्रशासन की मान्यता प्राप्त करने के लिए संघ की सदस्य संख्या का १५ प्रतिशत या अधिक होना केवल एक सिद्धान्त है।

(ख) रेलवे प्रशासन ने कुल पन्द्रह संघों को मान्यता दी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोहाटी तेल शोधनशाला में काम रुक जाना

†**श्री हेम बरुआ** : मैं **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक

---

†मूल अंग्रजी में

वक्तव्य दें।

"पानी पम्प करने वाले स्टेशन में गड़बड़ी के कारण हाल में गोहाटी तेल शोधनशाला में काम रुक जाना।"

†पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : मुझे खेद के साथ बताना पड़ता है कि २६ अक्तूबर और १५ नवम्बर, १९६३ के बीच में पम्प स्टेशन (पम्पिग स्टेशन) के लिए पानी की कमी के कारण गोहाटी शोधनशाला के तीन यूनिटों को अस्थाई रूप में बन्द किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी की पानी सतह कम होने के कारण १० और १५ सितम्बर, १९६३ के बीच में जलबालू-उत्थान (shoal) दिखाई दिया और पम्प स्टेशन के उत्तर-पूर्व का जल मार्ग मिट्टी से भर गया मजदूरों द्वारा इस जलबालू उत्थान में से जल मार्ग बनाने की तात्कालिक कोशिश की गई, परन्तु इस कार्य में निचली-मिट्टी (सबसायल) के पानी से मजदूरों के कार्य में रुकावट पड़ने से सफलता नहीं मिली।

इस समस्या का सन्तोषजनक हल केवल यही था कि एक चूस झा (सक्शन ड्रजर) का प्रयोग किया जाए किन्तु इस प्रकार का चूस झा उस स्थान पर या कलकत्ता में उपलब्ध नहीं था। एक पकड़ पट्टी झाम (ग्रेब-ड्रेजर) गोहाटी की प्राईवेट फर्म से प्राप्त किया गया और पकड़ पट्टी को चढ़ाने के लिए रेलवे से एक फ्लोटिंग बार्ज (फ्लोटिंग बर्ज) हासिल किया गया। इसे १९–१०–६३ को कार्य पर लगाया गया और इसने २०–१०–६३ को कार्य करना शुरू किया किन्तु यह उपाय भी पानी को पर्याप्त मात्रा में देने में समर्थ नहीं हुआ क्योंकि इसी दौरान में विशेष रूप से पानी की सतह और कम हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण स्थिति और भी कठिन हो गई और अनावश्यक खतरे से बचने के लिए यह निर्णय किया गया कि जल-प्रदाय पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और विद्युत्-केन्द्र को चालू रखा जाए किन्तु पानी की आवश्यकता की मात्रा को कम करने के लिए शोधनशाला के तीन यूनिटों को बन्द किया जाए।

बड़े पैमाने पर मजदूरों की सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए एक अन्दरूनी जलमार्ग बनाने के लिए पुनः कोशिश की गई, परन्तु कीचड़ के कारण यह प्रयत्न नाकामयाब रहा। दूसरा अस्थाई उपाय शोधनशाला को जल प्रदाय करने का अपनाया गया। एक अतिरिक्त पम्पिग स्टेशन को गहरे पानी में उतारा गया जहां से बार्जेज (बार्जेस) के समीप के अहाते में पानी पम्प किया जा सके ताकि स्थाई पम्पिग स्टेशन में पानी उठ सके और पानी शोधन संयंत्र (ट्रीटमेंट प्लांट) को मिल सके। तैरता हुआ पौटून (फ्लोटिंग पोंटून) उस स्थान पर अथवा कलकत्ते में उपलब्ध न होने के कारण शोधनशाला के पोंटन को चार पम्पों को समावश कराने के लिए बढ़ाया गया। यह अस्थाई प्रबन्ध पूरे किए जा चुके हैं तथा शोधनशाला के टैंकी में पानी उचित मात्रा में पम्प किया जा चुका है। शोधनशाला ने पुनः १६–११–६३ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

इसी बीच में एक नया झाम (ड्रेजर) बम्बई से खरीदा गया है और उसे गोहाटी लाया जा रहा है। १४–११–७३ को गोहाटी में, एक विशेषज्ञ खारकवासला गवेषण केन्द्र (खारकवासला रिसर्च स्टेशन) से गोहाटी में पहुंच गया है और उस विशेषज्ञ की दीर्घकाली जल प्रदाय करने की व्यवस्था पर रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

†श्री हेम बरुआ: यह शोधनशाला १ जनवरी, १९६२ को चालू हुई और तब से दो बार इस का काम रुक चुका है एक बार मिट्टी के तेल का एकक खराब हो गया था और अब पानी पम्प करने का स्टेशन खराब हो गया है। दोनों बार उत्पादन में काफी घाटा हुआ। इन बातों को देखते हुए

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या सरकार इस शोधनशाला के कार्य-संचालन के बारे में एक उच्च स्तरीय जांच कराने के लिये तैयार है ? क्योंकि इन खराबियों का कारण शोधनशाला के आधिकारिणों की कर्त्तव्य अवहेलना ही है।

†श्री हुमायून् कबिर : जांच कराना आवश्यक नहीं है, विशेषकर चूंकि जिन पूर्वधारणाओं पर यह प्रश्न आधारित है वह गलत हैं।

†श्री हेम बरुआ : जी नहीं ——

†अध्यक्ष महोदय: मैंने आप को प्रश्न करने की अनुमति दी थी जिस का उत्तर दे दिया गया है।

†श्री हेम बरुआ : आप मंत्री को हमारी आंखों में धूल डालते हुए नहीं देख सकते। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं आप का संरक्षण चाहता हूं ——

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। पहले मुझे आप का सहयोग मिलना चाहिए। आप बैठ जायें।

†श्री हेम बरुआ : ऐसा मालूम होता है कि हमें आप से संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

†श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह कथन अनुचित है। इसे वापिस लेना चाहिए।

†अध्यक्ष महोदय : आप किस प्रकार मेरा संरक्षण चाहते हैं ?

†श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर तो दे दिया गया है। उत्तर पर्याप्त है अथवा नहीं, इस का निर्णय करने का यह तरीका नहीं है।

†श्री रघुनाथ सिंह : माननीय सदस्य ने अध्यक्षपीठ पर आक्षेप लगाया है। उन्हें अपने कथन को वापिस लेने के लिये कहा जाय।

†श्री हेम बरुआ : मेरे अध्यक्षपीठ पर आक्षेप करने का इरादा नहीं था।

†अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं तो मुझे आप के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप अपने अपराध को बढ़ा रहे हैं।

इस माननीय सदस्य के बारे में मेरी कठिनाई यह है : एक दिन वह मेरे पास आये और कुछ अवसरों पर अपने व्यवहार के लिये खेद प्रकट किया। उन्होने अपनी मजबूरी जाहिर की कि कभी कभी वह अपने आप पर संयम नहीं रख सकते।

†श्री हेम बरुआ : यह बात तो मैंने सभा में भी कही है।

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा कई बार हो चुका है परन्तु हर बार इसे सहन नहीं किया जा सकता इस का सहन कभी कभी ही किया जा सकता है।

---

†मल अंग्रजी में

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक जानकारी चाहता हूं —

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से एकदम बीच में दखल देकर किसी नोटिस की बाबत आप जानकारी नहीं ले सकते।

श्री रामसेवक यादव : अगर हुक्म न हो तो मैं उस का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं उस की बाबत जानकारी इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैंने यहां लोकसभा सचिवालय के जो एक सहायक थे उन से भी इस की बाबत पूछा था कि मैं ने शुक्रवार को एक ध्यानाकर्षण नोटिस सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के बारे में दिया था . . .

अध्यक्ष महोदय : उस बारे में मुझे इस वक्त पता नहीं है इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। माननीय सदस्य अब बैठ जायें।

श्री रामसेवक यादव : शुक्रवार को जो सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के बारे में मैंने नोटिस दिया था वह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लेकिन अभी तक मुझे उस बारे में कोई इत्तिला ही नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैं आप को अभी इत्तिला भिजवा दूंगा—मेरे पास ४०—५० नोटिस होते हैं जो कि १५—२० मिनट में आते हैं आजकल ६—७ पार्टियां हर एक मेम्बर इंडिपेंडेंटली पार्टी के, नोटिस भेजता है, एक, एक मैम्बर कभी कभी ६, ६ नोटिस भेजता है, ऐसी हालत में आप खुद समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में हर एक की बाबत जानकारी नहीं रह सकती है। बहरहाल में अभी इत्तिला भिजवाये देता हूं कि आप के नोटिस का क्या हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर) : विरोधी पक्ष के सदस्यों को शिकायत है कि नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों तथा राष्ट्रहित के मामलों को सभा में अविलम्ब उठाने नहीं दिया जाता। मेरा सुझाव है कि आप दलों के नेताओं को बुला कर इस विषय में बातचीत करें ताकि हम महत्वपूर्ण विषयों को अविलम्ब उठा सकें और सरकार से उत्तर प्राप्त कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मेरे ढील देने पर भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। मैं तो नियम में भी ढील देता रहा हूं। नियमों के अन्तर्गत, एक दिन में केवल एक ही ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव लिया जा सकता है, परन्तु मैं अधिक समय देता रहा हूं, जो बात कि नियम विरुद्ध है। एक प्रस्ताव के लिये, अनुमति मैंने दे दी है और दूसरा प्रस्ताव ५ बजे लिया जाने को तयार हूं। एक अन्य प्रस्ताव के बारे में प्रधान मंत्री १८ तारीख को वक्तव्य देने के लिये सहमत हो गये हैं। यदि मंत्री चाहें तो सूचना एकत्र करने के लिये वह कुछ समय ले सकता है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने किस कठिनाई का अनुभव किया है, यह मैं नहीं समझ पाया, जब कि आज सुबह सूचना उन्हें भेज दी गयी है। माननीय सदस्य को इस प्रकार प्रश्न उठाना नहीं चाहिए।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त में किसी सूचना का जबाब नहीं दूंगा।

श्री योगेन्द्र झा : आप विषय को तो सुन लीजिए। ईख वालों को भारत रक्षा कानून के द्वारा बाध्य किया जा रहा है कि वे मिलों को ईख दें। लेकिन चीनी के कारखानों में तालाबन्दी

---

†मूल अंग्रेजी में

हो रही है । बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में चीनी के कारख़ानों में तालाबन्दी हुई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सैकड़ों स्थायी मज़दूर बेकार हो गए हैं और हज़ारों किसानों का गन्ना खेतों में सूख रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब बैठ जायें ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : वह आप से यह चर्चा करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मेरे पास आकर बात कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार सभा में इस मामले को उठाना अनुचित है ।

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस वक्त में और किसी बात की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय , यह डी० आई० आर० के तहत दो सौ आदमियों की गिरफ्तारी का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं हाउस के सामने यह रखना चाहता हूं कि मैं इस तरह काम नहीं कर सकता , अगर हर एक मेम्बर, जिस वक्त वह चाहे और जो कुछ उस का जी चाहे, खड़ा हो कर कह दे। मेरा हर रोज़ कहा जाना कि ऐसा न किया जाये और मेम्बर साहबान का परवाह न करना बहुत बुरा मालूम होता है । यह मेम्बर साहब अब फिर खड़े हो गए और यह रोज़ खड़े हो जाते हैं । हर रोज़ मुझे इन से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि यह वाजिब नहीं है, लेकिन यह ज़रूर खड़े हो कर अपनी बात कह देंगे । इस लिए मैं यह कहना चाहता हूंकि कम से कम जो कुछ मैं कर सकता हूं, वह यह होगा कि जो मेम्बर साहब इस तरह से बिहेव करेंगे, ही वुड नाट बि एबल टु कैच माई आई इन फ्यूटर — मैं उन को बोलने का मौका नहीं दूंगा । जो मेम्बर साहबान बोलने के लिये खड़े हों, उन में से जिन को मैं आइडेंटीफ़ाई करूं, जिन का नाम मैं बुलाऊं, मेहरबानी कर के सिर्फ वही बोलें और दूसरे मेम्बर साहब न बोलें । अगर मेरे कहने के बावजूद अगर कोई मेम्बर साहब परसिस्ट करेंगे, तो जो कुछ मैं ने पहले एक दफ़ा किया था, उस को दोहराऊंगा, यानी मैं उन मेम्बरान साहब के अलफ़ाज़ को रिकार्ड में लिखा जाना बन्द कर दूंगा । तीसरा कदम ज्यादा होगा और मैं नहीं चाहता कि किसी वक्त भी मैं उस को उठाऊं और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे वह न उठाना पड़े । इसलिये मैं चाहता हूं कि मेम्बर साहबान मेरे साथ सहयोग करें। स्पीकर चाहे जितना भी चाहे, इस हाउस में आर्डर नहीं रख सकता है , जब तक कि मेम्बर्ज़ सहयोग न करें । यहां पर आर्डर कायम रखना मेम्बर साहबान का भी उतना ही फ़र्ज़ है , जितना कि स्पीकर का है । मुझे उम्मीद है कि मेम्बर साहबान इस में मेरी पूरी इमदाद करेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हम सहयोग देंगे ।

†**श्री नम्बियार** : जो महत्वपूर्ण घोषणा आप ने की है उसे उन सदस्यों ने नहीं समझा जो हिन्दी नहीं समझते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं ने अभी अभी सभा को बताया है कि जब तक सभी माननीय सदस्यों का सहयोग न मिले, अध्यक्ष सभा में व्यवस्था कायम नहीं रख सकता । प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह सभा में व्यवस्था बनाये रखने में अध्यक्ष को सहयोग दे ।

दूसरे, बिना अनुमति के किसी सदस्य को नहीं बोलना चाहिये ।

तीसरे, यदि कोई सदस्य बराबर यही व्यवहार करेगा तो उस के कथन कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिये जायेंगे । साकार मामलों में तो नहीं, परन्तु निरन्तर ऐसा व्यवहार करने पर, मैं कथनों को कार्यवाही वृतान्त से निकालने का आदेश दूंगा ।

†**श्री नम्बियार:** एक औचित्य प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राज बहादुर ।

†**श्री नम्बियार** : संसद् के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वणिक नौवहन (व्यापारी बेड़े के इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक, प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २३ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० १८०५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (व्यापारी बेड़े के इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन, नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २१३०।६३] ।

(२) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९–क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिए हिन्तुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकलाय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २१३१।६३]

नागालैंड राज्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** मैं नागालैंड राज्य अधिनियम, १९६२ की धारा ३१ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १२ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६२० में प्रकाशित नागालैंड (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६३ ।

(दो) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या १८४७ में प्रकाशित नागालैंड (कठिनाइयों को दूर करना) १९६३ का आदेश संख्या २ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या १८४८ में प्रकाशित नागालैंड (कठिनाइयों को दूर करना) १९६३ का आदेश संख्या ३।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २१३२/६३]

नेल्लोर चावल (निर्यात पर रोक) आदेश

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ६ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८७९ में प्रकाशित नेल्लोर चावल (निर्यात पर रोक) आदेश, १९६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २१३३/६३]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

†डाक तथा तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष १९६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २१३४/६३]

(दो) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २१३५/६३]

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन

†डा०राम सुभग सिंह :—

मैं वर्ष १९६२–६३ के लिए कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की गति-विधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २१३६/६३]।

सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे में

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुख़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले विदेश मंत्री की पीकिंग से काहिरा और नैरोबी सम्बन्धी ग़लत-बयानी पर कुछ कहना चाहता हूं। विदेश मंत्री ने माननीय सदस्य, श्री बागड़ी के प्रश्न का उत्तर देते हुए ४ दिसम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राममनोहर लोहिया]

को कहा था — मैं उन के शब्द पढ़ देता हूं:—

"कोई और रास्ता होगा तो बहुत लम्बा होगा, कोई सीधा रास्ता नहीं होगा।" फिर उन्होंने कहा :

"मैं नहीं जानता । शायद सीलोन हो कर जा सकें । "

तो जहां तक सीलोन का सम्बन्ध है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, हालांकि यह बहुत ग़लत है, क्योंकि उस में "शायद" भी है और वह जानते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का स्टेटमेंट लिखा होगा ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जी नहीं । लिख कर लाता, तो और अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे स्टेटमेंट तो लिखे हुए तैयार होने चाहियें और उन्हें ही यहां पर पढ़ना चाहिये । अगर माननीय सदस्य के पास इस वक्त लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं उनको कल फिर मौका दे सकता हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जैसी आपकी इच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन माननीय सदस्य ने एक स्टेटमेंट मुझे भेजा है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, वह तो ख़त था आप को । वह स्टेटमेंट नहीं था । वह तो खत था इस सवाल को उठाने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ने मुझे जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उसी की इजाजत दे सकता हूं। उस के अलावा और कुछ आप नहीं कह सकते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह तो सिर्फ ख़त था इस सवाल को उठाने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य मुझे स्टेटमेंट दे दें । मैं कल उन को फिर इजाजत दे दूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जैसा आपका हुक्म हो । कब यह स्टेटमेंट मैं आप को भेज दूं ?

अध्यक्ष महोदय : आज वह बयान मुझे भेज दीजिए । कल मैं माननीय सदस्य को इजाजत दे दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : उस का ट्रांस्लेशन भी कराइये । उस का ट्रांस्लेशन होना चाहिये ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं कल यहां नहीं होऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : कल वे यहां नहीं होंगे, इस वास्ते इसको परसों करेंगे । आप अपना ब्यान देंगे, स्टेटमेंट देंगे तो परसों उनकी हाजिरी में इसको ले लिया जाएगा और मैं इसको एजेंडा पर रखवा दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप के सामने झुकता हूं हालांकि मैं समझता हूं कि यह सवाल बहुत बढ़ता चला जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कायदे के मुताबिक है । जिस मेम्बर साहिब के मुताल्लिक स्टेटमेंट किया जाए वह भी हाजिर हो ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यदि इस की प्रति आप को नहीं दी गई तो यह कार्यसूची में कैसे छपा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का वक्तव्य तो मेरे पास है परन्तु अब उन का इरादा बदल गया गया है ।

†**एक माननीय सदस्य** : यह केवल एक-पत्र है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह बयान नहीं था । वह तो सिर्फ मैंने आप को खत लिखा था, इस सवाल को उठाने के लिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गलती की। मैंने उसी को ब्यान समझ लिया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक बात मैं कह दूं । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अगर इस तरह से टोकेंगी तो हम भी उन के मामलों में टोकेंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यदि डा० लोहिया को बिना आप को सूचना दिये वक्तव्य देने की अनुमति दे दी गयी तो भविष्य के लिये यह एक उदाहरण बन जायेगा । एक मामले में एक नियम का पालन किया जाता है और दूसरे मामले में दूसरे नियम का । यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हर मामले में एक ही नियम का पालन होता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह बयान हो लेने दें, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपस में शुक्रगुजार हो लें, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

एक माननीय सदस्य बाहर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : खास तौर से श्रीमती रेणु चक्रवर्ती शुक्रगुजार होऊं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, आप ने नियम १९३ के अन्तर्गत, १२ दिसम्बर, १९६३ को, गन्ने के मूल्यों संबन्धी, खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा उठाने वाले प्रस्ताव के लिये अनुमति दी है । लोक-सभा सचिवालय ने मेरे विभाग को और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को इस चर्चा के लिये तिथि बताने के लिये कहा है । सभा के विभिन्न दलों के संसद्-सदस्यों, ने भी मुझे इस चर्चा के लिये समय नियत करने के लिये कहा है, चूंकि वह महसूस करते हैं कि यदि इस चर्चा को अगले सत्र तक स्थगित किया गया तो इस की महत्ता ही खत्म हो जायेगी । मैं उन की इच्छा के साथ सहमत होते

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

हुए प्रस्ताव करता हूं कि यह मद २१ दिसम्बर, १९६३ की कार्य-सूची में, भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधी चर्चा के पश्चात्, रख दी जाये।

†श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभनी) : हम इससे सहमत हैं।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं हो सकेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : जी हां। चूंकि सदस्यों का विचार है कि खाद्य स्थिति अत्यन्त महत्व का विषय है।

†श्री हरि विष्णु कामत : इसके लिये सोमवार का दिन नियत कर दिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को अग्रेतर कालावधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

निवारक निरोध जारी रखने सम्बन्धी विधान सभा में लाते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी यह विधेयक मैं इस लिये लाया हूं चूंकि मैं समझता हूं कि इसके बगैर चारा नहीं है। कुछ ऐसे कारण हैं और परिस्थितियां हैं जो हमें इसे लाने पर मजबूर करते हैं। अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए ही मैं इसे लाया हूं। मैंने इस बारे में अधिक से अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार किया है।

मैंने देखा है कि समय समय पर इस विषय में माननीय सदस्यों ने किन किन विचारों को व्यक्त किया और इस के पक्ष में कौन से तर्कसंगत विचार व्यक्त किये गये और फिर मैंने सोचा कि यदि मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों में से एक होता तो मेरी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया होती। मुझे अफसोस है, परन्तु विश्वास के साथ यह कहना पड़ता है कि उस विधान को जारी न रख सकना संभव नहीं है।

मुझे इस विधान के सिद्धान्तों अथवा ढांचे की व्याख्या नहीं करनी है चूंकि यह विधान नया नहीं है। यह केवल एक वर्तमान विधान को जारी रखने सम्बन्धी विधेयक है। इसकी नींवें संविधान के अनुच्छेद २२ में रखी गई हैं। फरवरी, १९५० में इस विषय का प्रथम अधिनियम पारित हुआ था, तब से आज तक आठ बार सभा इस पर विचार कर चुकी है। इसके प्रत्येक पहलू की छानबीन की जा चुकी है।

मैं संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें वर्तमान विधान के आधार सम्बन्धी उपबन्ध हैं। इसके सिद्धान्त के बारे में कोई वाद नहीं है फिर भी मैं चाहता हूं कि चर्चा उसी सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में हो जोकि संविधान में दिया हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवारक निरोध अधिनियम का आरम्भिक स्रोत संविधान का अनुच्छेद २२ है। संविधान के इस भाग में मूल अधिकार दिये हुए हैं। मैं किसी खास प्रयोजन से उन की ओर निर्देश करूंगा चूंकि इस समय हमारा संबंध समता, धर्म की स्वतन्त्रता, आदि कई अधिकारों से है। आप देखेंगे कि प्रत्येक अधिकार के साथ अर्हता का वर्णन है। उस अर्हता के कारण अधिकार की सीमा कम हो जाती है। अधिकारों पर इस प्रकार प्रतिबन्ध किसी न किसी प्रयोजनार्थ ही लगाये गये हैं। उदाहरणार्थ अनुच्छद १४ समता के अधिकार सम्बन्धी है जिसके बाद अनुच्छेद १५ है जिसमें कहा गया है कि राज्य स्त्रियों, बालकों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बना सकेगा। इसी प्रकार सम्पति सम्बन्धी अधिकार के लिए भी कुछ उचित प्रतिबन्ध रखे गये हैं।

†श्री मु० र० मसानी (राजकोट) : अनुचित प्रतिबन्ध।

†श्री नन्दा : आप हमारे संविधान को और हमारी महत्वाकांक्षाओं को भले ही पसन्द न करें।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न। मंत्री संविधान के बारे में इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम सबने संविधान का पालन करने की शपथ ले रखी है। तो फिर वह यह कहने का साहस कैसे कर सकते हैं कि हम संविधान को पसन्द नहीं करते?

†श्री नन्दा : श्री कामत ने शायद सुना नहीं कि उन्होंने शब्द "अनुचित" का प्रयोग किया था।

†श्री मु० र० मसानी : मैंने कहा था कि संशोधन अनुचित है।

†श्री त्यागी (देहरादून) : "आप" शब्द संसद् में आपको सम्बोधित कर के कहा जाता है।

†अध्यक्ष महोदय : "आप" सदैव मुझ को सम्बोधित करके कहा जाता है।

†श्री नन्दा : कुछ अधिकारों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वह जन हित तथा समूचे सामुदाय के हित की दृष्टि से ही लगाये गये हैं।

†अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री उत्तेजित भी हों तब भी मुझे सम्बोधित कर के ही बोलें।

†श्री नन्दा : मुझे खेद है।

यह अधिकार कोई ख्याली विचार नहीं हैं। इन्हें अमल में लाना होता है। और इन्हें समूचे रूप में अमल में लाना होता है, अलग अलग नहीं। इसलिए कुछ सन्तुलन रखना पड़ता है। हो सकता है कि कहीं ज्यादती हो तो उसे ठीक करना पड़े। परन्तु हम सन्तुलित एवं समन्वित ढांचे को दृष्टि में रखते हैं जिसमें कुछ अधिकारों की कुछ सीमायें रखनी ही पड़ती हैं। निवारक निरोध भी अधिकारों पर एक तरह से प्रतिबन्ध मात्र ही है।

अनुच्छेद २१ इस प्रकार है :

> "सिवाय विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के, अन्य किसी तरह भी किसी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

इसलिए, अधिकार को विनियमित करने सम्बन्धी विधियां बनाने की शक्ति संसद् को दी गई है। संसद् यदि विनियमकारी विधियां बनाती है तो इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अगले खण्ड में बन्दीकरण तथा निरोध के प्रति संरक्षण का उपबन्ध है। अनुच्छेद २२ के खंड २ में सीमा दी हुई है, अर्थात् :

"खण्ड (१) तथा (२) के उपबन्ध

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी समय देश का शत्रु हो; अथवा

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो निवारक निरोध का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया हो।

लागू नहीं होंगे।"

यह बात संविधान में दी हुई है। परन्तु इस सीमा के साथ कुछ परिणाम भी दिये हुए हैं। खंड (४) के अनुसार, जब तक किन्हीं अन्य शर्तों को पूरा न किया जाये, निवारक निरोध का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अन्तर्गत एक व्यक्ति को ३ मास से अधिक कालावधि के लिए बन्दी नहीं बनाया जा सकता। ३ मास की अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही एक उच्च अधिकारी के मंत्रणा बोर्ड नियुक्त करने सम्बन्धी उपबन्ध है जो ३ मास की अवधि समाप्त होने से पहले ही अपना प्रतिवेदन देगा।

यह प्रतिबन्ध राष्ट्रीय हित की दृष्टि से रखे गये हैं, जैसे भारत की रक्षा तथा सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था का बनाये रखना, आदि। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह एक सन्तुलित ढांचा है। अधिकारों सम्बन्धी उपबन्ध से एक उद्देश्य की पूर्ति होती है। वह उद्देश्य यह है कि हमें अपने लोकतंत्रात्मक ढांचे को बनाये रखना है और उस के लिए देश में नागरिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना है। यह उपबन्ध सारे देश के लिए, ४५ करोड़ लोगों के हितार्थ ही रखा गया है। इसमें किसी देश के एक छोटे से भाग के हित की बात नहीं है। हमें देश की स्थिति पर विचार करना है और यह देखना है कि किस बात की हमें रक्षा करनी है। इस बात में सन्देह नहीं है कि तनाव पाया जाता है और समाज विरोधी तत्व पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, साधारण विधि में भी पूर्ण स्वतन्त्रता नाम की कोई चीज नहीं है।

जिस तरह की परिस्थितियां आज हमारे देश में हैं उनके लिए साधारण विधि पर्याप्त नहीं है। चूंकि समाज-विरोधी तत्वों से समुदाय की स्वतन्त्रता को खतरा है। देश में तनाव पाया जाता है, हिंसा के लिए उत्तेजना दी जाती है। यदि स्थिति साधारण हो तभी साधारण विधि से व्यवस्था कायम रखी जा सकती है।

परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसा समय भी आता है जब झगड़ा पैदा होता है। तो क्या हम इन समाज-विरोधी तत्वों को सर उठाने दें या राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए अधिक शक्तियां प्राप्त कर के लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करें? ऐसा समझा जाता है कि जनता की स्वतन्त्रता को सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कार्यवाही करने पर ही खतरा पैदा होता है, जो बात कि ठीक नहीं है। वास्तव में, इस देश में ऐसे तत्व हैं जो लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं और गड़बड़ फैला रहे हैं।

यह शक्तियां जनता की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए नहीं वरन उसको वृहत् रूप देने के लिए प्राप्त की जा रही हैं। इसी दृष्टि से हमें इन शक्तियों को देखना है।

मैं मानता हूं कि स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाना अच्छाई हीं बुराई है, परन्तु एक बड़ी बुराई को टालने के लिए एक छोटी बुराई करना आवश्यक है। इसमें दर्शन निहित नहीं है। यह तो वस्तुस्थिति का सामना करने वाली बात ।

मैंने दो प्रकार के अतिभारों का वर्णन किया है। भारत में इस प्रकार की स्थिति है कि सरकार को विशेष अधिकार देने चाहियें। इन अधिकारों का प्रयोग विधि के अनुसार बड़ी सावधानी से करना होगा क्योंकि जिन पर इनका प्रयोग किया जायेगा उन्हें अत्यधिक संरक्षण प्राप्त हैं। संविधान में दी गई प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता पर हमें गर्व है। हम इससे लाभ उठाना चाहते हैं तथा इसे परिरक्षित रखना चाहते हैं। इसमें कोई औचित्य नहीं है कि हमें इस प्रकार की विधि बनाने के लिये संवैधानिक अधिकार है इसलिये हमने इसे बनाया है इस प्रकार की विधि अधिनियम के औचित्य के लिये कुछ अधिक बातों की आवश्यकता है। हमें यह सिद्ध करना है तथा इसकी अभिपुष्टि करनी है कि इस समय कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगई हैं जिससे हमारे लिये इस प्रकार की विधि बनाना अनिवार्य होगया है। जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिये इस प्रकार की विधि लागू करना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो सकेगा।

सामान्यतः पूर्ण विकसित प्रजातन्त्र में इस प्रकार की स्थितियों में समाज विरोधी तत्वों तथा गतिविधियों को रोकने के लिये उचित विधि होनी चाहिये। किन्तु हमें अन्य बातों को ध्यान में रखना है। हमारे देश को प्रजातन्त्र हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। हमें इसे समृद्ध बनाने के प्रयत्न करने चाहियें माननीय सदस्य, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को प्रजातान्त्रिक भावना के विकास के लम्बे इतिहास के बारे में सोचना चाहिये तथा विधि का आदर करना चाहिये। हमें अपने प्रजातन्त्र को समृद्ध बनाने के लिये इसे विधि का संरक्षण देना है, कुछ समय बाद कदाचित इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस समय हम सबको मिलकर पार्टी की भावना छोड़ कर स्थिति का सामना करने के लिये कार्य करना चाहिये। देश में अराजकता की भावना का उन्मूलन करना प्रत्येक दल का कर्तव्य है। मैं यहां पर किसी विशेष अराजकता के कार्य का उल्लेख नहीं कर राह हूं किन्तु अराजकता की भावना के बारे में कह रहा हूं जिसे दूर करना है। देश के व्यापक हित के लिये चाहे कुछ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का हनन भले ही करना पड़े

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। कम से कम यहां तो अराजकता नहीं होनी चाहिये। मैंने कई बार माननीय सदस्यों से मंत्री जी को ध्यान से सुनने के लिये प्रार्थना की है।

†**श्री नन्दा** : जो कुछ हम कर रहे हैं जो अधिकार हम मांग रहे हैं वे साधारण हैं। ये अधिकार विशेष स्थितियों में प्रयोग किये जायेंगे और हमें आशा है कुछ समय बाद हमें इन उपबन्धों की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि वही स्थितियां रही जिसके लिये यह विधान बनाया जा रहा है तो इसमें दी गई शक्तियों का प्रयोग न करना संविधान के प्रति उतना ही अनुचित होगा जितना कि ऐसी परिस्थितियां न होने पर इन अधिकारों का प्रयोग करना, इन अधिकारों का ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिये प्रयोग करना देश के लिये बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ; किसी प्रकार का बहाना नहीं होना चाहिये।

यदि हम इन शक्तियों को प्राप्त नहीं करते हैं तथा इनका प्रयोग उचित प्रयोजनों के लिये नहीं करते हैं तो इसका परिणाम क्या होग ? हमें निरोध के मामलों के विश्लेषण को देखना चाहिये। इनमें कौन कौन व्यक्ति फंसे हुये हैं। इसमें किसी राजनैतिक दल का कोई सदस्य नहीं है। क्या फंसे हुये

---

†मूल अंग्रेजी में

लोगों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति होनी चाहिये। यह वे लोग हैं जो राष्ट्र के हितों के विरुद्ध तथा देश सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इनमें विदेशों के लिये जासूसी करने वाले डाकुओं को शरण देने वाले और समाज में साम्प्रदायिक विष फैलाने वाले लोग हैं। यदि हम इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा ? इसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु तथा कुछ सम्पत्ति की हानि का ही प्रश्न नहीं है अपितु इससे बहुत बड़ी हानि होगी। इससे जनता समझेगी कि सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है इसलिये गैर सरकारी दल संगठित रूप से बल प्रयोग करेंगे। तब बहुत ही भयानक स्थिति हो जायेगी। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिये हमें इस प्रकार की विधि बनाकर जनता में विश्वास तथा संतोष पैदा करना चाहिये। इसलिये हमें इन अधिकारों के प्रयोग को उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिये। वास्तव में हमें देखना यह है कि इस विधान को लागू करने से देश को क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या हानियां, क्योंकि इसी से इस विधेयक का औचित्य पता लग सकेगा।

इन अतिरिक्त अधिकारों का प्रयोग कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने के लिये किया जायेगा। स्वभावतः अब हमें देखना यह है कि जिन परिस्थितियों का सामना करने के लिये यह कानून बनाया गया क्या वास्तव में इनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। हमें सारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार करना होगा और इसका निर्धारण करना होगा कि देश में कौन कौन शक्तियां क्रियाशील हैं। हमें उन लोगों के विरुद्ध इस कानून का प्रयोग करना है जो देश के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

हमें, आज देश में जो परिस्थितियां हैं उनकी तुलना तीन साल पहले की उन परिस्थितियों से करनी चाहिये जिसके लिये यह विधेयक पारित करने हेतु सभा के सामने लाया गया था। हमें अब देखना यह है कि परिस्थितियां उसी प्रकार हैं या इनमें परिवर्तन होगया है। यदि माननीय सदस्य इस पर विशाल दृष्टिकोण अपना कर विचार करेंगे तो वे विधेयक की वांछनीयता के बारे में मुझसे सहमत होंगे। साम्प्रदायिकता के प्रश्न को ही लीजिये हमें गत कुछ वर्षों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। विदेशों के लिये जासूसी करने के लिये बहुत से मामले प्रकाश में आये हैं। इसलिये ऐसे विशिष्ट विरोधी तत्वों को कुचलने के लिये कानून द्वारा हम अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। इसके बारे में विभिन्न मत नहीं हो सकते हैं। कुछ समय बाद प्रशासन की जड़ें मजबूत होने पर जब हम इस कानून को हटा देंगे तो मैं यह नहीं कहता कि देश में गुंडापन बिल्कुल समाप्त हो जायेगा और देश में जासूसी की कार्यवाहियां बिल्कुल नहीं होंगी। किन्तु हम उस समय साधारण विधि से परिस्थितियों का सामना करने योग्य हो जायेंगे। किन्तु इस बात में भी कोई औचित्य नहीं है कि इस समय प्रशासन में किसी प्रकार की कमी के कारण यह कानून लागू किया जा रहा है। सारे देश में ही कुछ स्थिति है—जैसे जासूसी की गतिविधियां, लोगों में साम्प्रदायिकता की भावना तथा घृणा पैदा करना—जिसके लिये कानून बनाना आवश्यक होगया, मुझे आशा है कि सभी दलों के सदस्य लोक हित को ध्यान में रखते हुये लोगों में विधि के प्रति आदर की भावना पैदा करने तथा अराजकता की भावना को दूर करने के लिये इस कानून को लागू करने में सहयोग देंगे। मैं प्रदर्शनों और समारोहों से नहीं डरता हूं क्योंकि प्रजातन्त्र में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका होना ही चाहिये। किन्तु जब एक व्यक्ति किसी के लिये भय का कारण बन जाता है, उसके भय से किसी को सामने आने का साहस नहीं होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि अगले क्षण क्या होगा, लोग किसी के विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिये यह कानून लागू करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

एक और उत्तर, जिसके संबंध में उत्तरदायित्व उस पक्ष का नहीं अपितु सरकार का है और जो कि असन्तोष का इससे बड़ा कारण है, जबकि पर्याप्त शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, जीवनयापन के पर्याप्त साधन नहीं हैं, मूल्य इतने ऊंचे हैं कि कुछ लोग निर्वाह भी नहीं कर पाते। स्पष्टतया स्थिति ऐसी है, चाहे कारण कुछ भी हों। हो सकता है कि इन बातों के लिये कुछ किया जाना संभव नहीं था। हो सकता है कि हम स्थिति में कुछ सुधार कर सकते। किन्तु इन्हीं बातों की ओर अर्थात् अधिक समानता, और देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिक विस्तृत क्षेत्र का निर्माण करना, की ओर सरकार को और सारे देश को ध्यान देना है। इन बातों की ओर हमें अपना ध्यान लगाना है जिससे सारी सच्ची कठिनाइयां दूर हो जाय और आर्थिक और सामाजिक असन्तोष के मूल कारण दूर हो जायें।

मुझसे आपातकाल और भारत प्रतिरक्षा अधिनियमों के विषय में, एक प्रश्न पूछा था। यह कहा गया था कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत आपको विशेष शक्तियां प्राप्त हैं फिर इसकी क्या आवश्यकता है? कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह प्रश्न अत्यन्त युक्तिपूर्ण है और इसका कोई उत्तर नहीं है। तथापि इसका उत्तर अत्यन्त सरल है। इन दोनों की तुलना कीजिये। भारत प्रतिरक्षा नियम अधिक कठोर है जबकि निवारक निरोध अधिनियम में अधिक बचाव का उपबन्ध है। फिर आपातकाल में भी अधिक कठोर विधान का प्रयोग क्यों किया जाये? जबकि निवारक निरोध अधिनियम में नागरिकों के लिये अधिक बचाव उपलब्ध हैं? उदाहरणार्थ इसके संबंध में पांच दिनों के भीतर ही कारण बताने पड़ते हैं।

तीस दिनों के भीतर मामला सलाहकार बोर्ड के सामने रखना पड़ता है। लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का भी अधिकार है और सलाहकार बोर्ड के सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई का भी अधिकार है। छः सप्ताहों के अन्दर सलाहकार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत मामले का फैसला करना पड़ता है। कुछ और भी उपबन्ध है जो निरुद्ध व्यक्तियों के लिये सहायक सिद्ध होते हैं। यदि सलाहकार बोर्ड को कोई पर्याप्त कारण न मिले तो उस व्यक्ति को रिहा करना पड़ता है। सलाहकार बोर्ड को इस संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अधिनियम में निरोध किये जाने का अधिकतम काल भी उल्लिखित है।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के संबंध में स्थिति भिन्न है। इसलिये यह कोई तर्क नहीं कि भारत प्रतिरक्षा नियम हैं इसलिये निवारक निरोध अधिनियम नहीं होना चाहिये। प्रयोजन एक ही हो सकता है। किन्तु प्रत्येक मामले में स्थिति भिन्न हो सकती है और इस स्थिति में निवारक निरोध अधिनियम की अधिक उदार शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है।

अब तक मैंने उस स्थिति के आधार के संबंध में चर्चा की है जिनके कारण इस अधिनियम के जारी रखने की आवश्यकता है।

यह भी सुसंगत प्रश्न है और इसमें माननीय सदस्यों को दिलचस्पी भी होगी कि अभी तक इस अधिनियम के अन्तर्गत किस प्रकार कार्य किया गया है। इस बात की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इतने बड़े देश में बहुत से व्यक्ति अधिकारी आदि इससे संबंधित होते हैं और चूक होने की संभावना है और हमें हर्ष होगा यदि इस प्रकार की बातों को सामने लाया जाये। जिससे इसके प्रति उपयुक्त कार्यवाही की जाये और अधिक सावधानी बरती जाये।

इस अधिनियम के कार्य करने के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं संख्या के आधार पर कोई मामला प्रस्तुत करना नहीं चाहता। यदि उस मामले का औचित्य सिद्ध नहीं किया गया तो स्वतंत्रता की भावना को देखते हुए एक भी व्यक्ति के निरुद्ध किये जाने से मुझे दुःख होगा। किन्तु निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक नहीं है और यह संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। यह बात सन्तोषप्रद है। नवीनतम स्थिति यह है कि इस समय निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या २०९ है जिसमें से २०६ सार्वजनिक शांति बनाये रखने की दृष्टि से और ३ सुरक्षा की दृष्टि से निरुद्ध किये गये हैं। वर्ष में कुल २८८ व्यक्ति निरुद्ध किये गये। इनमें से अधिकतर हिंसक कार्यवाहियों के आधार पर पकड़े गये हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : किस राज्य से ?

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य के पास राज्यवार आंकड़े हैं। २४ मामले साम्प्रदायिक कार्यवाहियों के थे, १५ नागा विद्रोहियों की और जासूसी कार्यवाही के और १० मामले समुदाय के लिये अत्यावश्यक सेवा और संभरण को बनाये रखने से सम्बद्ध थे।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इत्तिला के लिए एक सवाल पूछ सकता हूं? गृह मंत्री जी आंकड़े दे रहे हैं, वे केवल नजरबन्दी वाले हैं। पहले डिफेंस आफ़ इंडिया एक्ट तो था नहीं—सिर्फ़ नजबन्दी कानून था। चूंकि इस वक्त ये दोनों हैं, इसलिए अगर वह डिफेंस आफ़ इंडिया एक्ट और नजरबन्दी कानून, इन दोनों के आंकड़े जोड़ कर बतायें, तब जा कर पहले आंकड़ों से तुलना हो सकेगी।

†**श्री नन्दा** : यह प्रश्न सुसंगत है और इसका एक विशेष उत्तर भी है और ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग करने की आवश्यकता अनुभव होती है, अन्य अवसरों पर उन शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बतायें और मंत्री महोदय को पूरे आंकड़े देने के लिए कहें। अगर वह तुलना कर रहे हैं, तो डिफ़ेंस आफ इंडिया एक्ट और नजरबन्दी कानून, हम दोनों के आंकड़े बता कर करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी है। अगर मंत्री महोदय दे सकते है तो दे देंगे।

†**श्री नन्दा** : यह चर्चा कई घंटे तक चलनी है और मैं ठीक आंकड़े प्रस्तुत कर दूंगा। किन्तु मैं रुख का दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। मैं उसे अपने तर्क का आधार बनाना नहीं चाहता। इसलिये माननीय सदस्य उस संबंध में निश्चिंत रहें। मैं केवल तथ्य बतला रहा हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप तो हमें हमेशा तंग करते हैं।

†**श्री नन्दा** : १९५० से १९५३ तक लगभग २ या तीन वर्षों की कुल संख्या १०१६ है। १९५४ से ३ वर्षों तक की कुल सख्या १०४१ है। १९५७ से लगभग ३ वर्ष की संख्या ५६९ और १९६० के बाद की संख्या ६८४ है। अतः भारत प्रतिरक्षा नियमों के अतिरिक्त भी इस काल में सख्या की दृष्टि से स्थिति बुरी है। इसलिये मैं उन नियमों के

---

†मूल अंग्रेजी में

अधीन पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख कर तर्क को और मजबूत करना नहीं चाहता।

कारणों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि साम्प्रदायिक भावना पहले से निम्न है। डाकुओं के संबंध में स्थिति दूसरी है। गुंडागिरी वृद्धि पर है।

†**श्री फ्रंक एन्थनी** (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : राजनीतिक गुंडागिरी वृद्धि पर है।

†**श्री नन्दा** : इस अवसर पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वह यह है।

मैंने ये आंकड़े देखे हैं। ये आंकड़े उन लोगों के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग के बारे में हैं, जिनके पास कुछ साधन थे और वे उनका अनुचित लाभ उठाकर राष्ट्र को हानि पहुंचाना चाहते थे। ऐसे लोगों के विरुद्ध अधिक से अधिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या १० है। मुझे माननीय सदस्यों से केवल इतना ही निवेदन करना है कि उन्हें बड़े स्पष्ट हृदय से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और वास्तविकता को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। और स्थिति को रचनात्मक सहयोग की दृष्टि से देखना चाहिए।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जानकारी के लिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ऐसे देशों की संख्या और नाम बता सकते हैं जहां कि संसदीय प्रणाली की सरकार हो और इस तरह का निवारक नजरबन्दी कानून बनाया गया हो।

†**श्री नन्दा** : अभी नहीं बाद में।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : आज इस बात पर विवाद हो रहा है कि इस विधि को कायम रखा जाय अथवा नहीं। सभी इसे विधिविहीन विधि का नाम दे रहे हैं। और १९४९ से प्रारम्भ हो कर आज तक सातवीं बार सदन के सामने आ रहा है। इस बीच कई मंत्री आये और चले गये। सबकी बातें हमने सुनीं हैं, आज अपने नये गृह कार्य मंत्री की बातें सुन रहे हैं। १९४७ में हम स्वतन्त्र हुए। १९४९-५० में हमने कहा कि देश में साम्प्रदायिक तनाव है, अतः इस कानून की आवश्यकता है, फिर इसके बाद साम्यवादियों की हिंसा शुरू हो गयी। ये भी महत्वपूर्ण कारण थे इस विधि को चालू रखने के लिए। फिर समाज विरोधी तत्वों की बातें होती रहीं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अराजकता, साम्प्रदायिकता, तनाव आदि की समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं है, अन्य देशों में भी ऐसी व्याधियां हैं, परन्तु कहीं भी शांति के समय में इस तरह का कानून नहीं बनाया गया। मेरा मत यह है कि सरकार अपना कई गलत नीति को छिपाने के लिए इसका प्रयोग करती चली आई है।

इस बारे में मूल प्रश्न यह है कि आखिर यह—अधिनियम क्यों प्रयोग में लाया जायेगा। यह केवल साम्यवाद दलों के विरुद्ध ही प्रयोग में नहीं आयेगा, अन्य लोग भी इसका शिकार होंगे। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस सारे प्रश्न को एक दल की दृष्टि से देखकर ही विचार न किया जाय प्रत्युत इस पर इस से अधिक व्यापक रूप से विचार

---

†मूल अंग्रेजी में

किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का भी अनुचित ढंग से प्रयोग हो रहा है। उसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध हो रहा है और साठे-बाजी तथा चोर बाजारी और विदेशी मुद्रा चुराने वाले साफ फिर रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब संयुक्त महाराष्ट्र का आन्दोलन चल रहा था तब भी इस प्रकार से ही इस कानून का प्रयोग किया गया था। कोई हिंसक कार्यवाहियां हों, इससे पूर्व कानून का प्रयोग आरम्भ हो गया था। परन्तु आज तो आपात है। यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अपने सीमा प्रश्नों को हल कर लिया है। देश में स्थिति ऐसी चल रही है कि आपातकाल अधिक समय तक नहीं रह सकता। देश में आपात की भावना ही नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार लोगों में वह भावना पैदा नहीं कर सकी है। वह मूल्य वृद्धि, साठेबाजी, चोर बाजारी, तथा अन्य समस्याओं को हल करने में असफल रही है। अतः यह मांग बढ़ रही है कि आपात को समाप्त किया जाय और भारत के प्रतिरक्षा नियमों और निवारक नजरबन्दी जैसे कानूनों को प्रयोग में न लाया जाय। यदि गुंडागर्दी और हिंसात्मक कृत्यों को रोकने की जरूरत हो तो इसके लिये सामान्य कानून काफी है।

स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में, जबकि देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी हमने इस तरह के कानून के विरुद्ध निरन्तर युद्ध किया। परन्तु अब इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब तो यह विधान एक सामान्य सा विधान बन कर रह जायेगा। परन्तु जनता स्वीकार नहीं करती। सरकार विरोधी पक्ष को दबाना चाहती है और ऐसे विधान को स्थायी विधान बनाना चाहती है। हमारी आशंका यह है कि यह विरोधियों को दबाने के लिये, पहले सका इसी प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किया गया है। जब तक सरकार लोगों की कठिनाइयों को दूर नहीं करती, इस प्रकार के कानूनों से स्थिति नहीं सुधरेगी। इस विधान द्वारा सामाजिक एकता नहीं लाई जा सकेगी। ऐसे कानूनों के बावजूद लोग अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। समाज-विरोधी तत्वों को कुचल डालने में हम निस्सन्देह सरकार के साथ है, परन्तु इसे सामान्य कानून के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। इसके लिये निवारक नजरबन्दी कानून की कोई जरूरत नहीं है।

†**श्री नन्दा** : आपकी पार्टी तो ३० महीने के बोनस की मांग का भी समर्थन कर सकती है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हां, हम प्रदर्शन कर सकते हैं। हड़ताल करने की कानून अनुमति देता है तथा हड़ताल से हमें सफलता भी मिली। पश्चिमी बंगाल में लोगों ने अन्न की और कीमतों को कम करने की मांग की परन्तु सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। जब लोग कोई कार्यवाही करने के लिये बाध्य हो जाते हैं तो कहा जाता है कि यह हिंसा है। जब तक सरकार लोगों की शिकायतें दूर नहीं करती तब तक निवारक निरोध अधिनियमों या अन्य नियमों से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सामाजिक एकता की बात कही जाती है परन्तु निवारक निरोध अधिनियम द्वारा इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम तथा अन्य बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जिनके द्वारा साम्प्रदायिकता को खत्म किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है। सरकार लोकतन्त्र के मूल सिद्धांत की अवहेलना कर विरोधी पक्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

को खत्म करना चाहती है ताकि यह अपनी मनमानी कर सके। लोगों का सरकार में विश्वास कम होता जा रहा है सीलिए सरकार निवारक निरोध अधिनियम के बूते पर हुकूमत करना चाहती है। जहां तक समाज विरोधी तत्वों का दमन करने का प्रश्न है हम सरकार के साथ हैं परन्तु ऐसा सामान्य विधियों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। यही हमारी मांग है।

†**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : मैं इस विधेयक का वि ोध करता हूं क्योंकि यह हमारी संविधि-पुस्तक पर एक धब्बा-मात्र है। मुझे यह स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं है कि हमारे देश में विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता है। हम सरकार तथा प्रधान मंत्री की कड़ी से कड़ी आलोचना करते रहे हैं और देश के हितार्थ आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। एक आध मामले को छोड़ कर भारत प्रतिरक्षा नियमों का उचित प्रयोग किया गया है। इन सब बातों को दृष्टि में रख कर ही मैं इस कानून के बारे में आपत्ति कर रहा हूं।

यह विधेयक पहली दफा १९५० में सरदार पटेल द्वारा साम्यवादियों की विध्वंसक कार्यवाहियों का अन्त करने के लिये लाया गया था। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक केवल आपातकाल का सामना करने के लिये पास किया जा रहा है। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इसके स्थान पर एक अच्छा विधान लाया जायेगा। दस वर्ष व्यतीत हो गए हैं परन्तु अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। इस कानून का उपयोग साम्यवादियों के बजाय देशभक्त लोगों को तंग करने के लिये किया जा रहा है। व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य को भी खतरा पैदा हो गया है। जहां तक मेरी जानकारी है लोकतन्त्रात्मक देशों में घाना ही ऐसा देश है जहां इस प्रकार का कानून विद्यमान है परन्तु वह कानून हमारे निवारक निरोध कानून की तुलना में बहुत सरल है।

जिस प्रयोजन के लिये यह कानून पहले पहल लाया गया था उसी प्रयोजन के लिये इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिये अन्यथा इसे समाप्त कर दिया जाए। एक उदार लोकतन्त्रवादी होने के नाते मैं स कानून का इस समय कोई औचित्य नहीं समझता। हां, गत वर्ष खतरे की आशंका थी अतः हमारी पार्टी तथा कुछ अन्य दलों ने यह मांग की थी कि साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

यह विधेयक अस्पष्ट है। सीधे-साधे नागरिकों को भी इसकी लपेट में लिया जा सकता है। इसका कार्य-क्षेत्र स्पष्ट नहीं है और इस लिये सका मनमाने ंग से प्रयोग किया जा सकता है। सरकार इसके बिना भी स्थिति को काब् में रख सकती है परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार इसकी अभ्यस्त हो गई है। यह कानून लोकतन्त्रात्मक दलों के परस्पर मिलजुल कर काम करने में बाधा उत्पन्न करता है।

यदि सरकार समझती है कि खतरा स्पष्ट रूप से विद्यमान है तो उसे इस विधेयक की बजाय अन्य सीधा-साधा विधेयक लाना चाहिये और उसके द्वारा साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

†**श्री करुथिरमण** (गोबीचेट्टिपलयम) : स विधेयक का उद्देश्य निवारक नि ोध अधिनियम की अवधि बढ़ाना है। विरोधी सदस्यों ने कहा है कि इस अधिनियम की जारी नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा केवल थोड़े से व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु मेरी राय में, ऐसा करना बहुत आवश्यक है। थोड़े से देशविरोधी तत्व ही सारे देश के वातावरण को दूषित कर सकते हैं। ऐसे तत्वों का दमन करने के लिये इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना आवश्यक है। सभी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करुथिरमण]

देशों में किसी न किसी रूप में देश में शांति बनाये रखने के लिये कानून विद्यमान हैं। इस अधिनियम के द्वारा लोगों के मूल अधिकारों पर कोई प्रहार नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान संकटकाल में भी इसकी आवश्यकता है। हमारे देश में असंख्य दल हैं। साम्यवादी दल में भी दो दल बन गए हैं। एक चीनी आक्रमण का समर्थक है तथा दूसरा रूसी साम्यवाद का समर्थन करता है। ऐसी स्थिति में निवारक निरोध अधिनियम का होना जरूरी है। देश की सुरक्षा, एकता तथा स्वाधीनता बनाये रखने के लिये इस कानून को स्थायी रूप दिया जाना चाहिये। यदि इस देश के लोग, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हों, देश के प्रति अपने उत्तर-दायित्वों के बारे में जागरूक हैं तो उनके ऊपर इस कानून द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कानून का प्रयोग केवल राष्ट्र-विरोधी कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाएगा। राष्ट्र के हित में काम करने वाले तथा निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल नहीं होगा अतः उन्हें इस कानून से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश में शांतिपूर्ण ढंग से लोकतन्त्रात्मक समाजवाद लाने के लिये इस प्रकार का एक स्थायी अधिनियम बनाया जाना चाहिये।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : हमारे देश की जनसंख्या ४५ करोड़ है और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता जिसके कारण वे कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हुए हैं। और इन सब बातों के बावजूद हमें चीन की ओर से निरन्तर खतरा बना हुआ है: अतः ऐसी कठिन परिस्थितियों में निवारक निरोध कानून का होना अनिवार्य है। निवारक निरोध अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जो सैद्धांतिक रूप से गलत कही जा सके। देश में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कानून का लागू किया जाना उचित ही है। कोई भी लोकतन्त्र अपने नागरिकों को निर्बाध स्वतन्त्रता नहीं दे सकता। स्वाधीन व्यक्तियों को भी कानून का पालन करना पड़ता है।

शांतिकाल में मैं निवारक निरोध कानून की कोई आवश्यकता नहीं समझता। परन्तु जिन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ रहा है उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे इस कानून का लाया जाना आवश्यक है। यदि इस समय ऐसा कानून नहीं बनाया जाता है तो सरकार अपना कर्तव्य पालन न करने की दोषी कहलायेगी। हमें स्वतंत्र हुए केवल १५ वर्ष हुए हैं अतः यह तर्क युक्तिसंगत नहीं है कि सरकार इस कानून के बिना काम चला सकती है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिये जिससे कि देश इतना शक्तिशाली हो जाये कि उससे हमारी हार का धब्बा धुल जाये।

†**श्री अ० शं० आल्वा** (मंगलौर) : मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कम्यूनिस्ट और स्वतन्त्र दलों के नेताओं ने इस आधार पर इस विधेयक का विरोध किया है कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जायेगी। वे कहते हैं कि केवल निवारक उपाय अपनाये जायें। परन्तु जब वास्तविक रूप से बड़ा भय सामने होता है तो इन उपायों से काम नहीं चलता। क्या विपक्ष के मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जिनसे देश की प्रतिरक्षा और सुरक्षा को भय हो, जिन से विधि और व्यवस्था को भय हो, उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये? वास्तव में, जैसा कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने बताया, यह विधेयक निश्चय ही शांतिमय जलूसों

---

†मूल अंग्रेजी में

अथवा शिकायतें प्रकट करने के उचित तरीकों पर लागू नहीं होगा। जिस समय इस विधेयक को पारित किया गया उस समय साम्यवादी दल ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी थी। अब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और काफी मात्रा में समाजविरोधी तत्वों को बाहर निकाल दिया गया है; परन्तु फिर भी वह समाज के लिये भय बना हुआ है और यही कारण है कि गृह-कार्य मंत्री इसे तीन वर्ष की और अवधि के लिये लागू करना चाहते हैं।

अधिनियम में उपबन्धित सुरक्षा के उपायों को देखने से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को ही प्राप्त है। कुछ मामलों में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त भी निरुद्ध कर सकते हैं, परन्तु उन्हें १२ दिन के भीतर-भीतर राज्य सरकार को सूचना देनी होगी और यदि राज्य सरकार राजी नहीं होती तो निरोध आदेश रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करने के पश्चात् पांच दिन के भीतर भीतर उसे निरोध के कारण बता दिये जाने चाहियें। फिर निरुद्ध व्यक्ति को अभ्यावेदन देने का अवसर प्राप्त है और इस अभ्यावेदन को ३० दिन के भीतर ही सलाहकार बोर्ड को भेज देना चाहिये।

सलाहकार बोर्ड की रचना से पता चलेगा कि यह एक स्वतन्त्र निकाय है और इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सभापति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये और अन्य दो व्यक्ति न्यायाधीश होने चाहियें। यह उपबन्ध है कि ३० दिन के भीतर सरकार को मामला बोर्ड को सौंप देना चाहिये। बोर्ड की व्यापक शक्तियां हैं। बोर्ड व्यक्ति को उपस्थित करा कर उसका वक्तव्य ले सकता है। यदि बोर्ड और विवरण जानना आवश्यक समझे तो सरकार को वह विवरण देने होंगे, यदि ऐसा करना देश की सुरक्षा के विरुद्ध नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि इस सावधानी से न्याय की अवहेलना नहीं होगी और यदि बोर्ड भी उसी निर्णय पर पहुंचता है तो उस व्यक्ति को निरुद्ध करना न्यायसंगत ही होगा। फिर एक चीज़ और है और वह यह कि बोर्ड को १२ सप्ताह के भीतर अपना फैसला दे देना चाहिये। और यदि बोर्ड यह कहता है कि उसे निरुद्ध नहीं करना चाहिये तो सरकार को उसे रिहा करना होगा। और फिर, यदि बोर्ड यह निर्णय देता है कि उस व्यक्ति को और समय के लिये निरुद्ध किया जाये तब भी सरकार उसको निरुद्ध करने के लिये बद्ध नहीं है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि "स्थिति बदल गई है"। सरकार उसे अधिक से अधिक एक वर्ष के लिये निरुद्ध कर सकती है। इन बातों के होते हुए क्या लोकतन्त्र को कोई भय कहा जा सकता है? क्या समाज-विरोधी व्यक्तियों को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिये? यह अधि-नियम किसी विशिष्ट दल के विरुद्ध नहीं है। जो भी व्यक्ति समाज-विरोधी कार्यवाही करेगा चाहे वह कांग्रेस दल का हो अथवा विपक्षी किसी दल का उस पर यह अधिनियम लागू होगा।

जहां तक प्राधिकार का सम्बन्ध है प्रत्येक मजिस्ट्रेट अथवा उपनिरीक्षक निरोध का आदेश नहीं दे सकता। जिला मजिस्ट्रेट निश्चय ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो यह आदेश दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार रिपोर्टों की जांच करते हैं और इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति को निरुद्ध किया जाये। इसके पश्चात् बाकी बातें होती हैं। यह अधिनियम सारे राष्ट्र के हित में है। इसलिये गृह-कार्य मंत्री का यह कहना उचित है कि जब तक वर्तमान स्थिति रहती है हमें इसे रखना चाहिये। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कारखानों में मशीनों को हानि पहुंचाते हैं। इसके बारे में हम प्रत्येक दिन समाचारपत्रों में पढ़ते हैं। विशेष रूप से, जब तक चीन की धमकी का भय दूर नहीं हो जाता क्या हम कह सकते हैं कि ये बातें सामान्य हैं?

[अ० श० आल्वा]

गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि वे इस विधेयक को लाना तो नहीं चाहते थे, परन्तु लोकतन्त्र की रक्षा के लिये कुछ निवारक कार्यवाही करना आवश्यक है। विपक्ष की ओर से आपत्ति उठाई गई है कि इसका प्रभाव राजनैतिक दलों पर पड़ता है, अथवा सरकार इससे पूंजी बनाना चाहती है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस अधिनियम को तीन वर्ष के लिये बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : यह एक गैर-कानूनी नियम है और इसकी आलोचना श्री शर्मा जैसे विधि के ज्ञाताओं ने भी की है। संविधान के अनुच्छेद २२ में नैसर्गिक न्याय के कुछ सिद्धान्त रखे हुए हैं, अर्थात् पकड़े गये व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी के वकील द्वारा अपना बचाव करने का अधिकार होगा, परन्तु निरुद्ध व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि इसे विधि रहित कानून कहा जाता है। दूसरे यह कि प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को २४ घंटे के अन्दर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा, परन्तु इससे भी उसे वंचित रखा जाता है।

यह अधिनियम १९५० में पास किया गया था जब कि १०,९६२ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था। यदि हम पश्चिमी बंगाल के गुंडों की गणना नहीं करते तो १९६३ में अब तक केवल १६ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है। इसलिये मेरा कहना है कि यह अधिनियम आवश्यक नहीं है, विशेषत: जबकि सरकार के पास भारत प्रतिरक्षा नियम हैं। विवरण संख्या ११ से पता चलता है कि पश्चिमी बंगाल में १०२ निरुद्ध व्यक्तियों ने अपने अभ्यावेदन तैयार करने के लिये वकीलों की सहायता ली और १८३ निरुद्ध व्यक्ति सलाहकार बोर्ड के सामने उपस्थित हुए परन्तु एक के मामले में भी और जानकारी नहीं मांगी गई, यद्यपि झूठे और निराधार आरोप लगाये जाते हैं। ऐसे सलाहकार बोर्ड निरुद्ध व्यक्ति के लिये बिलकुल उपयोगी नहीं हैं। पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को, जो निरोध आदेश देता है, झूठी जानकारी दी जाती है।

जब लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया तो सूचना दी गई कि वे हथियार इकट्ठे कर रहे थे जबकि वे पंजाब में एक स्थान पर भाषण दे रहे थे। दूसरे मामले में डा० महाजन पर, जब कि वे भोजन कर रहे थे यह आरोप लगाया गया कि वे सरकारी अधिकारियों और कांग्रेसियों को मारने के लिये पिस्तोलें इकट्ठी कर रहे थे। इस प्रकार की ५३ याचिकाएं हैं और इन सभी मामलों में झूठे और निराधार आरोपों पर लोगों को जेल में डाल दिया गया है। जहां तक इस अधिनियम के प्रवर्तन का सम्बन्ध है मुझे इससे सख्त नफ़रत है।

इस विधेयक के पीछे अवश्य ही किसी दल को नष्ट करने की चाल है क्योंकि हाल ही में एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि प्रत्येक जनसंघी को जेल में डालना आवश्यक है और ऐसा तब ही हो सकता है जब कांग्रेस में उच्च स्तर पर यह बात हुई हो। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, परन्तु यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश के साम्प्रदायिक वाद के लिये कांग्रेस दल जिम्मेदार है।

यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आप उसे भारतीय दण्ड संहिता की निवारक धाराओं के अतिरिक्त, धारा १२० से लेकर धारा १४० तक की २० धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर इस निवारक निरोध अधिनियम की क्या आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार करने से उसे हमारे विरुद्ध प्रचार करने का अवसर मिलता है क्योंकि हमें जो जानकारी दी जाती है वह झूठी होती है। गुंडे, बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी व्यक्ति और अधिकारी इस निवारक निरोध अधिनियम से बच जाते हैं और निरपराध व्यक्ति पकड़े जाते हैं।

समस्या का दूसरा पहलू लीजिये। निवारक निरोध के कारण सामान्यतः ज़िला मजिस्ट्रेट देता है। उसे यह जानकारी पुलिस का उपनिरीक्षक देता है और उपनिरीक्षक यह जानकारी साधारण सिपाही से प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में मैं आपको अजमेर की एक घटना सुनाता हूं। वहां के एक वकील को एक पुस्तक हाथ लग गई जिस में मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने का हिसाब था। ज़िला मजिस्ट्रेट उसको घात पहुंचाना चाहता था, परन्तु उसे कोई अवसर नहीं मिलता था। अन्त में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत उसे अवसर मिल गया और झूठी रिपोर्ट बना कर कि वह व्यक्ति बड़ा भयानक है उसे ६ मास के लिये जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार यह निवारक निरोध अधिनियम काम करता है। इसके पीछे जो भावना है वह विपक्ष के दलों को नष्ट करने की है। यह बहुत खेद की बात है कि इस प्रयोजन के लिये निवारक निरोध अधिनियम का सहारा लिया जाता है।

१९५० में सरदार पटेल ने कहा था कि एक वर्ष के बाद मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। उनका यह कहना उचित भी था क्योंकि उस समय इस अधिनियम के अन्तर्गत १०,५६२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, परन्तु अब जबकि संख्या घट कर ५० और ६० रह गई है तो इस कानून की क्या आवश्यकता है।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : यह काला कानून है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह काले कानून से भी ज्यादा बुरा है क्योंकि हम साधारण नागरिकों के विरुद्ध कार्यपालिका की कार्यवाही को जान बूझ कर उचित ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विधेयक में कुछ उपबन्ध हैं परन्तु एक निरपराध व्यक्ति को उनसे कोई फायदा नहीं पहुंचता।

हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के चावन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह सिपाहियों की पत्नियों को मुख्य मन्त्री के पास उनकी उचित मांगों के सम्बन्ध में प्रदर्शन करने के लिये ले गया, केवल इतनी सी बात के लिये उसे जेल में डाल दिया गया।

मन्त्री महोदय कहते हैं कि संरक्षण सलाहकार बोर्डों द्वारा दिया जा रहा है। आदेश सदैव अंग्रेजी में दिये जाते हैं। जिन व्यक्तियों को जेल में बन्द किया जाता है वे अंग्रेजी नहीं जानते। अनुवाद नहीं दिये जाते और उन्हें ५० दिन के अन्दर अपनी सफाई पेश करने के लिये कहा जाता है। पांच दिन के समाप्त होते ही ३० दिन के अन्दर उसे बोर्ड के सामने जाना होता है। वह अपने वकील से सलाह नहीं ले सकता। होता यह है कि उससे अभ्यावेदन देने के लिये कहा जाता है और अभ्यावेदन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है।

भारत प्रतिरक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत आप किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की भी शरारत करने से रोक सकते हैं। मैं खुले दिल से भारत प्रतिरक्षा नियमों का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता, इससे आपको विपक्ष के दलों को नष्ट करने की शक्ति मिलती है।

†**श्री प० ना० कयाल** (जयनगर) : मेरा अपना विचार यह है कि किसी भी सरकार का पहला कर्त्तव्य यह है कि वह देश का शासन ठीक प्रकार चलाये। मैंने प्रायः लोगों को यह कहते सुना है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प० ना० कयाल]

इस देश में कोई सरकार नहीं है क्योंकि कठिन परिस्थितियों में सरकार उनकी सहायता के लिये आगे नहीं आती। अच्छा होगा यदि इन परिस्थितियों में सरकार इस अधिनियम को उपयोग में लाये।

अब मैं कुछ परिस्थितियों का उल्लेख करूंगा। सर्वप्रथम मैं पत्रकारिता को लेता हूं। हाल ही में इस देश के एक महान् व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में बहुत ही वंचनीय जानकारी एक समाचार पत्र में छपी। मुझे विश्वास है लोगों ने उसे पसन्द नहीं किया होगा। दूसरी बात प्रशासन में भ्रष्टाचार की है। उदाहरणार्थ पश्चिमी बंगाल में सीमेंट लेने के लिये प्रति बोरी २ रु० देने पड़ते हैं। अधिकारी खुलमखुल्ला रिश्वत मांगते हैं और हमारी सरकार चुपचाप बैठी है।

साधू रेलगाड़ियों में बिना टिकट के यात्रा करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के समय नकल मारते हैं और अभीक्षकों को मारने की धमकी देते हैं। अध्यापकजन विद्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं। खाद्य पदार्थों और औषधियों में आपमिश्रण होता है। राजनीतिक नेता अनुचित रूप से धन कमाते हैं और मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाते हैं। ऐसे समय में जबकि हमारी अर्थ व्यवस्था संकट में है ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को इस अधिनियम को लागू करना चाहिये और भ्रष्टाचार और समाज-विरोधी तत्व को नष्ट करना चाहिये। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाये तो मुझे आशा है कि यह सभा सरकार का साथ देगी। यदि उक्त परिस्थितियों में सामान्य विधि लोगों की सहायता करने में असफल रहती है तो हमें ऐसी अवस्था में इस अधिनियम को काम में लाना चाहिये।

हम समाजवाद, लोकतन्त्र, लोकतन्त्रात्मक योजना और प्रौढ़ मताधिकार की बातें करते हैं। इस देश में लोकतन्त्र हमें बड़ा महंगा पड़ता है। अतः मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इन बातों की ओर उचित रूप से ध्यान दें। मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि जनता उनके साथ है और जनता की शिकायतें दूर करने के लिये वह जो चाहे कर सकती है। अतः मेरा सब सदस्यों से निवेदन है कि हमें निर्धनता और शोषण को दूर करने के लिये सरकार का साथ देना चाहिये।

†श्री पु० र० पटेल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का समथन करने में हमें कोई खुशी नहीं है, परन्तु परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम विवश हैं। साधारण समय में कोई भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने को पसन्द नहीं करता। संविधान बनाने वालों ने संविधान में यह खण्ड बड़ी बुद्धिमत्ता से दिया है कि यदि आवश्यक हो तो लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

इस विधेयक का विरोध मुख्यत साम्यवादी दल ने किया है। मैं उस दल के सदस्यों से पूछता हूं कि क्या किसी साम्यवादी देश का संविधान इतनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान करता है जितना कि इस देश का? उन्हें याद रखना चाहिये कि यही एक ऐसा लोकतन्त्रात्मक देश है जहां साम्यवादी दल कार्य कर सकता है। क्या चीन और रूस में भी कांग्रेस जैसे लोकतन्त्र दल को उस प्रकार रहने दिया जाता है जिस प्रकार कि भारत में साम्यवादी दल को रहने दिया जाता है। साम्यवादी दल को चीन और रूस से स्फूर्ति मिलती है। यह दल राष्ट्र विरोधी है क्योंकि इसमें मातृभूमि के प्रति निष्ठा नहीं है।

यदि राष्ट्र विरोधी कार्यों के कारण साम्यवादियों को निरुद्ध किया जाता है तो उस पर इतना बावेला क्यों मचाया जाता है। साम्यवादी बहुत चतुराई का काम कर रहे हैं एक ओर तो वे प्रधान मन्त्री की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर सरकार को गालियां देते हैं। यह बात विचारणीय है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या देश की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की रक्षा के लिए ऐसे अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है। स्थिति यह है कि एक सीमा पर चीन है। दूसरी सीमा पर पाकिस्तान गड़बड़ पैदा कर रहा है और देश में पीकिंग के समर्थक या मास्को के समर्थक साम्यवादी देश में साम्यवाद स्थापित करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कुछ समर्थक देशद्रोह कर रहे हैं। जब स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र खतरे में हो तो लोगों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाना उचित ही है।

जनसंघ के नेता एक अच्छे वकील हैं। उनका कहना है कि दण्ड विधान में कई उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। किन्तु विचार कीजिए जब कहीं साम्प्रदायिक उपद्रव होता है तो वही लोग पकड़े जाते हैं जो सामने आते हैं। जो लोग साम्प्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं वे काबू नहीं आते। अतः ऐसी शक्ति होने पर सरकार ऐसे लोगों और गुण्डों को गिरफ्तार कर सकती है और देश को खतरे से बचा सकती है। गुण्डों के खिलाफ तो कोई गवाही ही देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी परस्थितियों को सरकार को उसे निरुद्ध करने का अधिकार होना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका प्रयोग विरोधी पक्ष को दबाने के लिए किया जाता है। यह गलत है। जो भी राष्ट्र को हानि पहुंचाये उसे बिना भेदभाव के निरुद्ध किया जाता है।

जनसंघ के नेता ने कहा कि आपके पास भारत प्रतिरक्षा अधिनियम है जिसके अधीन किसी को भी निरुद्ध किया जा सकता है। इसका यह अभिप्राय है कि उन्हें भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन निरोध पर आपत्ति नहीं है। यह ऐसा विधान है जो सरकार को मजबूरन लाना पड़ा है।

[श्री थिरुमल राव पीठासीन हुए]

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं इस अवांछित, अनावश्यक और तानाशाही विधान का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पता नहीं कि श्री नन्दा घाना, इण्डोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कृत्रिम लोकतन्त्रात्मक देशों के साथी बनना चाहते हैं। साम्यवादियों को तो साम्यवाद का त्याग करके ही इस विधान का विरोध करना चाहिये क्योंकि साम्यवादी देशों में अब भी संरचनात्मक निरोध की घनौनी प्रथा विद्यमान है।। हमारे गणतन्त्रात्मक संविधान पर अनुच्छेद २२ कलंक के समान है जिससे निवारक निरोध अधिनियम का उदय हुआ है।

कितनी विडम्बना है कि इस विधान पर ऐसे समय विचार किया जा रहा है जबकि देश भर और संसार भर में मानव अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। अभी हाल में भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने विधि के अधिपत्य के बारे में आकाशवाणी से भाषण दिया ा और यह विधान विधि के अधिपत्य के कितना प्रतिकूल है जिसे उन्होंने भी स ीकार किया था। लोकतंत्र के लिए हजा ों लोगों ने जानें गवाईं और यह विधान उसी लोकतंत्र के लिए कलंक है।

जब सरदार वल्लभभाई पटेल इस विधान को पहले पहल लाये तो मैंने विरोध किया था और श्री पटेल ने भी उस समय कहा था कि "मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं दो रात सो तक नहीं सका।" कह नहीं सकता कि श्री नन्दा को कितनी रातें जागना पड़ा है। सरकार यदि हर दो तीन वर्ष संसद् का समय नष्ट करने की बजाय स्थायी तौर पर इस कानून ो संविधि पुस्तक में रख देते तो यह अधिक ईमानदा ी का काम होता।

इस विधान के साथ एक विस्तृत पुस्तिका है जिसमें अनेक प्रकार के आंकड़े दिये हुए हैं। किन्तु आश्चर्य की बात है उसमें एक भी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं है जिसमें जनता के लिए आवश्यक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

सेवाओं और वस्तुओं के संभरण में बाधा पहुंचाने वाले को निरुद्ध किया गया हो । अन्य कारण बताए गए हैं जैसे जासूसी, हिंसात्मक कार्य, भारत विरोधी प्रचार और गुंडागर्दी । गुंडागर्दी अंग्रेजी का शब्द नहीं अतः मुझे पता नहीं कि इसका क्या मतलब है । गुंडागर्दी के अन्तर्गत बहुत अधिक लोगों को निरुद्ध किया गया है जैसे पश्चिम बंगाल में ही २५५ लोगों को निरुद्ध किया गया है । पश्चिम बंगाल के सदस्य इस बात को लेंगे कि वहां गुंडे अधिक क्यों हैं । इन आंकड़ों में हिन्दु महा सभा, भारतीय जनसंघ और भारत के कामगर दल का उल्लेख है । भारत के कामगर दल को कांग्रेस के विद्रोही कहा गया है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात को छिपाना चाहते हैं कि कांग्रेस में भी गुंडे हैं क्योंकि सरकार इस दल में जितने गुंडों को स्वीकार करती है उससे अधिक गुंडे वहां हैं ।

जिन लोगों को जासूसी के कारण नजरबन्द किया गया है उन्हें राज्य की सुरक्षा के वर्ग अर्थात् क(२) में रखा गया है जबकि उन्हें क(१) अर्थात् भारत की तिरक्षा और विदेशी शक्तियों से सम्पर्क के अन्तर्गत रखना चाहिये ।

जहां तक हिंसात्मक कार्यवाहियों का सम्बन्ध है क्या पुलिस इस प्रकार की गुंडागर्दी की जांच नहीं कर सकती । यदि पुलिस साधू नहीं है तो वह साम्प्रदायिकता फैलाने और डाकुओं को आश्रय देने वाले लोगों को पकड़ सकती है । यदि वह ऐसा नहीं कर सकी तो मंत्री महोदय को स्पष्टतः स्वीकार करना चाहिये कि पुलिस कुशल नहीं है । और उसकी अकुशलता के कारण लोगों को निरुद्ध करना सर्वथा लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही कार्य है ।

पुस्तिका में इसके रचयिताओं ने विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में बहुत अस्पष्टता पैदा कर दी है और सेवाओं तथा वस्तुओं के संभरण में बाधा पहुंचाने वालों का कोई उल्लेख पश्चिम बंगाल में जब व्यापारियों ने चावल संग्रह कर लिया और मुनाफाखोरी की तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया । किन्तु मदुरई में मेरे दल के ५०–६० लोग केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिये गये कि उन्होंने चीन सम्बन्धी नीति का विरोध शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया था । अब मंत्री महोदय कहते हैं कि इस संकट काल में इस विधान का भी समय बढ़ा दिया जाय जबकि भारत प्रतिरक्षा नियम विद्यमान हैं ।

मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि सरकार मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती । गत सप्ताह उद्योग मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि नाइट्रिक एसिड का आयातित मूल्य १२० पये प्रति ५० किलोग्राम है । किन्तु प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जिसमें पूछा गया था कि क्या यह सच है क्या नाइट्रिक एसिड का बाजार भाव ६०० रुपये प्रति ५० किलोग्राम है, उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं ।

मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि यह सब मुनाफाखोरी चलती रहेगी क्योंकि उनका यहां तानाशाही बहुमत है । वे सरकार की सहायता से ही ऐसा कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस दल को निरुद्ध कर दिया जाय । वे इस विधान को केवल विरोधी दलों और विद्रोही कांग्रेसियों के विरुद्ध ही योग न करें बल्कि मुनाफाखोरों के विरुद्ध प्रयोग करें ।

विवरण ८ के स्तम्भ में यह भी उल्लेख है कि एक भी व्यक्ति को धारा ६(१) के अधीन नजरबन्द नहीं किया गया । दूसरे देशों में जासूसी के मुकदमे चलाये जाते हैं किन्तु यहां सरकार ऐसे मुकदमें चलाने से क्यों घबराती है । यह भी नहीं बताना चाहते कि ग्रुप कैप्टन शर्मा किस देश के लिए जासूसी कर रहे थे । ऐसे भय से उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंच सकता ।

गृह मंत्री ने यह नहीं बताया कि भारत तिरक्षा नियमों के अधीन कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। यदि पोकिंग के समर्थक तत्वों को गिरफ्तार किया है तो यह बहुत अच्छा है। किन्तु अन्य प्रकार की गिरफ्तारियां ठीक नहीं हैं।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भ्रष्टाचार से मुक्त और कुशल प्रशासन से लोगों को शान्ति और सन्तोष प्राप्त होगा। अतः निवारक निरोध विधान बनाने को बजाय उन्हें प्रशासन में सुधार करना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस अधिनियम का निरसन करने के लिए मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे और सभा को सन्तोष होगा कि हम ने भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन उन्हें इतने अधिकार दे रखे हैं कि इस विधान का निरसन किया जा सकता है।

†**श्री म० प० स्वामी** (टंकासी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधान को देश की एकता और सुरक्षा के लिए पास किया गया था और यह बहुत लाभदायक रहा है। उपचार की बजाय सावधानी अधिक अच्छी होती है। इस विधान के अन्तर्गत उन्हें निरुद्ध किया जाता है जिनसे किसी बुरे काम की संभावना होती है।

यहां तो निरोध के विरुद्ध उपचार की भी व्यवस्था है जबकि इंगलैंड में ऐसा नहीं है। वहां लिवरेज बनाम सिक जोन के मुकदमे में हाउस आफ लार्ड ने कहा था कि राज्य सचिव को निरोध के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किन्तु यहां नजरबन्द व्यक्ति को पांच दिन के अन्दर निरोध के कारण बताये जाते हैं।

यहां सलाहकार बोर्ड का सभापति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है और निरुद्ध व्यक्ति को उच्च न्यायालय के पास जाने का भी अधिकार है। यदि निरोध के कारण अपर्याप्त हों तो उसे रिहा कर दिया जाता है।

†**श्री नम्बियार** : किन्तु उस व्यक्ति का क्या होता है जिस के बारे में बोर्ड के यह कहने पर कि निरोध के कारण 'अपर्याप्त' हैं उसे तीन मास तक गिरफ्तार रखा जाता है।

†**श्री म० प० स्वामी** : जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें ही तो यह देखना है कि सुरक्षा के लिए क्या अपेक्षित है।

कुछ ऐसे राजनैतिक दल भी हैं जो गलती के सुधार के लिए संवैधानिक आंदोलन के पक्ष में नहीं। मेरे ही राज्य में एक दल ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं जबकि हम संविधान को पवित्र समझते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है।

जो लोग राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध काम करते हैं वे देशद्रोही हैं। देश द्रोह के लिए सामान्य दण्ड मृत्यु है। अतः राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निरोध बहुत आवश्यक है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किन्तु उस की एक शर्त है कि उस स्वतंत्रता से किसी को हानि न हो।

अतः हम रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं। दलों को यह अधिकार है कि वे सरकार के विरुद्ध कानूनी आंदोलन करें किन्तु देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाना निवारक निरोध के अन्तर्गत आता है। अतः मैं दिल से इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : माननीय गृह मंत्री बड़े जोश खरोश के साथ इस विधान का समय बढ़ाने का समर्थन कर रहे थे और उनका मुख्य तर्क संविधान का अनुच्छेद २२ था । इस अनुच्छेद को इतना पवित्र समझा जा रहा है जबकि निःशुल्क और प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों को उठाने और अनुसूचित जातियों को उठाने के उपबन्धों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता ।

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम बहुत प्रभावी अधिनियम है और संकटकालीन स्थिति को अभी समाप्त नहीं किया जा रहा तब निवारक निरोध विधान की क्या आवश्यकता है ?

समाज विरोधी तत्वों की व्याख्या करते हुए सरकार कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को स के अन्तर्गत नहीं लाती । यदि उन पर भी इसे लागू किया जाय तो मैं इस विधान का स्वागत करूंगा । सरकार को मुनाफाखोरी दूर करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि ये लोग खुल्लम खुल्ला डाका डाल रहे हैं । यदि किसी को कुछ समय के लिए निरुद्ध किया जाय तो उससे सारे रोग का निदान नहीं हो सकता ।

मैं वकील हूं और समझता हूं कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गुंडों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अतः निवारक निरोध अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं ।

हम आशा करते थे कि गृह मंत्री समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं अतः वे उन लोगों को निरुद्ध करने का विधान करेंगे जिसके अन्तर्गत उन लोगों को निरुद्ध किया जायेगा जो मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार के अपराधी हैं ।

देश को उन दलों से इतना खतरा नहीं है जिन्होंने अपने उद्देश्यों को वास्तव में घोषित कर दिया है बल्कि उनसे खतरा है जो लोकतंत्रात्मक उद्देश्यों की घोषणा करते हैं किन्तु साम्यवादी और साम्प्रदायक हैं । यह दल रामराज की बजाय कामराज का समर्थक है ।

१९५० से यह विधान चला आ रहा है और से और बढ़ाने में कोई औचित्य नहीं है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : सभापति महोदय, मैं निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक का समर्थन करती हूं । विपक्षी सदस्यों ने भी अनजाने में ही इस विधेयक का समर्थन किया है । उदाहरणार्थ यदि साम्यवादियों के विरुद्ध इस विधेयक का प्रयोग किया गया तो श्री मसानी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

यह हमारे देश में नया ही नहीं है । ब्रिटिश शासकों के समय में भी ऐसा ही एक विधान था । अमरीका में भी इसी प्रकार का एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, १९५० है । संविधान के अनुच्छेद २२ में निवारक निरोध की आवश्यकता बताई गई है । यह उन लोगों के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा जो समाजघाती हैं, जो इस देश का विघटन करने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

यह भी कहा गया है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का दुरुपयोग किया गया है । किन्तु मैं यही कहूंगी कि आपातकाल और भारत प्रतिरक्षा नियमों के नाम पर मेरे विपक्षी मित्र सरकार की आलोचना करने के लिये हर मौके का लाभ उठाते हैं । कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के होते हुए फिर निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर यही है कि आपातकाल तो कुछ समय के लिये ही है । किसी भी क्षण यह समाप्त हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त ऐसे निरोध के सम्बन्ध में कई सावधानियां बरती गई हैं। जब तक राज्य अनुमोदन न करे १२ दिनों से अधिक निवारक निरोध लागू नहीं रखा जा सकता। ५ दिनों के भीतर निरोध के आधारों से निरुद्ध व्यक्ति को अवगत कराना होगा, आदि।

इतने बड़े देश में कुछ सौ व्यक्ति ही इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं। इसलिये सदस्यों को इसके दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत नहीं होनी चाहिये।

निवारक निरोध के पक्ष में अधिक तर्क हैं विपक्ष में कम। जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग की रक्षा कुछ लोगों से करनी है जो दुष्ट और समाजविरोधी प्रवृत्ति के हैं। विपक्षी सदस्यों का यह तर्क कि चूंकि कुछ सौ व्यक्ति ही गिरफ्तार किये गये हैं इसलिये इस विधान की आवश्यकता नहीं है, ठीक नहीं है। एक व्यक्ति को एक गोली ही विनाश कर सकती है और संबंधित राष्ट्र को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।

यह विधेयक उन लोगों के लिये है जो हिंसक परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि इन परिस्थितियों को उत्पन्न न होने दे। हमारे देश में साम्प्रदायिक प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। सरकार को चाहिये कि ऐसी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिये भारतीय संस्कृति अथवा धर्म की उचित भावना का प्रसार करे। फिर ऐसे विधान की आवश्यकता नहीं होगी।

कई सदस्यों ने यह कहा है कि तेलंगाना में विद्यमान परिस्थितियों के कारण ऐसे अधिनियम की आवश्यकता अनुभव हुई है। मैं स्वयं तेलंगाना की हूं, विशेषकर उस जिले की जहां पर साम्यवादियों ने, गुंडों ने हजारों व्यक्तियों की हत्या कर दी है। अभी छः महीनों में ही वहां के मंडल कांग्रेस के दो प्रधानों की हत्या कर दी गई है। उन गांवों का दौरा करते हुए मैंने एक ही परिवार में चार विधवाओं को देखा है। एक रात साम्यवादियों ने उनके घर पर आक्रमण किया और चार व्यक्तियों को गोली से मार दिया। ३००० बेकसूर व्यक्ति स्त्रियां और वृद्ध व्यक्ति इस प्रकार मार दिये गये हैं।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस अधिनियम को अधिक कारगर रूप में लागू किया जाये। मेरे माननीय मित्र कई दिलचस्प बातों को, परीक्षा में नकल करना, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को प्रकाश में लाये हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि असामान्य परिस्थितियों के विद्यमान होते हुए असामान्य विधेयक की आवश्यकता है। श्री मसानी ने कहा था कि उन अपराधों का उल्लेख किया जाये जिनके सम्बन्ध में यह कानून लागू होगा। किन्तु देश की आज क्या स्थिति है? चीनियों के आक्रमण करने के पहले एक व्यक्ति जिसका नाम कुछ सिंह जैसा था चीनी सेना के अधिकारी की वर्दी पहने हुए यह कहता फिरता था कि "तैयार रहो, तुम्हारे मुक्तिदाता आ रहे हैं।" अब मैं अपने माननीय मित्र से ही पूछना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिये? साम्यवादियों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन के समर्थक हैं। मेरा स्वयं का यही मत है कि इस समय इस कानून को बना रहने दिया जाये। किन्तु मैं श्री मसानी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दामलाल सर्राफ]

की इस बात से सहमत हूं कि उन अपराधों का उल्लेख कर दिया जाये जिनके सम्बन्ध में यह लागू होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री हे० वी० कौजलगी** (बेलगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस अधिनियम की आवश्यकता और उपयोग के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है । देश में शांति कायम रखना सरकार का मुख्य कर्तव्य है ।

विपक्षी सदस्यों के भाषणों से यह पता चलता है कि वे यह नहीं कहते कि विधेयक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है । एक-दो को छोड़ कर सबने यही कहा है कि इसका दुरुपयोग किया गया है ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि इसे स्थायी विधान बना दिया जाये । इसका भी यही अर्थ है कि यदि अभी परिस्थितियां वैसी ही हैं तो इस अधिनियम को जारी रखा जाये ।

यह कहा गया है कि इस अधिनियम का प्रयोग किसी विशेष दल के विरुद्ध किया गया है । किन्तु यदि इसके खंडों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाये तो प्रतीत होगा कि यह किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं अपितु उन लोगों के विरुद्ध है जो समाजविरोधी कार्यों में भाग लेते हैं । अब भी देश में समाजविरोधी कार्य हो रहे हैं इसलिये इस अधिनियम को जारी रखने के ठोस कारण हैं ।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां भी हत्या करना एक आम बात हो गई है । वे लोग रुपयों के लिये अथवा दलीय बातों के आधार पर हत्या करते हैं । उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिल पाता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वादविवाद कल भी जारी रहेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों के पूर्वी पाकिस्तान को जाते हुए मनीपुर के रास्ते बर्मा में प्रवेश

†**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "४०० नागाविद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान को जाते हुए मनीपुर के रास्ते बर्मा में कथित प्रवेश ।"

†**प्रधानमंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :

कुछ दो माह पहले लगभग २०० नागा विद्रोही नागालैंड से बाहर जाने लगे । पहले नागा विद्रोहियों के दो दल थे, जिनमें से प्रत्येक में १०० नागा थे । एक का नेतृत्व दुसोई

---

†मूल अंग्रेजी में

और दूसरे का होटिग्रो सेमा कर रहे थे। सुरक्षा बल द्वारा कारगर कार्यवाही करने के परिणाम-स्वरूप होटिग्रो सेमा वाले दल के प्रयास को निष्फल कर दिया गया और उनका दल तितर बितर हो गया अथवा उस दल के लोग अज्ञात स्थानों में जा छिपे। दूसरा दल, सुरक्षा बल द्वारा लगातार पीछा किये जाने और परेशान किये जाने के उपरान्त भी मनीपुर और उत्तरी कछार पहाड़ियों के बीच की सीमा पर पहुंचने में सफल हो गया। इसके बाद ही यह सीमा के साथ साथ चल कर मनीपुर की दक्षिण-पश्चिमी भाग से बर्मा में प्रवेश कर गया। सिंगोल मनीपुर के सुदूर दक्षिणी भाग में बर्मा की सीमा से कुछ मील पर स्थित है। इसी कारण दुसोई वाला दल चिंगहिल क्षेत्र से बर्मा में प्रविष्ट हुआ। ऐसी सूचना है कि इन दो दलों का लक्ष्य पाकिस्तान के चिटगांव पर्वत क्षेत्र में है।

यह भी संदेह किया जाता है कि इनका ध्येय उन शस्त्रों को प्राप्त करना था जो पूर्वी पाकिस्तान में आये हैं। नागालैंड में जनवरी, १९६४ के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं। विद्रोहियों का इन चुनावों को विघटित और छिन्न भिन्न करने का इरादा प्रतीत होता है। हो सकता है कि इस उद्देश्य से वे और अधिक शस्त्रों और गोला बारूद को प्राप्त करना चाहते हों।

जिस क्षेत्र में सुरक्षा बल कार्य कर रहा है वह अत्यन्त बीहड़ क्षेत्र है। उनका एक दल को तितर-बितर करने का कार्य ही सराहनीय है। दूसरे दल का भी लगातार पीछा किया गया और परेशान किया गया था।

†**श्री स्वैल** : प्रधान मंत्री ने बताया है कि वे चुनावों को रोकना चाहते हैं। आशंका ऐसी है कि वहां रक्तपात होंगे। उसे रोकने के लिये समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इस सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री ने श्री फिजो का मैत्रीपूर्ण और सम्मानपूर्ण समझौता वार्ता का प्रस्ताव अस्वीकार क्यों किया?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि मैंने कभी भी फिजो से भेंट करना अथवा उनसे वार्ता करना अस्वीकार किया है। हाल ही में उनका कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ; कुछ समय पूर्व क्या हुआ था इसकी मुझे ठीक याद नहीं है।

यह प्रस्ताव कुछ बातों के कारण कुछ सीमित था जिन्हें हम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। हम इस नागा समस्या को हल करना चाहते हैं। किन्तु हम संविधान से बाहर नहीं जा सकते। श्री फिजो इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। इसलिये उन्हें यहां वार्ता के लिये बुलाने का कोई लाभ नहीं था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या श्री फिजो जिन्होंने ब्रिटेन में राजनैतिक शरण प्राप्त करली है अब भी अपने गिरोह को विद्रोह के लिये उकसाते रहते हैं? और क्या उन्हें इस कार्य में चीन और पाकिस्तान से सहायता मिलती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है। किन्तु जहां तक हम जान सकते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ सीमातक पाकिस्तान से सहायता मिली है चीन से नहीं। वे पाकिस्तान गए थे और वहां से इंग्लैंड। वहां से वे कुछ शस्त्र आदि लेकर आए हैं जिन्हें वे उपद्रव करने के लिये विद्रोह को देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस बात का विश्वास करने के कारण हैं कि श्री फिजो उन्हें विद्रोह के लिये भड़का रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता । मैं समझता हूं कि श्री फिजो का प्रभाव नागाओं पर काफी कम हो गया है , कुछ तो इस कारण कि वे ब्रिटेन का नागरिक हो गये हैं और कुछ इस कारण कि वे काफी दिनों से दूर हैं । फिर भी यदि वे हथियार भेंजे तो विद्रोही नागा उन्हें अवश्य ले लेंगे ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : क्या यह सही है कि नागा लोगों में इस लिये असंतोष फैला हुआ है कि भारत सरकार ने नागा विद्रोहियों पर तो बम वर्षा की, लेकिन चीनी हमलावरों पर नहीं की ? यदि हां, तो भारत सरकार कब तक अपने नागा नागरिकों के खिलाफ आक्रमणकारियों की तुलना में बुरा बरताव करती रहेगी ? क्या सरकार अपनी नीति में कोई परिवर्तन करेगी ?

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : हमने नागाओं पर बम क्यों गिराये, चीनियों पर क्यों नहीं गिराये ?

श्री रामसेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब नागा विद्रोहियों को यह पता चला कि भारत सरकार ने चीनी हमलावरों पर बम वर्षा नहीं की, जब कि नागाओं पर की, तब उनमें असंतोष फैला ? यदि हां, तो क्या इस असंतोष को दूर करने का कोई उपाय सरकार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सवाल तो चीनी हमले की निस्बत है । यही न माननीय सदस्य का सवाल है कि हमने चीनियों पर बमबारी क्यों नहीं की ?

अध्यक्ष महोदय : चीनी हमला होने से उनको ज्यादा जुरत मिली और यह .....

श्री राम सेवक यादव : मैं थोड़े में बतला दूं । भारत सरकार की तरफ से नागा विद्रोहियों को दबाने के लिये जो कार्रवाई हुई उसमें बमबारी भी शामिल थी । उसके बाद जब चीनी आक्रमण की घटना हुई तो उन पर बमबारी नहीं की गयी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नागा लोगों में इसलिये असंतोष है कि उनके खिलाफ तो सरकार ने बमबारी की, लेकिन चीनियों के खिलाफ बमबारी नहीं की ? क्या इस असंतोष को दूर करने के लिये सरकार कोई उपाय कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि नागा लोगों के खिलाफ कब कब बम गिराये गए । एक आध बार शायद ऐसा किया गया हालांकि कोशिश यह थी कि ऐसा बिल्कुल न करना पड़े । चीन के बारे में जो उन्होंने कहा, उसमें वहां पर जो फौजी अफसर थे उनको पूरा अख्तियार था कि क्या करें और क्या न करें । उस वक्त उन्होंने जो मुनासिब समझा किया । इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : कुछ समय पूर्व श्री फिजो के एक गुप्तचर ने मुझ से कहा था कि यदि आप नागा विद्रोहियों के नेताओं से मिलना चाहें तो वह उनके पते दे सकता है । इससे यह प्रकट

---

†मूल अंग्रेजी में

होता है कि श्री फिजो का अब भी विद्रोही नागाओं से संबन्ध है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध के विषय में जांच करके इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस संबंध को छिन्न भिन्न करना हमारे लिये कुछ कठिन है। यह या तो डाक द्वारा है अथवा कभी कभी लोग पाकिस्तान होकर उधर जाते हैं।

†**श्री नम्बियार** : वह लन्दन में मिला था या भारत में ?

†**श्री हेम बरुआ** : यहां दिल्ली में, मैंने अस्वीकार कर दिया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इन बातों को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी ये हो ही जाती हैं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या यह सही है कि अखबारों में पढ़ने के बाद और हमारे कालिंग अटेंशन नोटिस देने के बाद ही सरकार को इस घटना का पता चला ? अगर उनको पहले पता चला था तो सरकार ने उस के बारे में इस हाउस में स्टेटमेंट देने की तकलीफ गवारा क्यों नहीं की ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप बिल्कुल दूसरा सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के दो हिस्से थे जिनका पीछा किया गया और एक हिस्से को तो रोक दिया गया, दूसरा हिस्सा निकल गया।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने इस बारे में हाउस में स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इसका क्या जवाब दूं। हर बात के लिये हाउस में जाकर बयान देने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा, हमने उनका पीछा किया और एक को तो मुंतशिर कर दिया लेकिन दूसरा बरमा की सरहद के पास निकल गया।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या इस बात का पता लगाया गया है कि यह हथियार, जिन्हें लाने के लिये विद्रोही नागा पाकिस्तान में गए हैं, किस देश ने भेजे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम केवल यही जानते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से हथियार मिलते हैं, पाकिस्तान में कहां से आते हैं, यह हमें नहीं मालूम।

†**श्री कपूर सिंह** : नागा विद्रोहियों की हलचल से उत्पन्न स्थिति का नियंत्रण करने के लिये सरकार ने कछार क्षेत्र सीमा के मनीपुर के इलाके में विशेष उपाय कर लिए थे, फिर समय पर बर्मा को जाने वाले मार्ग को ठीक प्रकार से क्यों नहीं रोका गया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पहले ही कह चुका हुं कि यह पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है और कुछेक नागाओं का इस ओर से निकल जाना आसान है। उन्हें रोकना आसान नहीं है। कभी कभी उन्हें रोकना संभव होता है। एक दल को रोक लिया गया था, दूसरा बच निकला।

†**श्री नि० रं० लास्कर** (करीमगंज) : क्या इसका यह अर्थ है कि सुरक्षा बल के व्यक्ति उस प्रदेश से परिचित नहीं हैं, यदि हां, तो क्या वे वहां के स्थानीय निवासियों की सहायता लेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे उस से परिचित हों तो भी उस प्रदेश की दुर्गमता कम नहीं होगी और जो व्यक्ति चाहे वहां से भाग निकल सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : क्या इस विषय में सरकार सेना की भी सहायता ले रही है तो इसके क्या कारण हैं ? यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों का पता लगाने के लिये हमने अभी तक कोई संगठन स्थापित क्यों नहीं किया ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ये लोग बड़ा दल बना कर नहीं जाते, छोटे छोटे झुंडों में जाते हैं और दूसरी ओर निश्चित स्थान पर जाकर मिल जाते हैं। सेना भी इस मामले में कार्य कर रही है। तथापि कभी कभी लोग बच कर निकल जाते हैं।

श्री योगेन्द्र झा : नागा विद्रोही जब तब पाकिस्तान और बर्मा हमारी सीमा पार कर के जाते हैं। इन दोनों मुल्कों से हमारा दौत्य सम्बन्ध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने बर्मा और पाकिस्तान के साथ मिल कर और उन का सहयोग लेकर नागाओं की सीमा पार करने को रोकने की भी कोशिश की है ? क्या उन से भारत सरकार ने इस बारे में सहयोग मांगा है, यदि हां, तो उन की क्या प्रतिक्रिया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तान से तो इस बात के लिये हम ने सहयोग मांगा नहीं क्यों कि उनका तर्ज ऐसा है कि वह उसे देंगे नहीं। बर्मा को हम ने जरूर उस बारे में लिखा है। अक्सर उन को इस बारे में इत्तिला की है और उन्होंने हमारी कुछ मदद करने की कोशिश भी की।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत सरकार की इस आशय की स्पष्ट घोषणा को देखते हुए कि श्री फिजो अथवा उनकी ओर से कोई बिचौलिया, जैसे श्री माइकेल स्काट, नागालैंड के अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत कर सकता है, इन अधिकारियों ने इस विषय में क्या कुछ किया है और विद्रोही नागाओं को इस बारे में रास्ते पर लाने में, कि वे हथियारों की प्राप्ति के लिये देश देश न भटकते फिरें, ये कहां तक सफल हुए हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि इस के उत्तर में मुझ से क्या कहलवाना चाहते हैं। क्या यह कि मैं कुछ व्यक्तियों से यह कहूं कि वे नागाओं को इस प्रकार का व्यवहार करने से रोकें ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि जनवरी, १९६४ के मध्य में होने वाले चुनावों में गड़बड़ करने के लिये हथियार प्राप्त करने के लिये विद्रोही नागा लोग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, सरकार ने इस हेतु कि ये लोग निर्वाचनों में गड़बड़ी पैदा करके खून की होली न खेल सकें, सुरक्षा बल में वृद्धि करने तथा सतर्कता बरतने की दिशा में क्या प्रभावशाली कदम उठाए हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उठाए गये सारे कदम बताना मेरे लिये कठिन है। अधिकारियों को इस बात का पता है कि ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। वे कार्यवाही कर रहे हैं। निर्वाचन केवल एक स्थान पर ही नहीं, सारे नागालैंड में होने हैं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि सरकार को इस बात का भली भांति पता है कि ये नागा लोग हथियार प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान गए हैं और फिर वापस लौटेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार को इस आशय का कोई टिप्पण भेजा गया है अथवा

---

†मूल अंग्रेजी में

भेजने का विचार है कि यदि उन्होंने इन नागाओं को हथियार सहित पुनः भारतीय राज्यक्षेत्र में आने दिया, तो हम उनके इस कार्य को शत्रुता पूर्ण समझेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से हाल में कोई टिप्पण नहीं भेजा गया है । संभवतया कुछ समय पहिले, एक टिप्पण भेजा गया था जिसमें लिखी गई बातों से पाकिस्तान सरकार ने इंकार किया ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इसका यह अर्थ है कि हमें और टिप्पण नहीं भेजना चाहिये ? इस तरह से तो ऐसी बातें चलती ही रहेंगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे टिप्पण भेजने से ये बन्द नहीं हो जायेंगी ।

---

*दिल्ली में भूमि के मूल्य

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : दिल्ली में भूमि के मूल्यों सम्बन्धी प्रश्न संसद् सदस्यों तथा जनता के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है जबकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मूल्य कम होते जा रहे हैं । मूल्यों में तो दस गुने से भी अधिक वृद्धि हो गई है । और यह वृद्धि भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है ।

इस समस्या के हल करने के दो तरीके हैं—एक साम्यवादी तरीका तथा दूसरा लोकतंत्रीय तरीका । साम्यवादी तरीके में, जैसाकि रूस में है, कोई भी व्यक्ति सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी से न तो भूमि खरीद सकता है तथा न किसी को बेच सकता है । चूंकि ऐसे तरीके में, मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य राज्य करता है, अतः मूल्यों में केवल उचित रूप से ही उतार-चढ़ाव होता है ।

लोकतंत्रीय तरीके में, जिसको आयोजित तरीका भी कह सकते हैं, किसी शहर का विकास करने के लिये पहिले उसके कुछ विशेष स्थानों का विकास किया जाता है और मूल्यों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, एकदम नहीं । इसीलिये हर जगह आयोजित कार्यक्रम का ही बोलबाला है । परन्तु सरकार ने देहली में इस तरीके से कार्य नहीं किया । यदि स तरीके का आश्रय लिया गया होता, तो इस समय स्थिति कुछ और ही होती और मूल्य-वृद्धि की यह समस्या इतने विकराल रूप से सामने न आती ।

दिल्ली विकास प्राधिकार की स्थापना करके तथा उसके द्वारा भमि के अर्जन का मार्ग अपना कर, जिसके पीछे आमूल सुधार करने की भावना कार्य कर रही थी, सरकार ने लोगों के दिलों में घबराहट तथा अनिश्चितता की भावना भर दी । प्रत्येक व्यक्ति को स शंका ने घेर लिया कि वह अपनी भूमि पर कुछ निर्माण करे अथवा नहीं ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा उठाये गये इस कदम से, कि भूमियां ज्यों की त्यों रहेंगी अर्थात् उनके विकास, क्रय-विक्रय आदि के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, स्थिति और भी बिगड़ी । हमें आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि मकानों के किराये का भूमि के मूल्य से सीधा सम्बन्ध है । दिल्ली में मकानों के किराये बहुत ही अधिक हैं । यहां एक से ले कर दो कमरों वाला मकान कहीं भी १५० रुपये ति मास से कम किराये पर नहीं मिल सकता । मुझे कुछ ऐसे व्यक्तियों का पता है जिन्होंने कि पहले किसी स्थान पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमाये

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री हेडा]

हुए थे और अब मकान बना कर प्रति मास ५०० ० तक किराया--२५० रु० नीचे के हिस्से के तथा २५० रु० ऊपर के हिस्से के--वसूल कर रहे हैं। हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिये।

सरकार द्वारा दिल्ली में जो निर्माण-कार्य किया गया है तथा किया जा रहा है, उसे देखकर यह आभास होता है कि बहुत कुछ किया गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या बनाये गये अथवा बनाये जाने वाले मकान देहली की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त हैं? नहीं।

यदि हम भूमि के मूल्यों को एक उचित स्तर तक नीचे लाना चाहते हैं, तो हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण-कार्य चालू करना चाहिये। प्रतिवर्ष बढ़ती हुई तथा वर्तमान आबादी की आवश्यकताओं के लिये वर्तमान क्रमशः २४,००० तथा १,००० से लेकर ५,००० मकानों की आवश्यकता है। इस प्रकार, प्रति वर्ष लगभग ३०,००० मकान बनाये जाने चाहियें। चूंकि दिल्ली में अधिकतर कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अतः यह निर्माण-कार्य सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र से बारे में कोई विशेष योगदान निम्न कारणवश देने में असमर्थ है।

पहला कारण यह है कि मकानों के नक्शों को शीघ्र मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है। इसमें बहुत समय लगता है। नक्शे विभिन्न तथा विचित्र आधारों पर रद्द कर दिये जाते हैं। घिसे पिटे टाइप किये आधारों को प्रत्येक मामले में लागू कर दिया जाता है। मंजूरी के लिए भी विभिन्न स्थानों के लिए अलग अलग तरीके बने हुए हैं। दिल्ली नगर निगम ने कुछ और तरीका अपनाया हुआ है तथा नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी और छावनी बोर्ड ने कुछ और।

दूसरा कारण है धन की दुर्लभता। बैंक एक निश्चित प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं देते। जबकि भूमि के मूल्य के साथ साथ निर्माण लागत भी बढ़ रही है, तो बैंकों को ७५ प्रतिशत से लेकर ९० प्रतिशत तक ऋण देने के लिये क्यों नहीं बाध्य किया जाता? अतः निर्माण करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार धन नहीं मिलता।

तीसरा कारण है विभिन्न क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन न किया जाना। वाणिज्यिक क्षेत्रों तक में भी, जहां स्थानों का भली भांति विकास हो चुका है, उचित तथा स्पष्ट सीमांकन का अभाव है। मकानों का निर्माण करते समय, वाणिज्यिक तथा विपणन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये था। इन सब बातों को ठीक प्रकार से व्यवस्था न किये जाने के कारण भी निर्माण-कार्य की प्रगति में बाधा पड़ती है।

मुझे मंत्री जी द्वारा ४ दिसम्बर को दिये गये इस उत्तर पर, कि कम वेतन पाने वाले वर्ग को दी जाने वाली राजसहायता को पूरा करने के कारण अधिक मूल्य लिया जा रहा है, आश्चर्य है। मेरी जानकारी के अनुसार, सरकार २ रुपये ७ आने प्रति वर्ग गज के हिसाब से भूमि का अर्जन करती है। ६० प्रतिशत सड़कों, पार्कों आदि के लिये छोड़ दिया जाता है। यदि शेष ४० प्रतिशत पर आने वाले विकास सम्बन्धी खर्चे को लगाया जाय, तो कुल लागत कठिनाई से १० से १२ रुपये तक आती है जबकि सरकार इस समय ३५ रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से भूमि दे रही है।

अन्त में मैं यह और कहना चाहूंगा कि समुचित समन्वय तथा आयोजन के अभाव के कारण ही भूमि के मूल्यों में बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं आशा करता हूं कि यह गृह, आवास तथा वित्त मंत्रालय एक साथ बैठ कर इस समस्या पर विचार करेंगे तथा अपने विचारों में समन्वय स्थापित करके एक ऐसी योजना पेश करेंगे जिससे सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा निर्माण-कार्य की गति में यथेष्ट रूप से तेजी लाई जा सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि वह अनुचित तरीके से कमाये गये पैसे को बढ़ावा दे रही है तथा क्या यह चीज़ उसके समाजवादी ढांचे सम्बन्धी कार्यक्रम से मेल खाती है ? काले बाज़ार द्वारा कमाये गये धन वाले व्यक्ति के अतिरिक्त, कोई भी सम्माननीय तथा ईमानदार मनुष्य, चाहे उसकी आय २,००० रुपये मासिक भी हो, छोटे से मकान के लिये चाणक्यपुरी अथवा मथुरा रोड पर एक प्लाट खरीदने में असमर्थ है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सरकार ने भूमि के मूल्यों में बढ़ोतरी कराने वाले जाल तथा मकानों के किरायों में की जाने वाली मुनाफ़ाखोरी को, जिनका आपस में सम्बन्ध है, समाप्त करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्रीमन्, १९४१ में दिल्ली की आबादी ७ लाख थी । १९५१ में यह दुगनी तथा १९६१ में साढ़े तीन गुना हो गई और अब यह २३ ½ लाख है । मेरे विचार से संसार के किसी भी नगर की आबादी केवल २० वर्ष में इतनी अधिक नहीं बढ़ी होगी । हमारे देश के किसी भी स्थान पर विभाजन का इतना भार नहीं पड़ा जितना कि दिल्ली पर और न ही दिल्ली के बराबर कहीं पर नगरीय जनसंख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है । इस आबादी का सर्वेक्षण कराने से ये पता चला कि ८२ प्रतिशत व्यक्तियों की आय २५० रु० मासिक से कम है तथा १२ प्रतिशत की आय २५० रु० से लेकर ५०० रु० तक है । इस प्रकार से, ९४ प्रतिशत व्यक्तियों की आय ५०० रु० मासिक से कम है । प्रश्न यह है कि इन व्यक्तियों की आवास संबंधी समस्या को कैसे हल किया जाये ताकि आधुनिक सामाजिक जागृति के अनुसार इनके लिये व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा सके तथा राष्ट्र की राजधानी के विशाल नगरीय ढांचे की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सके ।

मेरे विचार से न तो श्री हेडा और न ही अन्य माननीय सदस्य १,००० रु० मासिक से अधिक आय वाले २ प्रतिशत वर्ग के बारे में चिन्तित हैं । ५०० से ले कर १,००० रु० मासिक तक आय वाले व्यक्ति केवल ४ प्रतिशत हैं । अतः समस्या ९४ प्रतिशत व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती है । इन की समस्या को हल करने के दो तरीके हैं । एक तो यह कि हम अंधाधुंध सारी दिल्ली में निर्माण-कार्य होने दें जिसका दूसरा अर्थ होता है मुनाफ़ाखोरों को खुली छुट्टी दे देना तथा दूसरा तरीका यह है कि इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग निकालना ।

अतः सबसे प्रथम यह निर्णय करना था कि दिल्ली में किस प्रकार के निर्माण की अनुमति दी जाये । जैसा आपको व श्री हेडा को विदित है कि यदि नगरीय क्षेत्रों में किसी प्रकार का निर्माण-कार्य किया जाता है, तो ये क्षेत्र उपनगर का रूप धारण कर लेते हैं । एक एक उपनगर का अलग अलग विकास करने की अपेक्षा सब उपनगरों का एक साथ विकास करने की दृष्टि से ही मास्टर प्लान बनाया गया था । मेरे विचार से श्री हेडा द्वारा हमारे मास्टर प्लान की जो आलोचना की गई, वह न्यायसंगत नहीं थी । मास्टर प्लान का निर्माण तथा प्रकाशन इसलिये अत्यधिक आवश्यक था कि प्रत्येक व्यक्ति यह जान सके कि कहां पर किस प्रकार का निर्माण किया जा सकता है तथा नगर का विकास किस ढंग से होना है ।

अब प्रश्न यह उठता है—जैसाकि श्री दी० चं० शर्मा तथा श्री माथुर ने संकेत किया है—कि मुनाफाखोरी को किस प्रकार से रोका जाये ? इस को रोकने के लिये कौन सा उपाय किया जाय । अब, मान लिया जाय कि हम आर्थिक गतिविधियों पर सयम न रखतो निस्सन्देह भूमि के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाते । इस बारे में सभी सहमत होंगे । यदि भूमि इन ९४ प्रतिशत लोगों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरतवीस]

उपपलब्ध करनी है तो स समुदाय को भूमि के अर्जन ए ं विकास की लागत का कुछ अंश बर्दाश्त करना ही होगा । इसलिये यह करना ही पड़ा । इस स्थिति में क्या हम इस बात की अनुमति दे सकते थे कि कुछ क्षेत्रों में भूमि का अर्जन किया जाय और दूसरे क्षेत्रों में मुफ्त रूप से काम चले? ऐसा करने से सरकारी योजना की कार्यान्विति पर असर पड़ सकता था । सालिए, इस प्रयोजनार्थ सरकार को सारी भूमि का अर्जन करना ही था । यह एक अवश्यम्भावी निश्चय था । सरकार इसी निर्णय पर पहुंची कि सारी भूमि का अर्जन कर लिया जाय ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पहले पहल ८,००० एकड़ भूमि अर्जित की गई । अब इसकी मात्रा बढ़ा कर १४,००० एकड़ कर दी गयी है चूंकि हमने देखा कि ८००० एकड़ भूमि अपर्याप्त थी । १४,००० एकड़ भूमि भी अपर्याप्त है । ८०००, एकड़ भूमि संबंधी योजना मार्च, १९६१ में तैयार की गयी और तब कुछ जल्दबाजी में यह घोषणा कर दी गयी कि अक्तूबर १९६१ तक २००० प्लाट उपलब्ध किये जायेंगे । वह उपलब्ध नहीं हो सके चूंकि समय बहुत कम था । यह हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि इतने कम समय में प्लाट उपलब्ध नहीं किये जा सकते थे । यदि कोई समझता है कि ऐसा करना सम्भव था तो उसे समस्या के सभी पहलुओं की जानकारी नहीं है ।

अब भूमि का विकास किया जा रहा है । इसके पश्चात् ७२ प्रतिशत और १४ प्रतिशत लोगों के लिये हम क्या करते हैं : पहले तो जो लोग झुग्गी और झोंपड़ियों में रहते हैं उनका हक है । उन्हें भूमि पहले दी जानी है । इस प्रयोजनार्थ हमारे अनुमान के अनुसार ५०,००० प्लाट उपलब्ध किये जाने हैं । २५,००० लोग स्थायी रूप से दिल्ली में बसे हुए हैं और २५,००० लोग ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से रहते हैं । पहले हम इन अस्थायी तौर पर रहने वाले लोगों के लिये २५ वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध करना चाहते हैं जिन में जल, मलवाहन, मार्गों के लिये नलियां तथा संचार सुविधायें उपलब्ध होंगी । दूसरे स्थायी तौर पर बसे २५,००० लोगों के लिये ८० वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध किये जायेंगे ।

इसकी लागत उन लोगों से प्राप्त नहीं की जा सकती जिन्हें यह प्लाट दिये जायेंगे । सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व भी यहीं पैदा होता है । इन ५०,००० प्लाटों में से ७,४६५ शिविर स्थान २५, २५ वर्ग गज के उपलब्ध कर दिये गये हैं तथा ७,५३५ शिविर स्थान जून १९६४ तक उपलब्ध किये जायेंगे । शेष १०,००० आशा है मार्च, १९६६ तक धीरे धीरे अलाट कर दिये जायेंगे । जहां तक ८० वर्ग गज के प्लाटों का सम्बन्ध है ४,७२० प्लाट अब तैयार हैं जिनमें से ३,५६५ पहले ही एलाट कर दिये गये हैं । ६१२ अन्य प्लाट जून १९६४ तक तैयार हो जायेंगे और शेष १५,००० मार्च, १९६६ तक धीरे-धीरे तैयार हो जायेंगे ।

अब यह प्लाट मार्केट में आने शुरू हो गये हैं और अधिक से अधिक प्लाट उपलब्ध होने शुरू हो जायेंगे ।

इसके बरअक्स गैर-सरकारी बस्तियां हैं । विभिन्न बस्तियों में १२,००० प्लाट खाली हैं । अनधिकृत बस्तियों में २०,००० प्लाट खाली हैं । अभी इन पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है । यदि यह भूमि के प्लाट गैर-सरकारी उपक्रमों को दिये होते तो वह उन्हें उचित दरों पर आवास सुविधायें नहीं दे सकते थे ।

यह कहा गया कि मंजूरी नहीं दी जा रही है। मैंने स्थिति की जांच की है। दो-एक मामलों में विलम्ब हुआ है परन्तु ऐसा विलम्ब प्रत्येक नगर और नगरपालक निगम में होता है। मंजूरी देने में प्राधिकरणों द्वारा शीघ्रता दिखाई जा सकती थी परन्तु जो लोग दिल्ली में निर्माण-कार्य करना चाहते हैं उन्हें मैं एक बात कहूंगा कि नक्शों को शीघ्रता से पास कराने के लिये यह आवश्यक है कि वह सक्षम लोगों द्वारा तैयार किये जायें। बहुत से नक्शे ऐसे लोगों द्वारा तैयार किये जाते हैं जो आधुनिक भवनों के मामलों में अधिक जानकारी नहीं रखते। इसी कारण नक्शे अस्वीकार किये जाते हैं। मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि अधिकारीगण लोगों को बतायें कि उनके नक्शों में कौन सी त्रुटियां पाई जाती हैं।

परन्तु मुझे यक़ीन है कि यह १२,००० और २०,००० प्लाट इसलिये खाली नहीं पड़े हैं कि वहां निर्माण कार्य नहीं हो सका वरन् इसलिये कि उन प्लाटों से काफी धन कमाया जा सकता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि ९४ प्रतिशत जनता को भूमि का वितरण करने के लिये भूमि सरकार द्वारा अर्जित की जाय और सरकार द्वारा उसका विकास किया जाय और कम दरों पर उसे उपलब्ध किया जाय।

अब मैं प्लाटों की कीमतों के बारे में बताऊंगा। भूमि अर्जित करने की लागत ४ से ७ रुपये प्रति वर्ग गज है; विकास की लागत ७ रुपये है और यदि ६० प्रतिशत भूमि छोड़ दी जाय तो छोटे प्लाटों की लागत २७ से ३७ रुपये प्रति वर्ग गज और बड़े प्लाटों की लागत २६ से ३३ रुपये प्रति वर्ग गज आती है। अब हम अधिक प्लाट उपलब्ध कर रहे हैं और मूल्य गिर रहे हैं। प्रत्येक छुट्टी के रोज हम प्लाट बेचते हैं। पहले कीमत जो १०० रुपये थी अब ५९ रुपये है, जबकि गैर सरकारी प्लाट की कीमत १५० रुपये से ५० रुपये तक है।

पौश बस्ती में प्लाट थोड़े से हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान के लिये अधिक राशि देने को तैयार है तो क्या बात है। जो भी रुपया प्राप्त होता है वह उस निधि में जाता है जो गरीबों को आवास स्थान उपलब्ध करने सम्बन्धी वित्तीय सहायता देने के लिये बनाया गया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १८ दिसम्बर, १९६३/२७ अग्रहायण, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९६३
२६ अग्रहायण १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६०३—२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६०७	अन्तर्राष्ट्रीय वन गवेषणा संगठन संघ	२६०३—०५
६०८	एयर इंडिया पर इण्डोनेशिया द्वारा वायु प्रतिबन्ध	२५०५—०७
६१०	कृषि उत्पादन	२६०७—१२
६११	दिल्ली—लखनऊ सीधा टेलीफोन सम्पर्क	२६१२
६१२	बहु-प्रयोजनीय खाद्य पदार्थ	२६१३—१६
६१३	नये नौवहन समवाय	२६१६—१७
६१४	बेकार पड़े हुए नल कूप	२६१७—२०
६१५	अप्रयुक्त रसायन	२६२०—२२
६१७	माइक्रोवेव ट्रंक टेलीफोन	२६२२—२३
६१८	अन्तर-सरकारी सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन	२६२३—२४
६२०	चावल की वसूली का कार्यक्रम	२६२४—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६२६—८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
६०९	तार सेवा	२६२६—२७
६१६	हवाई अड्डों की सुरक्षा	२६२७
६१९	दिल्ली—आसनसोल कोएक्सियल केबल	२६२७—२८
६२१	जी० टी० रोड	२६२८
६२२	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के हवाई जहाज	२६२८
६२३	वालकॉट की उड़ान की जांच	२६२८—२९
६२४	प्रतिरक्षा श्रम बैंक	२६२९—३०
६२५	मनीआर्डर फार्म	२६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६२६	गेहूं का खराब हो जाना	२६३०
६२७	सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी वर्ग	२६३०–३१
६२८	वन्य पशुओं की रक्षा	२६३१
६२९	तटीय व्यापार में लगे हुए टैंकर	२६३१–३२
६३०	चारा बैंक	२६३२–३३
६३१	"लव बर्डस" की चोरी	२६३३
६३२	बम्बई बन्दरगाह पर लादने, उतारने और गोदामों में पहुंचाने का ठेका	२६३३–३४
६३३	विश्व खाद्य कांग्रेस	२६३४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७३५	इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२६३४–३५
१७३६	पश्चिम घाट सड़क, केरल	२६३५
१७३७	बडागरा में प्रकाश स्तम्भ	२६३५–३६
१७३८	डमडम से नागपुर तक रात्रि हवाई डाक	२६३६
१७३९	सिन्ध नदी पर पुल	२६३६–३७
१७४०	बिड़ला नगर स्टेशन	२६३७
१७४१	गुना और शिवपुरी के बीच रेलवे लाइन	२६३७
१७४२	ग्वालियर–शिवपुरी रेलवे लाइन	२६३७
१७४३	भिन्ड के उत्तरी जिलों में रेल सुविधायें	२६३८
१७४४	खेतिहरों को सहायता	२६३८
१७४५	रेलवे के विरुद्ध शिकायत	२६३८
१७४६	रुमानिया में हाल्ट स्टेशन	२६३९
१७४७	लखनऊ–सुलतानपुर–जौनपुर लाइन	२६३९
१७४८	कृष्णा नदी के ऊपर पुल	२६३९
१७४९	प्रारम्भिक इन्टरलॉकिंग	२६४०
१७५०	रुद्रमपुर में रेलवे स्टेशन	२६४०
१७५१	डोरनाकल खम्मामेथ रेलवे लाइन	२६४०
१७५२	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती	२६४१
१७५३	मद्रास के लिये जेट सेवा	२६४१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७५४	मद्रास में टेलेक्स संचार प्रणाली	२६४१
१७५५	मद्रास में टेलीफोन	२६४२
१७५६	आर्नी में सार्वजनिक टेलीफोन	२६४२
१७५७	टेलीफोन कनेक्शन	२६४२–४३
१७५८	डाक के प्रथम दिवसीय लिफाफे	२६४३
१७५९	बीबीवाला रेलवे स्टेशन	२६४३
१७६०	डाकघर	२६४४
१७६१	अखिल भारतीय पहाड़ी क्षेत्र विकास गोष्ठी	२६४४
१७६२	चीनी की चोरबाजारी	२६४४
१७६३	रेल के टिकटों की चोर-बाजारी	२६४५
१७६४	कालपी के पास पुल	२६४५
१७६५	फोनोग्राम	२६४५–४६
१७६६	गोदाम तथा पशुओं के लिये रोड	२६४६
१७६७	श्रमिक सहकारी समितियां	२६४६
१७६८	रेलवे का राष्ट्रीयकरण	२६४७
१७६९	रेलवे के विरुद्ध शिकायतों का निबटारा	२६४७–४८
१७७०	केरल में रेलवे स्टेशन	२६४८
१७७१	पश्चिम बंगाल के लिये उर्वरक	२६४९
१७७२	केलों का उत्पादन	२६४९
१७७३	जीवन बीमा निगम द्वारा भूमि बन्धक बैंकों में विनियोजन	२६५०
१७७४	गिर शेर	२६५०–५१
१७७५	तिलहनों का विकास	२६५१
१७७६	उत्तर प्रदेश में डाकिये	२६५१
१७७७	ग्रामीण गृहिणियों का कार्य-भार	२६५२
१७७८	भारतीय पशु अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर	२६५२
१७७९	काठमण्डू में डाक और तारघर	२६५२–५३
१७८०	मछियारे	२६५३
१७८१	नौभार मोटर-पोत	२६५३
१७८२	दिल्ली का केन्द्रीय तारघर	२६५३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७८३	तार घर	२६५४
१७८४	डाक और तार विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारी	२६५४–५५
१७८५	दूरमुद्रक पर्यवेक्षक	२६५५
१७८६	रायनापादु रेलवे स्टेशन	२६५५–५६
१७८७	ग्रामीण समाज के दुर्बल अंगों का कल्याण	२६५६–५७
१७८८	मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन	२६५७
१७८९	दिल्ली के लिये चीनी का कोटा	२६५८
१७९०	मद्रास के पास समुद्री तूफान	२६५८–५९
१७९१	चक्की और ब्यास पर रेल तथा सड़क पुल	२६५९
१७९२	रेलवे बुक स्टाल	२६५९
१७९३	मद्रास-मुदुरै शटल विमान सेवा	२६६०
१७९४	मैसूर में सड़कें तथा पुल	२६६०–६१
१७९५	उर्वरक	२६६१
१७९६	रेलवे कर्मचारी	२६६२
१७९७	तार घर	२६६२–६३
१७९८	पहाड़ी प्रतिकरात्मक भत्ता	२६६३
१७९९	आई० ए० सी० के विमान चालकों के लिये वर्दियां	२६६३–६४
१८००	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर स्टेशनों के प्लेटफार्म	२६६४
१८०१	पंजाब को चीनी तथा गेहूं का सम्भरण	२६६४–६५
१८०२	टेलीफोन राजस्व कार्यालय	२६६५–६६
१८०३	बम्बई में लोकल गाड़ियां	२६६६
१८०४	विस्फोटक पदार्थों की चोरी	२६६६–६७
१८०५	बालाघाट में टेलीफोन सेवा	२६६७
१८०६	खाद्यान्नों का व्यापार	२६६७
१८०७	किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त गन्ना मूल्य	२६६७–६८
१८०८	काजूरिना तथा यूक्लिपटिस के पेड़ों का लगाया जाना	२६६८
१८०९	कोट्टयम में डाकखाने की इमारत	२६६८
१८१०	विवेकानन्द पुल कलकत्ता	२६६८–६९
१८११	बाक्स वैगन	२६६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८१२	एरणाकुलम जंक्शन	२६६९–७०
१८१३	टेलीफोन के तारों की चोरी	२६७०
१८१४	पशु रोगों का दूर किया जाना	२६७०
१८१५	ऊन का उत्पादन	२६७०–७१
१८१६	जेतसर कृषि फार्म	२६७१
१८१८	मध्य प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें	२६७१
१८१९	रेलवे में पदोन्नतियां	२६७१–७२
१८२०	डाक जीवन बीमा	२६७२–७३
१८२१	डाक जीवन बीमा निधि निगम	२६७३
१८२२	डाक जीवन बीमा	२६७३–७४
१८२३	डाक तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२६७४
१८२४	बड़ौदा हवाई अड्डा	२६७४–७५
१८२५	राजखरसवां स्टेशन पर भीड़	२६७५
१८२६	रेलगाड़ी और ट्रक की टक्कर	२६७५–७६
१८२७	अजमेर में उर्स का मेला	२६७६
१८२८	पोस्टल सेविंग बैंक में धोखा	२६७६–७७
१८२९	डाक के जले हुए थैले	२६७७
१८३०	नयी तेल नौवहन कम्पनी के तेलवाहक जहाज	२६७७–७८
१८३१	स्वच्छता विभाग	२६७८
१८३२	पूर्वोत्तर रेलवे में हिन्दी का प्रयोग	२६७८
१८३३	बिहार में दुग्ध योजनाएं	२६७८–७९
१८३४	बिहार में केन्द्रीय सहकारी बैंक	२६७९
१८३५	स्मृति टिकट	२६७९
१८३६	कृषि उत्पादन	२६७९
१८३७	बिहार में सहकारी आन्दोलन	२६७९–८०
१८३८	लूणकरणसर में तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन	२६८०
१८३९	केरल के लिये चावल का कोटा	२६८१
१८४०	बम्बई के पास रेल.दुर्घटना	२६८१
१८४१	मझोला हाल्ट स्टेशन	२६८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८४२ डाक की दरें २६८२
१८४३ वाणिज्यिक उपक्रमों में सेवा-निवृत्त रेलवे अधिकारी २६८२—८३
१८४४ कर्मचारियों की सेवा की शर्तें . . २६८३
१८४५ केरल में रेलवे लाइनें २६८३—८४
१८४६ केन्द्रीय भाण्डागार निगम २६८४
१८४७ पेंशन योजना . २६८४—८५
१८४८ रेलवे संघ . . २६८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . २६८५—८७,२७१४—१६

(१) श्री हेम बरुआ ने पानी पम्प करने वाले स्टेशन में गड़बड़ी के कारण हाल में गोहाटी तेल शोधनशाला में काम रुक जाने की ओर पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान दिलाया।

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री स्वैल ने ४०० नागा विद्रोहियों के पूर्वी पाकिस्तान को जाते हुए मनीपुर के रास्ते वर्मा में कथित प्रवेश की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में . २६८८—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २६९०—९१

(१) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २३ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर १८०५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (व्यापारी बेड़े के इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, १९६३।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(३) नागालैंड राज्य अधिनियम, १९६२ की धारा ३१ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १२ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९२० में प्रकाशित नागालैंड (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६३।

विषय पृष्ठ

(दो) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८४७ में प्रकाशित नागालैंड (कठिनाइयों का दूर करना) १९६३ का आदेश संख्या २।

(तीन) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८४८ में प्रकाशित नागालैंड (कठिनाइयों का दूर करना) १९६३ का आदेश संख्या ३।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ६ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८७९ में प्रकाशित नेल्लोर चावल (निर्यात पर रोक) आदेश, १९६३ की एक प्रति।

(५) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रन्टर्स लिमिटेड, मद्रास की वर्ष १९६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(६) वर्ष १९६२–६३ के लिए कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति।

सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे में २६९१—९३

सभा का कार्य २६९३–९४

विधेयक विचाराधीन . . . . . २६९४—२७१४

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) ने प्रस्ताव किया कि निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार किया जाये।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा २७१९–२१

श्री हरिश्चन्द्र हेडा ने दिल्ली में भूमि के मूल्यों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ के ४ दिसम्बर, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) ने चर्चा का उत्तर दिया।

बुधवार, १८ दिसम्बर, १९६३/२७ अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा तथा इसका पारित किया जाना।

GMGIPND—LSIII—1884 (Ai) LS—5-2-64—160

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—(जारी)

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा २७१२–१३

श्री श्यामलाल सर्राफ २७१३–१४

श्री हे० बी० कौजलगी २७१४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों के पूर्वी पाकिस्तान को जाते हुए मनीपुर के रास्ते बर्मा में प्रवेश . . . . . २७१४—१६

दिल्ली में भूमि के मल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा— २७१६—२३

श्री हेडा २७१६–२०

श्री हरिश्चन्द्र माथुर २७२१

श्री हजरतवीस . . . . . २७२१—२३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७२४—३०

PLS. 41. XXIV. 22. 64.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।